ORAON JHAROKHA

ISSN-2456-3625

अर्द्धवार्षिक
पत्रिका

उराँव झरोखा

वर्ष – 01, अंक –02 जुलाई – दिसम्बर 2017

RNI Reg. No. - CHHBIL/2017/71286

प्रधान संपादक :-

डॉ. अल्फोंस तिर्की पी. एच. डी.

डॉ. सेराफिनुस किसपोट्टा पी. एच. डी.

संपादक :-

श्री आनन्द कुमार कुजूर - डायरेक्टर, DMIT कॅरियर काउंसलर

विषयागत संपादक:-

श्री सुशील खलखो - डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार

(पत्रिका संस्थापक)

डॉ. सुशीला एक्का पी. एच. डी.

डॉ. सी. अनुपा तिर्की पी. एच. डी.

श्री अजय समीर कुजूर - सहा. प्राध्यापक, शिक्षा

श्री तेजु कुजूर - सहा. प्राध्यापक, प्रबंधन

श्री विपिन तिर्की - सहा. प्राध्यापक, इतिहास

सलाहकर संपादक :-

डॉ. किरण एक्का - सहा. प्राध्यापक, अर्थशास्त्र

डॉ. इसाबेला लकड़ा - सहा. प्राध्यापक, हिन्दी

श्री सिल्बेस्तर मिंज - एस. डी. ओ. सिंचाई विभाग

श्री निरीयुस कुजूर - उप पंजीयक

श्री हेरमानुस कुजूर - सहा. संचालक वित वि. छ.ग. शासन

विशिष्ट मार्गदर्शक :-

श्री निर्मल मिंज - विधिक सलाहकार, डिस्ट्रिक्ट जज (से.नि.)

श्री तेलेस्फोर एक्का - कमांडेंट, बटालियन, सकरी

(आई.पी.एस.)

श्री वीरेन्द्र लकड़ा - एस. डी. एम. बैकुंठपुर

(डिप्टी कलेक्टर)

वितरण प्रबंधक :-

श्री इलियस टोप्पो - उ.श्रे.सहा., एल.आई.सी.

श्री सुनील तिर्की - वरिष्ठ लिपिक, आर.टी.ओ.

विधिक सलाहकार :-

श्री एन.डी. एक्का - अतिरिक्त डिस्ट्रिक्ट जज (से.नि.)

श्री आशीष बेक - अधिवक्ता (हाईकोर्ट)

पत्रिका विकास प्रबंधक :-

श्री विजय कुमार मिंज - प्रशा. अधिकारी (LIC)

श्री बरथोलोमियुस तिर्की - सहा. प्रबंधक, यूनाईटेड इंडिया इंश्यु. कं.

श्री अल्बिनुस कुजूर - सहा. प्रशा. अधिकारी (LIC)(से.नि.)

श्री बसंत किसपोट्टा - प्रबंधक - डे NULB

ORAON JHAROKHA | Vision - Mission | ISSN-2456-3625

लक्ष्य : सामाजिक जागृति
उद्देश्य : उराँव समाज में वैचारिक क्रांति उत्पन्न करना।

इस पत्रिका में प्रकाशित आलेख व तथ्य की सच्चाई एवं सटीकता, विचार एवं अभिव्यक्ति की जिम्मेदारी स्वयं लेखकों की है। संपादक एवं सपांदक मंडली तथा प्रकाशक इसके लिए उत्तरदायी नही हैं।
टायपिंग एवं प्रस्तुतिकरण में अत्यंत सावधानी बरती गई है फिर भी त्रुटियॉं हो सकती हैं। पाठक स्व-विवेक का इस्तेमाल करें।
सभी प्रकार के विवाद हेतु न्याय परिक्षेत्र बिलासपुर होगा।

पत्रिका प्राप्ति हेतु सम्पर्क करें :-
उराँव झरोखा
C-56, अल्का एवेन्यू, उसलापुर, बिलासपुर, छ.ग. 495001
Email : oraonjharokha@gmail.com **Mob. :** 9993008543

आगामी अंक हेतु :

मुख्य विषय: वैश्विक स्तर पर खीस्तीयों एवं उराँव जनजातियों का समाज तथा देश सेवा में योगदान (महिला एवं पुरूष)

लेख भेजने की अन्तिम तिथि : 30 नवम्बर 2017

रचनाएँ :– लेख, निबंध, कविता, शोध पत्र, कहानियॉं, चुटकुले, पहेली,मौसमी गाने, किवदंती
लेखन भाषा (बोली) :– हिन्दी, अंग्रेजी, कुंड़ख, सादरी

इस पते पर भेजें : संपादक उराँव झरोखा
C-56, अल्का एवेन्यू, उसलापुर, बिलासपुर, छ.ग. 495001
Email : oraonjharokha@gmail.com **Mob. :** 9993008543

अनुक्रमाणिका

क्र.	शीर्षक		पृष्ठ संख्या
1.	संपादक मंडली		1
2.	अनुक्रमाणिका		3
3.	संपादकों की कलम से.....		4
4.	संपादक के नाम पत्र		5
5.	गुणवतापूर्ण शिक्षा का अधिकार	– आनंद कुमार कुजूर	6–7
6.	नदी का दूसरा किनारा	– सुशील खलखो	8–10
7.	Where is our Oraon Youth going?? “Kidhar”?? “Eika:ttra”??	– Dr. Seraphinus Kispotta	11–13
8.	उराँव समाज में संगोत्र विवाह वर्जित तथा उसके वैज्ञानिक आधार	– डॉ. सी. अनुपा तिर्की, डॉ. ए. तिर्की	14–15
9.	जागते रहिये	– निर्मल मिंज	16–20
10.	अस्तित्व पर मंडराता खतरा	– डॉ. विश्वासी एक्का	21–22
11.	कुँड़ुख़ लोकगीतों में जीवन–मूल्य	– डॉ. (श्रीमती) इसाबेला लकड़ा	23–25
12.	हमारा नेता कैसा हो ?	– अथनास किस्पोट्टा	26–30
13.	'' मां बाप का आदर करें ''	– ज्योति किरण मिंज	31–33
14.	जनजातीय क्षेत्रों में पर्यटन	– डॉ. श्रीमती सुशीला एक्का	34–37
15.	और डेढ़ साल बाद	– सुश्री. नवीता कुजूर	38–39
16.	छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग	– श्री वीरेन्द्र लकड़ा	40–49
17.	रिश्तों के नाम	– आनन्द कुमार कुजूर	50–51
18.	आदिवासियों की संस्कृति एवं धार्मिकता	– फा. अमृतलाल टोप्पो, ये.स.	52
19.	मैंने पूछा चाँद से	– प्रभाती मिंज	53
20.	आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग	– आनन्द कुजूर	54–55
21.	कुँड़ुख उराँव प्रगतिशील समाज छत्तीसगढ	– अपील/निवेदन पत्र	56
22.	उराँव झरोखा आयोजित भावी योजनाएँ		57
23.	A Study of Relationship between Spiritual Intelligence And adjustment in Relation...	– Sonia Sharma -Neeru Sharma	58–63
24.	सेंट भिन्सेंट पलोटी चर्च में युवा सम्मेलन	– डॉ. सेराफिनुस किस्पोट्टा	64–65
25.	बेथनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग		66–68
26.	लेखकों हेतु निर्देश		69

प्रधान संपादक की कलम से.....

'उराँव झरोखा' नामक पत्रिका एक वर्ष की अवधि में ही बहुत अधिक ख्याति पा चुकी है। इस पत्रिका हेतु बहुत गणमान्य एवं महत्वपूर्ण हस्तियों का सहयोग प्राप्त हुआ है इसके लिये सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ।

आपके द्वारा प्रेषित लेखों, कविताओं, विचारों ने बहुतों की आँखें खोल दी हैं। पाठकों को उराँव समाज के इतिहास, संस्कृति, रहन–सहन, रीति–रिवाजों की जानकारी हासिल हुई है। आप सभी से गुजारिश है कि आप हमारे उराँव झरोखा के बारे अधिकाधिक प्रचार–प्रसार करें और पाठकों को गौरवान्वित होने का अवसर प्रदान करें।

सभी पाठकों, विशेषकर माता–पिता से मेरा अनुरोध एवं निवेदन है कि अपने बाल बच्चों को उराँव संस्कृति के बारे याने विशेष रूप से बोली–भाषा, रहन–सहन, रीति–रिवाज को संजोकर बरकरार रखने के लिये प्रोत्साहित करने की कोशिश करें।

समय के साथ–साथ समझ हमारे उराँव बच्चों में लाना हमारे माता–पिता की ही जिम्मेदारी है। आशा है आप सभी मेरे इस अनुरोध एवं मेरी मंशा को सार्थक तथा सफल बनाने में सहयोग प्रदान करेंगे। उराँव समाज की संस्कृति बहुत सुन्दर एवं सभी के लिये स्वीकार्य है। आइये हम सभी इसकी इज्जत करें, मान–सम्मान करें।

धन्यवाद!

डॉ. सेराफिनुस किस्पोट्टा

संपादक की कलम से.....

पूरी संपादक मंडली आप सभी लेखकों विचारकों, शुभचिंतकों एवं सबसे महत्वपूर्ण अंग आप सभी पाठकों के प्रति कृतज्ञ है। हमें इसी तरह अपना स्नेह एवं प्रोत्साहन देते रहिए। उन सभी आलोचक वर्ग एवं समालोचक वर्ग के प्रति हम आभारी हैं क्योंकि कबीर जी ने ठीक ही कहा हैं ''निंदक नियारे रखिए आंगन कुटि छबाए।''

समाज का कुछ वर्ग अभी भी सुसुप्त अवस्था में है उम्मीद है कि वो कभी ज्वालामुखी की तरह फूट निकले जिससे एक नई पहाड़ गर्व से ऊंची खड़ी हो जाए हम इस तरह (निराशावादी नहीं) आशावादी सोच अपनाते हुए चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं।

इस अंक में समाज के हित के बारे में अनेक चिंतन पेश किये जा रहे हैं। उम्मीद है आप सभी पाठकगण इसे सहर्ष स्वीकार करेंगे। कुछ सरकारी योजनाएँ भी सम्मिलित की गई हैं ताकि हमारे समाज का कुछ भला हो सके।

हमें पढ़ते रहिए।

शुभकामनाएँ एवं आभार

संपादक

संपादक के नाम पत्र

प्रिय संपादक जी,

'उराँव झरोखा ' जनवरी–जून 2017 अंक मेरे पास हाथ में है जबकि आगामी अंक आने वाला है। पत्रिका मुझे देर से मिली यह मेरी चूक है कि मैं समय पर पत्रिका नहीं प्राप्त कर सकी। मैं सभी आलेख तो नहीं पढ़ सकी लेकिन जितना पढ़ा है उसके आधार पर मैं व्यक्तिगत रूप से कह सकती हूँ कि पत्रिका अपने उद्देश्य में सफल है। निर्मल तिग्गा जी ने अपने आलेख के माध्यम से उराँव समाज में सक्षम नेतृत्व की आवश्यकता पर बल दिया है अच्छा लगा।

आदिवासी समाज का इलाज राजनीति, आप स्वयं भाग्य के निर्माता हैं अच्छा लगा। अथनस किस्पोट्टा जी का आलेख 'जहां–जहां पड़े उराँव के पांव वहां–वहां स्वर्ण भंडार' में उराँव जनजाति के विस्थापन की पीड़ा को कई स्तरों पर उभारा है। आलोक शुक्ला के आलेख के माध्यम से वनाधिकार कानून की जानकारी और अन्य सूचनाएं मिलीं।

साथ ही साक्षात्कार के कॉलम के अंतर्गत चयनित अनुप तिग्गा, सचिनपाल टोप्पो, मंजूषा टोप्पो के साक्षात्कार निश्चय ही पाठकों में चेतना और उत्साह का संचार करेंगे। आनंद कुमार कुजूर का आलेख संविधान के प्रावधान में पॉचवी अनुसूची की जानकारी प्रशंसनीय है।

संपादक मंडल और सभी लेखकों को मेरी ओर से बधाई।

–विष्वासी एक्का

.....

प्रिय संपादक जी,

उराँव झरोखा पत्रिका उराँव समाज के लिए एक क्रांतिकारी पहल है जो कि उराँव समाज के सामाजिक परिवर्तन के साथ–साथ अन्य समाज के लोगों हेतु एक आईना का काम कर रही है। आज के युग में हर समाज में विश्वास की स्थिति पैदा हो रही हो हर समाज में एकता की भावना कम होती जा रही है। हमें इससे ऊपर उठना है व समाज को आगे लाने में मद्द करनी है।

उराँव झरोखा पत्रिका सामाजिक परिवर्तन लाने हेतु हमेशा तत्परता के साथ आगे बढ़ रही है। तथा समाज के उत्थान में सीढ़ी का काम कर रही है, उराँव झरोखा से जुड़े सभी गणमान्य नागरिकों एवं सदस्यों को, मैं आभार व्यक्त करते हुए शुभकामनाएँ देता हूँ।

–बसंत किस्पोट्टा

प्रबंधक – डे. NULB

(सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थालय विकास)

गुणवतापूर्ण शिक्षा का अधिकार

– **आनंद कुमार कुजूर,** संपादक

एक रेशम के कीड़े का खोल (टसर) जिसके अंदर से एक सुंदर तितली निकलती है और प्रकृति में स्वछंद उड़ती फिरती है, एक दिन एक व्यक्ति ने ऐसे ही एक रेशम के कीड़े के खोल को देखा जिसमें से थोड़ी हलचल दिखाई पड़ रही थी। उसने गौर से देखा कि उसमें से तितली निकलने वाली थी। वह व्यक्ति बैठकर ध्यानपूर्वक देखने लगा कि उसमें से तितली कैसे निकलती है। कुछ समय पश्चात् उसे तरस आया क्योंकि नन्हीं सी तितली अत्यंत ही संघर्ष कर रही थी। इस समय सज्जन को एक नेक उपाय सूझा कि क्यों न उस खोल को कैंची से काटकर तितली को बाहर आने में मदद किया जाए। उसने कैंची लेकर धीरे–धीरे उस खोल को काट दिया और आसानी से तितली बाहर आ गई। लेकिन उसका शरीर सूजा हुआ और पंख अकड़े हुए थे नन्ही तितली उड़ने के प्रयास में अपने पंख फड़फड़ाने लगी किन्तु दुख की बात कि वह उड़ न सकी और एकाएक शांत हो गई। उसमें कोई हलचल नहीं थी। उसके पंख कमजोर थे। नतीजन जीवन भर वह तितली जमीन पर रेंगती रह गई। वह कभी नहीं उड़ सकी।

उस सज्जन व्यक्ति ने मेहरबानी और जल्दबाजी में जो किया वह अनजाने में बहुत बुरा हुआ। तितली का संघर्षपूर्ण तरीके से निकलने की कोशिश करना इस तितली के शारीरिक विकास का प्राकृतिक तरीका होता है। तितली जितनी ज्यादा संघर्ष करती है उतनी ही उसके पंख मजबूत होते हैं क्योंकि इस प्रक्रिया में एक तरल पदार्थ कोकूनेज भी श्रवित होता है जो उस टसर (रेशम का खोल) को गलाता है जिससे कि तितली उस टसर की परत को काट सके और संघर्ष जीत कर बाहर निकले तथा अपने गीले पंखो को सुखाने के पश्चात् उसे मजबूत कर उड़ने लायक बना सके। वर्तमान परिवेश में स्कूली छात्रों को उनके बिना परिश्रम किए उर्त्तीण करना उस रेशम के कीड़े के खोल को कैंची से काटकर तितली को आजाद कर देना और जीवन भर उसे जमीन पर रेंगते रहने हेतु छोड़ देने के सदृश्य है क्योंकि माध्यमिक कक्षाओं में बच्चे आसानी से उर्त्तीण हो कर अगली कक्षाओं में चले तो जाते हैं लेकिन जब राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं जैसे नीट, जे.ई.ई. एडवांस जे.ई.ई., कैट, मैट, नेट, स्लेट, यू.पी.एस.सी., पी.एस.सी. इत्यादि में सम्मिलित होते हैं तब वे रैंक में अपनी जगह नहीं बना पाते। उनकी नींव उस मकान के सदृश्य होती है जिसकी नींव चट्टान पर नहीं, रेत पर बनी होती है। मजबूत नींव के निर्माण में यह भी ध्यान रखना होगा कि स्कूलों में पढ़ाई का बोझ कम होने के साथ पढ़ाने का बोझ भी कहीं कम न हो जाए अन्यथा् कमजोर नींव के साथ–साथ बौद्धिक कुपोषण आ सकती है। साथ ही गुणवता बनाए रखने में लचरपन्न बिल्कुल नहीं आने देना चाहिए। 3 घंटे की परीक्षा 2 घंटे में कैसे पूरी हो सकती है? सभी प्रश्नों का उत्तर लिखना अनिवार्य है किंतु क्या ऐसा कराया जा रहा? आपने तो पढ़ा ही होगा Chinese Proverb "Spare the rod and spoil the child (चीनी कहावत् ''बच्चा बिगड़ जाए परंतु डंडा न टूटे'') यह चरितार्थ हो रहा है, अनुशासनात्मक महौल का आकाल सा छाया हुआ है, जब तक शिक्षक व छात्र दोनों ही अनुशासन का पालन नहीं करेंगे तब तक गुणवतापूर्ण परिणाम की कामना नहीं की जा सकती। इस बात को गंभीरता पूर्वक स्वीकार करना ही होगा कि Teaching is not a profession but a vocation. शिक्षक बनना एक पेशा नहीं बल्कि यह एक बुलाहट है शिक्षक यदि गुणवतापूर्ण अध्यापन का कार्य करते रहें तो स्पष्ट है अच्छे पेड़ से अच्छा फल प्राप्त होगा और बुरे पेड़ से बुरा फल।

गौरतलब है कि बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हो रहा उनमें पढ़ने की ललक पैदा नहीं हो रही, वे तो Happy go lucky वाले सिद्धांत पर चल पड़े हैं। बिंदास रहिए और अपने मन की सुनिए जैसा मन कहे वैसा ही करिये, यह सफलता का मूलमंत्र है बकायदा Whatsapp और Internet से ही केवल पढ़ाई करिये आधुनिक बनिये टेक्नोलॉजी को अपनाइए घिसे पिटे तरीके छोड़िए अर्थात बच्चे के जन्म के पश्चात् उसे माँ के दूध के बजाय अमूल दूध पिला दें ताकि वह जल्दी बड़ा हो जाए। माँ का दूध सेवन न करने से शरीर में प्रतिरोधी क्षमता पर्याप्त मात्रा में विकसित नहीं होती यह भी सत्य है। वे बच्चे अकसर संक्रमण के शिकार होंगे ही। आशय यह है कि आधुनिकता व टेक्नोलॉजी के आड़ में बुनियादी तरीके

पूर्ण रूपेण खारिज नहीं किए जा सकते। Technology is a means not an end. अधिकाधिक ज्ञानोपार्जन हेतु टेक्नोलॉजी मात्र एक साधन है माध्यम है।

आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर की गुणवता का आंकलन करना बेहद आवश्यक है। शिक्षा का अधिकार लागू है परंतु कहाँ है वह बुनियादी ढांचा जिस पर प्रदेश और देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक भविष्य मजबूती पाएगी? स्कूल, कॉलेज की इमारतें खड़ी हैं, जर्जर हैं, कुछ बनायी जा रही हैं, शिक्षकों की नियुक्तियाँ जारी हैं, सरकारी खजाने से शिक्षा के क्षेत्र में खर्च बढ़ते जा रहें हैं फिर भी क्या गुणवत्तापूर्ण अध्यापन (शिक्षकों द्वारा) अध्ययन (विद्यार्थियों द्वारा) चिन्हाकिंत करने योग्य मालूम होता है? यह प्रश्नात्मक चिंतन है जो चुभने वाली कष्टदायी एवं प्रतिक्रिया व्यक्त करा सकती है।

हमारे प्रदेश या देश में आवश्यकता है वास्तविक रूप से लग्नता, निरंतरता और मेहनत, अध्यापन और अध्ययन दोनों में ही जहाँ कर्त्तव्यनिष्ठता की ओजस्विता दिखाई देते रहे। शिक्षा के स्तर में सुधार की गंभीरता शासन प्रशासन और शैक्षणिक संस्थानों में स्पष्ट रूप से प्रकट होनी चाहिए। बस्ते का बोझ जरूर कम कीजिए परन्तु लाइब्रेरी में पुस्तकों की संख्या, प्रायोगिक शालाओं में उपकरण की संख्या, मूल्यांकन पद्धति में सुधार, प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या में बढ़ोतरी होनी चाहिए। फिलहाल के एक रिसर्च ''हाउसहोल्ड एक्सपेंडीचर ऑन हायर एजुकेशन इन इंडियाः व्हाट डू वी नो एंड व्हाट डू रीसेंट डेटा हैव टू से'' के अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में दक्षिण भारत की स्थिति ही तुलनात्मक रूप से अन्य प्रदेशों से बेहतर है। वहां प्रति व्यक्ति के हिसाब से ग्रामीण इलाकों में घरेलू खर्च का 43 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 38 प्रतिशत उच्च शिक्षा पर खर्च किया जाता है।

उच्च शिक्षा पर सालभर में प्रति व्यक्ति खर्च

(रूपये में)

क्षेत्र	ग्रामीण		शहरी	
	प्रति व्यक्ति खर्च	घरेलू खर्च में हिस्सेदारी	प्रति व्यक्ति खर्च	घरेलू खर्च में हिस्सेदारी
उत्तरी	25,143	24%	41,487	24%
उत्तर–पूर्वी	17,718	23%	29,249	23%
पूर्वी	19,035	29%	34,068	29%
मध्य	11,873	16%	35,699	27%
पश्चिमी	21,787	24%	45,436	30%
दक्षिण	**36,063**	**43%**	**49,6970**	**38%**
कुल	21,735	27%	41,991	30%

आँकड़े स्पष्ट करते हैं कि दक्षिण भारत के लोग शिक्षा के प्रति ज्यादा जागरूक हैं अन्य प्रदेशों की तुलना में। इन क्षेत्रों में ही पढ़ाई के लिए लोन लेने वालों की संख्या अन्य राज्यों की अपेक्षा ज्यादा है। तो सवाल यह है कि इन प्रदेशों में शिक्षा का अधिकार किस पैमाने पर लागू हुआ है? हमारे आदिवासी बहुल्य क्षेत्रों में शिक्षा का अधिकार के क्या मापदंड हैं? इस कानून का प्रतिफल क्या है? इस कानून का कड़ाई से पालन हो या फिर शिक्षा दर्शन का उपयोग हो ताकि अध्यापन और अध्ययन दोनों में ही गुणवता परिलक्षित हो सके। आदिवासी बहुल्य क्षेत्रों में शिक्षा का आधिकार कड़ाई से पालन हो के बजाय इन क्षेत्रों में गुणवतापूर्ण शिक्षा का आधिकार लागू हो ताकि आदिवासी समाज की भावी पीढ़ी बौद्धिक कुपोषण का शिकार न हो वे उचित शिक्षा पाकर समाज में बौद्धिक क्रांति ला सकें।

नदी का दूसरा किनारा

–सुशील खलखो
(अध्यक्ष)

सुप्रसिद्ध मानव वैज्ञानिक एस. सी. रॉय ने सन् 1912 में उराँव समाज की शैक्षणिक स्थिति के संबंध में लिखा था कि 1909 के आंकड़ों के अनुसार शासकीय सेवक 209 थे, जिसमें एक उराँव उप जिलाध्यक्ष थे। लगभग एक सदी के सफरनामा के बाद शिक्षा एवं शासकीय सेवा में एक आमूलचूल परिवर्तन आया, जिसका आँकलन हम सहज ही कर सकते हैं। तब से अब तक हमारे समाज में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं एवं न केवल शासकीय सेवा में बल्कि गैर शासकीय सेवा एवं निजी क्षेत्रों में भी हमारे समाज के लोग एक बड़ी तादाद में कार्यरत् हैं। इसके बावजूद मुझे लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र, शासकीय सेवा एवं अन्य सेवाओं में अभी भी हमें एक लंबा सफर तय करना है। अभी भी महसूस होता है कि हम वांछित प्रगति हासिल नहीं कर पाए हैं। चलिये, इस संबंध में हम इस आलेख के माध्यम से आत्म परीक्षण करने का प्रयास करें कि हम वांछित मुकाम हासिल क्यों नहीं कर पाए हैं। इस विषय पर न केवल व्यक्तिगत स्तर पर, बल्कि सामूहिक स्तर पर भी चिंतन एवं चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। हमारा समाज क्यों पिछड़ता जा रहा है ? ऐसे कौन से कारण हैं जिनके कारण हम विकास की दौड़ में बाकी समाज से पीछे होते जा रहे हैं? यह एक शोध का विषय हो सकता है।

मैं एक घटना का जिक्र करना चाहूंगा। सन् 2011 में बिलासपुर उराँव समाज द्वारा युवा वर्ग हेतु एकदिवसीय कॅरियर गाइडेंस का आयोजन बिलासपुर में किया गया था। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ शासन में कार्यरत वरिष्ठ एवं अनुभवी भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा, उच्च न्यायिक सेवा एवं राजनैतिक क्षेत्र के शख्स आमंत्रित किए गए थे। कार्यक्रम का व्यापक प्रचार–प्रसार किए जाने का प्रयास किया गया, किन्तु इस कार्यक्रम में अपेक्षित संख्या में हमारे युवा उपस्थित नहीं हुए। बल्कि हमारे समाज के लोगों ने रूचि ही नहीं दिखायी। कार्यक्रम मे हिस्सा लेना तो दूर, आकर देखने की जरूरत भी महसूस नहीं की गयी। कतिपय युवक–युवतियों को तो यह कहते हुए सुना गया कि हम तो एम. बी.बी.एस. कर रहे हैं, हम तो इंजीनियरिंग कर रहे हैं। हमें कॅरियर गाइडेंस की क्या आवश्यकता है?

सन् 1970–80 के दशक में हमारे समाज के युवा विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं स्कूलों की बोर्ड परिक्षाओं में टॉपर एवं मेरिट लिस्ट के प्रथम दस विद्यार्थियों में अपनी जगह बना लेते थे। इस संदर्भ में एक–दो मिसाल पेश करना चाहूंगा। सन् 1977 में लोयोला हायर सेकेण्डरी स्कूल कुनकुरी से म.प्र. हायर सेकेण्डरी बोर्ड की परीक्षा में कला संकाय की मेरिट लिस्ट में चौथा स्थान हासिल किया था और उस शख्स का नाम है श्री पंक्रासियुस तिर्की। इसी प्रकार सन् 1978 में एक विद्यार्थी ने इसी स्कूल से कला संकाय की मेरिट लिस्ट में आंठवा स्थान हासिल किया था और उस शख्स का नाम है श्री नबोर टोप्पो। इन दोनो शख्स ने न केवल स्कूल का नाम रोशन किया बल्कि पूरे समाज का नाम गौरवान्वित किया है।

आज जब हम इस संदर्भ में सोचते हैं तो निराशा ही हाथ लगती है। आज छत्तीसगढ़ में न तो 10वीं छत्तीसगढ़ बोर्ड में, न तो 12वीं छत्तीसगढ़ में हमारे समाज के विद्यार्थी मेरिट में जगह बना पा रहे है और न ही सी.बी.एस.सी./आई.सी.एस.सी. की 10वीं और 12वीं में ही। यह एक गंभीर मसला है और एक जटिल चिंता का विषय है। क्या हमारे समाज के विद्यार्थी इतने कमजोर हैं ? क्यों इतने पीछे हैं ? आज जबकि हमारे समाज के बच्चों को पर्याप्त अवसर एवं साधन उपलब्ध हैं, या कहें दूसरे समाज के बच्चों के समान ही सुविधाएं उपलब्ध हैं। बल्कि कुछ मामलों में तो बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हैं। ऐसी स्थिति में स्कूलों, कॉलेजों एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में हमारे विद्यार्थियों का प्रदर्शन इतना निराशाजनक क्यों है? मैं तो यह भी स्वीकार करता हूं कि हमारे बच्चों में काबिलियत की कोई कमी नहीं है।

वर्ष 2014 की एक और घटना का जिक्र करना चाहूंगा, जिसमें सी.बी. एस.सी. की 12वीं परीक्षा में दिल्ली की निवासी कु. गायत्री ने कॉमर्स में पूरे देश

में टॉप किया था। एक समाचार पत्र में उनका इंटरव्यू छपा था जिसमें उसने बताया था कि वह सोशल मिडिया से जानबूझकर दूर रहीं। जरूरत पड़ने पर, अपनी मम्मी के मोबाइल से बात कर लेती थीं। उसने यह भी बताया था कि उनके द्वारा योजनाबद्ध तरीके से पढ़ाई की गई। इसी प्रकार 2015 मे कु. आद्या मदी ने आई.सी. एस.ई. की 12वीं. की परीक्षा में पूरे देश में टॉप किया था। वह भी अनुसूचित जाति की है। एक तीसरी घटना का जिक्र करना चाहूंगा, जब बिलासपुर के छात्र शुभम बख्शी ने सन् 2016 में छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 12वीं की परीक्षा में गणित संकाय से टॉप किया था। उनकी माता जी फॉल–पिकू का कार्य करती थी। उनके पिताजी मानसिक रूप से बीमार रहते थे। शुभम बख्शी जी स्वयं ट्यूशन पढ़ाते थे, एवं उससे प्राप्त राशि से स्वयं ट्यूशन लेते थे।

अब आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा प्रतियोगिता परीक्षाओं की ओर। एक ऐसी शख्स कु. टीना डाबी, जिन्होंने 2015 मे आई.ए.एस. की परीक्षा में टॉप किया था। वह अनुसूचित जाति वर्ग की है और मात्र बी.ए. की (डिग्री) प्राप्त की हुई है। इसी प्रकार वर्ष 2017 के आई. आई.टी. टॉपर सर्वेश महतानी हैं, जिन्होंने एक टी.वी. चैनल को दिये इंटरव्यू में विद्यार्थियों को यह संदेश दिया है कि वह छः घण्टे अध्ययन करते थे, सोशल मीडिया से दूर रहते थे और आवश्यकता पड़ने पर ही मोबाईल फोन का इस्तेमाल करते थे।

इसी प्रकार और दो शख्स का जिक्र करना सार्थक एवं प्रासंगिक समझता हूं। दलित दस्तक नामक अखबार में अगस्त 2015 में यह न्यूज छपी थी– ''झुग्गी नंबर 208 से निकला आई.ए.एस.–दिहाड़ी मजदूर के बेटे ने पहले प्रयास में तय किया आई. ए.एस. का सफर, जो दिल्ली के 21 वर्षीय हरीश चंदर जिसने 309वीं. रैंक हासिल की।'' श्री चंदर ने कहा– ''मैने जहां जन्म लिया वहां हर चीज के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती थी, जब से मैंने होश संभाला खुद को किसी न किसी लाईन में पाया। कभी पीने के पानी की लाईन में, तो कभी राशन की लाईन में, यहां तक की शौच जाने के लिए भी लाईन में लगना पड़ता था। झुग्गी में माहौल ऐसा होता था कि पढ़ाई की बात तो दूर, सुबह–शाम का खाना मिल जाए तो मुक्कदर की बात मानी जाती थी। पापा दिहाड़ी मजदूर थे। कभी काम मिल जाए तो रोटी नसीब हो जाती थी, नहीं तो घर पर रखे चने खाकर सोने की हम सभी की आदत थी। झोंपड़ी की हालत ऐसी थी कि गर्मी में सूरज, बरसात में पानी और सर्दी में ठंड का सीधा सामना हुआ करता था। मेरे मां–बाप पूरी तरह निरक्षर हैं। घर की हालात देख मैं किराने की दुकान पर काम करने लगा। दसवीं में फेल होते–होते बचा। एक बार मैंने हमेशा के लिए पढ़ाई छोड़ने की सोच ली, लेकिन मेरी मां, जिन्हें खुद अक्षरों का ज्ञान नहीं था, मुझे पढ़ाने के लिए दुकान से हटाया। खुद दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करने लगी। मैं एक–एक मिनट को भी इस्तेमाल करता था।'' इसी प्रकार एक और शख्स है जो 2007 में आई.ए.एस. बने जिनका नाम है श्री गोविंद जायसवाल एवं जिनके पिताजी रिक्शा चलाते थे। हरीश चंदर जी कहते हैं कि वे सबसे ज्यादा प्रभावित इसी शख्स से हुए हैं और गोविंद जायसवाल जी तब आई.ए.एस. बन सकते हैं, तो मैं क्यूं नहीं। इस प्रकार हमारे समाज के युवा वर्ग हेतु यह एक चुनौती है। हर युवा हरीश चंदर जैसे अपने आप से यह सवाल पूछें ''यदि वह कर सकते हैं तो मै क्यों नहीं कर सकता।''

ये कुछ शख्सियत हैं, जो हमारे लिए रोल मॉडल हो सकते हैं, बशर्ते कि हम उनके पदचिन्हों पर चलें एवं अपने अंदर दृढ़ इच्छाशक्ति विकसित करें। उपरोक्त प्रतिभाओं से यह बात स्पष्ट उभर कर आयी है कि वे अपने ''लक्ष्य'' पर कायम रहें। साधन को साध्य पर हावी होने नहीं दिया। हमारी कमजोरी यह रही है कि हम साधन को साध्य या लक्ष्य समझने की भूल कर रहे हैं। मोबाईल, लैपटॉप, फेसबुक, वाट्सअप, टी.वी एवं अन्य सोशल मीडिया मात्र साधन हैं, साध्य नहीं हैं। इन साधनों से हमें सूचना प्राप्त हो सकती है किन्तु ज्ञान अर्जन पाठ्य पुस्तकों एवं अधिक से अधिक किताबों के अध्ययन से ही संभव है।

हम इन साधनों का अधिकतम उपयोग एवं दोहन अपने लक्ष्य की प्राप्ति में कर सकते हैं और ऐसा करने से ही हम सफलता की कहानी गढ़ सकते हैं। लक्ष्य निर्धारित होने पर ही, उसी अनुरूप मेहनत एवं लगन की आवश्यकता होती है और दृढ़ इच्छाशक्ति की उत्पत्ति होती है। सफलता हासिल करने हेतु 'शॉर्ट कट' रास्ता नहीं है। किसी ने कहा है– "It is nintynine percent perspiration and one percent inspiration." अर्थात् मेहनत को ही सर्वोच्च स्थान दिया गया है। सफलता के लिये 99% कर्म का एवं मात्र 1% भाग्य का होना माना गया है। मैं तो यह मानता हूं कि भाग्य आपकी सफलता को (निश्चित) नहीं करता, बल्कि आपकी मेहनत आपका भाग्य बदल सकता है। इसी संदर्भ में विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक, मिसाइल मैन जो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति स्व. श्री ए.पी.जे. अब्दुल कलाम युवा वर्ग से कहते हैं – "Dream is not that you see in the sleep, Dream is that which does not let you sleep." अर्थात् स्वप्न

वह नहीं जो आप नींद में देखते हैं, स्वप्न वह है जो आपको सोने न दे। इसी प्रकार उनके अन्य महत्वपूर्ण सन्देश इस प्रकार है– (1)''सपने तभी सच होते हैं जब हम सपने देखना शुरु करते हैं।'' (2)''पहली बार की सफलता हमारी किस्मत पर निर्भर हो सकती है लेकिन बार–बार की सफलता हमारी मेहनत और लगन का ही परिणाम होता है।'' वे युवा वर्ग को आह्वान करते हुए कहते हैं–"work, work, work."

विगत कुछ वर्षो से यह देखा जा रहा है कि दीगर समाज के युवा जो आई. आई.टी., इंजिनियरिंग, मेडिकल एवं मैनेजमेंट उत्तीर्ण हैं, जो आई.ए.एस., आई. पी.एस., आई.एफ.एस. आदि पदों पर चयनित होकर आ रहे हैं। जबकि हमारे समाज के विद्यार्थी तमाम डिग्रियां हासिल कर वहीं रूक से गए हैं। हमारे समाज के विद्यार्थियों में हुनर, काबिलियत, प्रतिभा तथा बुद्धि की कमी नहीं है। तभी तो कला के साथ–साथ साइंस मेडिकल एवं टेक्नालॉजी की डिग्रियां हासिल करने के उपरान्त, कला संकायों, मेडिकल कॉलेजों, साइंस कॉलेजों, मैनेजमेंट संस्थानों, विश्वविद्यालयों आदि में सफलतापूर्वक अध्यापन का कार्य भी बखूबी सम्पादन कर रहे हैं। बस हम नदी के इसी किनारे पर खड़े हैं, नदी पार कर दूसरे किनारे पर जाने का खतरा मोलने में असफल रहे हैं। दीगर समाज के युवाओं ने नदी पार कर दूसरे किनारे पर पांव रख ली है, जिसका लाभ उनके समाज को प्राप्त हो रहा है। अर्थात् उनकी प्रशासनिक पकड़ मजबूत होती जा रही है। जब हमारे समाज में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, तो वह जज्बात्, धुन या सनक क्यों पैदा नहीं हो पा रही है ? हमारे युवाओं को नदी के दूसरे तट पर क्यो नहीं जाना चाहिए? कुछ अलग कर दिखाने का संकल्प क्यों नहीं लेना चाहिए? लीक से हटकर क्यों नहीं सोचना चाहिए? मौलिक एवं बुनियादी सोच क्यों विकसित नहीं करनी चाहिए? कबीरदास जी ने कहा हैः–''जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। मैं बपूरा बूडन डरा, रहा किनारे बैठ!!'' अर्थात्:– जो प्रयत्न करते हैं, वे कुछ न कुछ वैसे ही पा लेते हैं, जैसे कोई मेहनत करने वाला गोताखोर गहरे पानी में जाता हैं, और कुछ लेकर आता हैं, लेकिन कुछ बेचारे लोग ऐसे भी होते हैं, जो डूबने के भय से नदी किनारे पर ही बैठे रह जाते हैं, और कुछ नही पाते। हमारी व्यक्तिगत सफलताएं या असफलताएं व्यक्तिगत ही नहीं रह जातीं, बल्कि सामाजिक भी होती हैं, जिनका दूरगामी एवं व्यापक असर हमारे समाज पर पड़ता है। अर्थात् हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी के साथ–साथ हमारी सामाजिक जिम्मेदारी भी अपरिहार्य है।

इन सारे सवालों को ध्यान में रखते हुये मैं हमारे समाज के उन तमाम युवा–युवतियों से विनम्र आग्रह करता हूँ कि आने वाले समय की चुनौतियों का सामना करने हेतु कमर कस लें। सामाजिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक बदलाव नें बहुत ज्यादा रफ्तार पकड़ ली है। इस तूफानी तथा क्रांतिकारी परिर्वतन से टकराने की हिम्मत जुटाने की व्यवस्था सुनिश्चित कर लें। अंत में मैं एक अनमोल वचन से अपनी कलम बंद करना चाहूंगा–

''बहुत खुष किस्मत होते हैं, वे लोग जिन्हें,''समय''और ''समझ''एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर 'समय' पर 'समझ' नहीं आती और जब 'समझ' आती है तो 'समय' हाथ से निकल जाता है।''

Where is our Oraon Youth going?? "Kidhar"?? "Eika:ttra"??

Dr. Seraphinus Kispotta,
Asst. Prof. Guru Ghasidas Vishwavidyalaya,
Bilaspur, C.G.

This is a personal opinion of the author. The author has reflected over his own writings again and again and has been forced from within to share with the intelligentsia group. The author also would like to invite the reactions from the learned readers on this writing – positive or negative – what may come honestly.

Goal Setting: Today many of our youngsters are found standing on the cross-roads. Every youth has to take his/her Goal setting very seriously. The Goal setting exercise should be done when you are in the class 10th, 12th and at the most in the first year of your college. Once you have set the Goal, be determined and firm in your life long decision. No Goal changing business, there should not be negative demonstrative effect in setting your Goal. To achieve this Goal you have to fix up some important and limited objectives.

Now, supposing an Oraon youth has set the Goal to become an IAS officer, Professor in higher education, Member in Planning Commission, Managing Director in the plants/industries, Director of a company, Manager in the Banks, Doctor, Engineer, Vice-Chancellor of the Universities, Registrar of the Universities/Revenue, Custom Officer, Excise Inspector, SP, DSP etc., then what will be his/her objectives.

Objectives:

1. To be regular in getting up at 5.00 a.m. daily. (unless and until the emergency and exceptional cases aritl.)
2. To remember God the Almighty in a prayerful mood.
3. To study/revise/prepare before going to the classes/coachings/ trainings.
4. To attend the classes very sincerely and honestly.
5. To revise the lessons taught in the classes.
6. To make a habit of reading newspapers daily, watching news channels on T.V.
7. To work/study hard, with interest. (For this you should be motivated from within, and Nobody can force you to work hard from without.)
8. To do everything on time, be punctual for all the activities.
9. To write and study; and understand the lessons well.
10. To make sure by asking questions/ queries in the class. (Never mind what the others will think about me if I ask questions.)
11. To rewind the set goal always.

Whatever you do, just ask yourself whether the act/work which I am performing now, is helpful in attaining the set Goal. If 'yes',
HOW. Just find out the answer and if the answer satisfies you, it is well and good. Go ahead what you are doing. If NOT, stop doing that work there and then. Make a full stop immediately to that particular work for good.

Be inspired and motivated from within. Listen to your conscience constantly. Be philosophical in asking questions about your life-Goal. Have a good friend who can assist you in achieving this Goal. Share your Goal-opinion and strategy to your parents, so that they can play the supportive role, financially, morally, spiritually.

Implementation Strategy:

a) Do's

1. Having positive demonstrative effect on your mind and soul. For this, just imagine and think about the personalities, who have become the IAS officers or who have inspired and motivated you through their life style and have achieved the goal. Take the positive points from their life and try your best to implement in your life style. Be serious in this matter.

2. Being calm and cool in all your activities and doings. This will help you in reminding your goal frequently and constantly.

3. Being regular in your daily activities.This will enhance you to cultivate a habit of doing all activities automatically. The external forces will have nothing to play a role in this regard.

It becomes a daily routine for you.

4. Being active in life. Whatever you do, do it actively. Be attentive to your Goal all the time.

b) Don'ts

1. Being busy too much with mobiles, talking to your friends (girls & Boys) (80%) and with relatives and parents (20%). This is a waste of time and money. Important talks are unavoidable. However, today our Oraon youth is too much busy gossiping with light- minded friends through mobiles. This is one of the contagious diseases in our Oraon youth. You know dear youth, you are gradually being dragged into the big ditch which you are blindly following. This has the negative effect in attaining the set Goal. Still there is time to come back on the right path by restricting yourself from unnecessary using the mobiles.

2. Today our Oraon youth has become of showy nature. They want to show that they belong to the over-standard family, having motor-bikes, cars, buildings, but are far lagging behind in studies.

3. Some of our Oraon youth students are staying in the big cities in rented houses or rooms as Paying Guests, far away from their native place/village for the purpose of college studies, attending PSC coaching classes. As long as the Oraon students are sincere and honest to themselves, it is all right. However, the students are free now from the clutch of their parents and villagers, so at times there comes the misuse of their freedom in terms of money, time, friendship etc. I am afraid, here our Oraon youth students can take the wrong decision by misusing their freedom. If an Oraon youth is not using his own freedom in a right manner, then he is forced to blackmail his parents first in terms of money, giving so many lame excuses. Parents also believe and trust wholeheartedly on their sons daughters, because after all they are their own blood, they are the beloved ones. This drama goes on and on for some time, however, a time comes, when the parents are compelled to think over it, and found out that " Daal mein kuchh kala hai". The enquiry begins. When the query comes from parents, then he/she shifts the blackmailing attitude towards his relatives/friends. This then becomes a vicious circle of blackmailing attitude. These are the students, who have not taken serious decision in life, don't have their Goal-setting. Such types of students do not even revere and respect the local guardians. They rarely go to the Church, Temple, Masjid, Gurudwara, where one finds an internal peace. What is there in daaru, cigarette, gutka, tambakoo, gudakhu, and other types of alcoholic and intoxicated items. However, the fact is that some of our Oraon youth is engrossed in such practices. and addietal to this itmes.

4. Parties, picnics, theatres, hotels, parks, where waste of money and time takes place, our Oraon youth enjoys these opportunities. They are busy wasting their golden time and opportunities.

5. Our Oraon youth has become stylish in terms of driving motor-bikes, taking girl-friends as pillion driver. This is seen and experienced with the students who are staying in the PG a free hostel in the city. This leads to blackmailing their parents for money.

6. Hey, Oraon youth, do not force your parents to think and say the words like, **"achha hota ki yah ladka/ ladki paida hi nahi hota/hoti."** Give respect and dignity to your parents, and thank God for He has given you the wonderful gift in parents.

7. Do not misuse your freedom my dear Oraon youth. As soon as our Oraon youth steps into the courtyard of college, he/she thinks that he/she has captured the whole world. Do not be misled. You are just starting a new chapter in your life. From here onwards you are on the becoming process of maturity. You have to take your life seriously hereafter.

8. Many seniors will try to advise you. Hello, you are in the first year. Long time to go. "First year is the rest year." I would say, never think of resting in your whole life. Do not be led astray, else you will have to regret the remaining life.

Role of the parents:

1. Parents have certainly to play the role in bringing up the sons and daughters from their childhood to adolescent and to the oldage. Parents are like an umbrella, who protect us all the time and everywhere.

2. It is not only that you are going on fulfilling their needs, desires physically, academically, but also you have to teach them good manners, good disciplines, good behaviours. Disciplines make a student perfect and great.

3. Parents do have a great role to play in moulding the life of their sons and daughters in time. If at all they are interested in sending their children to the cities and metropolitan cities, they should arrange the guardians in whom they trust and also ensure that their children obey the guardians.

Guardians should be taken in trust and confidence that they will play the role of the parents.

Concluding Remarks:
Set your Goal in the class 10th or 12th or latest by first year of your college. Come out from the cross-roads and be strict and stick to your decision.
Oh Oraon youth, where are you now? "eksan ra:thaar akkoon?" open your eyes. Reflect over your life style. If you find yourself, clutched in such poisonous situation, there is still time to come out. An appeal from the author, don't do such things.
Come back soon, there is still time. "Kirra bara, akkoon gooti bera ra:i". One has to be very very careful, disciplined, sincere and honest to himself/herself.

It is you who can make your life heaven or hell. So where to?? "Kidhar" ?? "Eika:ttra"??

If you have the firm decision for your life, no external power can shake you.

1. नीन तो कोय हाफ डाला

नीन तो कोय हाफ डाला,
एकदम अनाडी पर ,
जिया एंग्है निंगा गे तरसार ई।

चिठ्ठी तइयोन का मला,
फोटो तइयोन का मला,
सोचआ पोलदान।
ऐन तो गुई हाफ डाला,
नीन गा खिलाड़ी पर,
एंग्है जिया हूँ निंगा गे तरसार ई।

दिल एंग्हैन निंगा दिम,
कया एंग्हैन निंगा सौंपदन
चिअदन

नीन तो कोय हाफ डाला,
एकदम अनाडी पर,
जिया एंग्है निंगा गे तरसार ई।

दिल चिओन का मला,
प्यार ननोन का मला,
सोचआ पोलदन।

नीन तो कोय
एकदम अनाड़ी पर,
प्यार निंग्है खक्खा गे तरसार दन।

उज्जा पोल्लोन निंग बिना,
खेआ पोल्लोन निंग बिना,
निंगन तेंगादन।

–इनुस कुजूर (माखन)
पत्थलगांव 09669576333

2. बनारसी साड़ी

ओरमार ही जोड़ीर
मेला ऐरा केरर।
गुचाय, गुचाय जोड़ी मेला कालोत

गुचाय, गुचाय गुइया मेला
निंगा खे़दोन चिओन
बनारसी छापा साड़ी।

अंचरा नू चंदो, बीड़ी
पंडी नू पूंप लिलि लिंढियार ओ।

जाकेट नू भग जुगनी बेसेए
छतिया नू जिया एंग्है बेसे धड़कार ओ।

गुंड़खी नू पूंप लडंग,
खे़खेल नू नाग नागिन
बेसे लहरार ओ।
गुइया गुचाय

–इनुस कुजूर (माखन)
पत्थलगांव 09669576333

उराँव समाज में संगोत्र विवाह वर्जित तथा उसके वैज्ञानिक आधार

डॉ. ए. तिर्की[1], डॉ. सी. अनुपा तिर्की[2]
[1]शासकीय जे.पी. वर्मा स्नातकोत्तर कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
[2]शासकीय गजानंद अग्रवाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भाठापारा (छ.ग.)

विवाह ईश्वर द्वारा मनुष्य के लिए पूर्व नियोजित सुन्दर वरदान तथा बहुमूल्य उपहार है। ईश्वर न केवल हरेक इन्सान का सृजन करता है बल्कि उनके प्रायोजन में उसके लिए उपयुक्त जीवन साथी की व्यवस्था भी है।

प्रत्येक उराँव के सम्पूर्ण जीवन में सबसे सुन्दर, आकर्षक व मनमोहक एवं महत्वपूर्ण दिन उसका विवाह का दिन होता है। विवाह उसके जीवन की सम्पूर्ण अभिलाषाओं तथा पूर्णता को सूचित करता है।

माना जाता है कि ईश्वर ही वैवाहिक संस्कार का संस्थापक है और इसलिए मनुष्य का वैवाहिक जीवन में प्रवेश करना ही ईश्वर की इच्छा को पूरा करना होता है।

उराँव समाज में परिवार, वंश एवं समाज के विस्तार एवं वृद्धि के लिए विवाह संस्कार आवश्यक व अनिवार्य माना गया है। इस पवित्र उद्देश्य की पूर्ति हेतु उराँव समाज प्रत्येक स्वस्थ्य व्यक्ति से विवाह करने के लिए आग्रह करता है। इस समाज में विशेष परिस्थितियों को छोड़कर आजीवन ब्रह्मचार्य की मान्यता नहीं है। विवाह संस्कार के पश्चात् ही एक सामान्य व्यक्ति समाज में पूर्ण मान्यता के साथ अपना सम्पूर्ण अधिकार (सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकार) समाज से प्राप्त करता है।

उराँव धर्म दर्शन और चिन्तन धारा में दाम्पत्य प्रेम पति–पत्नी के बीच तक सीमित नहीं रहता परन्तु उनका प्रेम पुत्र–पुत्रियों के रूप में पल्लवित व पुष्पित होता है। माना जाता है कि बच्चे ईश्वर की ओर से दिये गये सुन्दर वरदान व बहुमूल्य उपहार होते हैं। इस प्रकार उराँव विवाह, प्राकृतिक रूप से सन्तानोत्पत्ति की ओर उन्मुख होकर समाज की वृद्धि तथा विकास चाहता है।

समाज के प्रत्येक व्यक्ति सन्तान उत्पत्ति तथा उनके पालन–पोषण, शिक्षा–दीक्षा और स्वास्थ्य को उच्च प्राथमिकता देता है ताकि सम्पूर्ण उराँव समाज का पूर्ण विकास हो सके तथा उनकी संतान जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता अर्जित कर सुखी और सम्पन्नता के साथ जीवन यापन कर सके। **माता–पिता अपनी संतान के समग्र विकास के प्रयासों में अपने दाम्पत्य जीवन के आधे से अधिक समय तथा धन खर्च करने के लिए तत्पर रहते है।**

यहाँ पर इस बात का जिक्र करना आवश्यक है कि उराँव समाज में संतान की वृद्धि तथा समग्र विकास हेतु समाज द्वारा मान्यता प्राप्त विवाह के पश्चात् उत्पन्न पुत्र–पुत्रियों को ही स्वीकार किया जाता है। विवाह के बाहर उत्पन्न संतान अवैध मानी जाती है तथा सम्पूर्ण उराँव समाज के द्वारा अस्वीकृत होती है ऐसी संतान को समाज के सामान्य अधिकारों से वंचित होना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति पाहन बनकर धार्मिक कार्यो का सम्पादन और अनुष्ठान भी नहीं कर सकता।

उराँव आदिवासियों का विश्वास है कि एक गोत्र के सब लोग एक ही कुल के रक्त संबंधी संतान हैं। उराँव समाज में रक्त संबंध का महत्वपूर्ण स्थान है। एक गोत्र के लोग एक ही वंशज के माने जाते है। कहा जाता है कि रक्त संबंध के द्वारा ही हम कई पीढ़ियों तक एक दूसरे से जुड़े रहते हैं।

उराँव परम्पराओं में रक्त संबंधी को अपने कुल, वंश तथा अपने ही परिवार के सदस्य मानकर उन्हें विशेष स्नेह व सम्मान दिया जाता है चाहे वह अपरिचित व्यक्ति क्यों न हो।

उराँवों की मूल पारम्परिक व्यवस्था में संगोत्र विवाह वर्जित है चाहे वह पिता या माता की ओर से रक्त संबंधी रिश्तेदार हो।

परन्तु इस पुरातन वैज्ञानिक परम्परा में यह स्पष्ट नही है कि कितनी पीढ़ी तक के लोगों के बीच शादी नहीं हो

सकती ? इस विषय में उराँव समाज के अनुभवी बुर्जगों से साक्षात्कार लेने से या वार्तालाप करने पर बतलाया जाता है कि जितनी पीढ़ी तक खून के रिश्ते को याद कर सकते हैं उस पीढ़ी तक आपस में शादी नहीं होना चाहिए।

का द्योतक है और वर–वधु के गुण सूत्र अगली सात पीढ़ियों तक प्रवाहित होने का प्रतीकात्मक संकेत तथा वैज्ञानिक स्वरूप है।

उराँव समाज एक ही गोत्र के युवक–युवतियों के बीच विवाह को मना

होती है। रक्त संचार व रक्त निर्माण में गतिरोध उत्पन्न होता है।

4. थैलासीमिया – इस बीमारी के कारण शरीर में रक्त निर्माण नहीं होता है। शरीर में रक्त की कमी हमेशा बनी रहती है। मरीज को बाहर के रक्त

एक परिवार में माता–पिता के गुण–सूत्र के पीढ़ी दर पीढ़ी घटते क्रम को इस तालिका द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है –

गुण–सूत्र	पिता	+	माता	=	संतान का गुण सूत्र
पहली पीढ़ी	50	+	50	=	100 %
दूसरी पीढ़ी	25	+	25	=	50 %
तीसरी पीढ़ी	12.5	+	12.5	=	25 %
चौथी पीढ़ी	6.25	+	6.25	=	12.5 %
पांचवी पीढ़ी	3.125	+	3.125	=	6.25 %
छठवी पीढ़ी	1.5625	+	1.5625	=	3.125 %
सातवी पीढ़ी	0.78125	+	0.78125	=	1.5625 %

विज्ञान सात पीढ़ियों तक रक्त संबंध को प्रभावी रूप से बने रहने का प्रमाण देता है। उसके पश्चात् धीरे–धीरे एक व्यक्ति का गुण सूत्र पीढ़ी दर पीढ़ी कम होते जाता है। अन्त में जाकर समाप्त हो जाता है।

उराँव लोक गीतों के अनेक गानों में सात जन्म का उल्लेख मिलता है। उराँव समाज में विवाह रस्म पूरा करते समय वर पक्ष को वधु मूल्य के रूप में कुल सात रूपये अदा करना पड़ता है। इस लेन–देन में दोनों पक्ष के पंच उपस्थित रहते हैं तथा हँसी–मजाक के बीच उन सात सिक्कों का आदान–प्रदान होता है। यह रस्म निश्चित ही अगली सात पीढ़ियों

करता है। माना जाता है कि धर्मेश ने ही उराँव समाज को अलग–अलग गोत्रों में बांट दिया ताकि विवाह बंधन में गड़बड़ी न हो। कहा जाता है कि ईश्वर ने ही गोत्रों की स्थापना की ताकि नजदीकी सम्बन्धियों और रिश्तेदारों के बीच विवाह न हो सके।

एक ही वंश के युवक–युवतियों के विवाह से उत्पन्न संतानों में निम्न बीमारियों की सम्भावना होती है –

1. बौद्धिक दृष्टि से कमजोर होना।
2. शारीरिक दृष्टि से अपाहिज होने की सम्भावना।
3. सिकल सेल एनीमिया की बीमारी– जिसमें लाल रक्त कणिका की कमी

पर आश्रित रहना पड़ता है।

5. रंग दृष्टि हीनता– इसमें मरीज लाल व हरा रंग को पहचाने में असमर्थ होता है।

सारांश के तौर पर कहा जा सकता है कि उपर्युक्त वैज्ञानिक–वैवाहिक परम्परा एवं उराँव समाज के अन्य प्रमुख कीमती धरोहर को सहेज कर रखना प्रत्येक उराँव का सामाजिक व नैतिक कर्तव्य होना चाहिए।

जागते रहिये

–निर्मल मिंज
(जिला एवं सत्र न्यायाधीश) राजनांदगांव, छ.ग.

अपने देश को आजाद हुए 70 साल हो गये। अपने देश की आबादी सौ–सवा सौ करोड़ से अधिक हो गयी है। इन 70 सालों में हमारा मुल्क जिस गति से उत्थान करता उस गति से हमारे देश की उन्नति किन्हीं कारणों से नहीं हो सकी।

जो हो चुका है वह बहुत कुछ है, किन्तु जो किया जाना है वह उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। मैं प्रथम बार रांची–रायगढ़ रोड पर विगत सन् 1974–75 से राज्य परिवहन की बस से यात्रा किया तब भी बहुत संकीर्ण सड़क थी। वही सड़क आज भी यथावत् है जबकि इस अंचल के लिए रांची–रायगढ़ रोड, रायगढ़ जिला अब जशपुर जिला की लाईफ लाईन कही जाने वाली रोड़ है।

मैं दिनांक 26 मई 2017 को अपने परिवार के साथ बिलासपुर से सड़क मार्ग कोरबा, हाटी, धरमजयगढ़, पत्थलगांव होते हुए नवनिर्मित चर्च उद्घाटन के लिए अपने गांव पहुंचा। वही पुरानी ऊबड़–खाबड़ रांची–रायगढ़ रोड़ पर यात्रा कर मैं अपने गांव पहुंचा। इस अंचल की लाईफ लाईन रांची–रायगढ़ रोड़ में कई वर्षों के बाद भी आज तक कोई विशेष सुधार नहीं हो सका है। कुछ वर्षों पहले औद्योगिक घराना जिंदल समूह द्वारा रायगढ़ से पत्थलगांव तक की रोड़ को विशेष रूचि लेकर बनवायी गयी थी परन्तु अब जिंदल समूह द्वारा किन्हीं कारणों से इस रोड़ की मरम्मत कराने में रूचि न लेने के कारण यह सड़क पुरानी दशा में लौट आयी है।

पत्थलगांव से कुनकुरी तक का सड़क, राज्य मार्ग से राष्ट्रीय मार्ग निर्माणाधीन होने के कारण उस पर चल पाना अत्यंत ही कठिन था। मैं बमुश्किल अपनी कार को हाटी से धरमजयगढ़, पत्थलगांव से टूटी–फूटी सड़क पर चलाते हुए कुनकुरी पहुंचा। ठीक इसी प्रकार राजकीय रायगढ़ रोड़ में कोई सुधार नहीं दिखता है जैसा हमारे जशपुर अंचल में भी दूर–दूर तक कोई ज्यादा उन्नति दिखाई नहीं पड़ती है। भले ही जशपुर जिला से हजारों की संख्या में पढ़े–लिखे लोग विभिन्न विभागों में बड़े–बड़े पदों पर शोभायमान हैं परन्तु अपने गांव, जिला व समाज की उन्नति के लिए उनका किंचित मात्र का योगदान नहीं है।

मेरे गांव चटकपुर (बेनेचटकपुर) में दिनांक 29 मई 2017 को नवनिर्मित चर्च का उद्घाटन समारोह था। इस समारोह में हमारे गांव के निवासी जो पंजाब, दिल्ली व विभिन्न राज्यों में शासकीय सेवा में सेवारत व्यक्ति शामिल होकर उद्घाटन समारोह को सफल बनाये। मैं प्रत्येक वर्ष समय निकाल कर अपने परिवार के साथ अपने गांव एक–दो बार जरूर जाता हूं। अपने देश को स्वतंत्र हुए 70 साल होने के बावजूद अपने जशपुर अंचल के गांव की हालत शिक्षा, कृषि, सड़क, बिजली, आर्थिक, दशा में कोई विशेष सुधार अब तक नहीं हुआ है। इसी प्रकार अपने समाज में भी आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक सुधार के लिए संकीर्ण मानसिकता के कारण व जागरूकता के अभाव में तथा राजनैतिक उत्थान हेतु चेतना अब तक उत्पन्न नहीं हो सकी है।

उराँव झरोखा के पिछले दो अंकों में प्रकाशित लेख को पढ़ने के उपरांत कुछ समाज के प्रबुद्ध जनों ने अपने समाज में राजनैतिक शून्यता/चेतना के मुद्दों को उठाया है। पिछले विधानसभा चुनाव में कुनकुरी के अब्राहम तिर्की को एक राष्ट्रीय पार्टी से बमुश्किल कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र के लिए टिकिट मिला था परन्तु हमारे समाज के कुछ विघ्न संतोषी सदस्यों द्वारा पुरजोर विरोध व उनके विरूद्ध नकारात्मक मुद्दों को लेकर चुनाव प्रचार के कारण अब्राहम तिर्की को भारी मतों से विधानसभा चुनाव में हारना पड़ा।

अपने समाज के प्रबुद्ध जनों ने शायद ही चुनाव हारने के उपरांत विश्लेषण किया हो कि आखिर अब्राहम तिर्की के चुनाव हारने का क्या कारण था ? मैं नवनिर्मित चर्च उद्घाटन समारोह के दौरान अपने गांव के सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारियों व कुछ अनुभवी व्यक्तियों व बुजुर्गों के साथ अपने गांव के उत्थान के विषय में चर्चा कर रहा था, इसी दौरान एक गांव के सबसे वरिष्ठ प्रबुद्धजन अपनी व्यथा इस प्रकार प्रकट किये कि गांव के पढ़े लिखे आत्मीयजन बाहर राज्य में सेवारत हैं जो अपने माता–पिता, रिश्तेदारों, चर्च, गांव, अपने जिला व अंचल को भूल जाते हैं। जबकि उनका भविष्य पैदाइश गांव से ही प्रारंभ होता है। पढ़े लिखे हमारे बेटे–बेटियाँ अपने माता पिता, गांव को भूलते जा रहे हैं यह मेरे तथा समाज के

हित में भारी घातक है। निःसंदेह इस प्रकार की व्यथा प्रकट करने वाले वरिष्ठ नागरिक का दुख हमारे आपके लिए विचारणीय है।

भलाई करते रहिये पानी की तरह, बुराई खुद ही किनारे लग जायेगी कचरे की तरह....।

हमारे गांव के चर्च निर्माण के दौरान गांव के ही कुछ सदस्यों ने चर्च निर्माण में कोई अंशदान नहीं दी, न ही अपनी कोई सहभागिता दिखायी। उराँव झरोखा द्वारा इस अंक में समाज की दिशा और दशा पर लेख आहुत की गई है। हमारे गांव के चर्च निर्माण के दौरान अपने ही गांव के कुछ सदस्यों ने चर्च निर्माण के लिए कोई भी अंशदान, श्रमदान नहीं दिये। इस प्रकार अपने ही गांव की उन्नति के लिए किये जा रहे कार्यों के लिए अपने समाज के सदस्यों की सहभागिता नहीं मिलती है। इसी कारण हमारा समाज आज सभी दृष्टि से चाहे वह शिक्षा, आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक क्षेत्रों में पिछड़ते जा रहा है। इस प्रकार किसी भी कार्य में हम, आप अपनी सहभागिता न निभाकर अपने स्वयं व्यक्तिगत एवं समाज की दशा को सुधारने में अपना योगदान नहीं दे पा रहे है।

उराँव झरोखा के कुछ पाठकों व लेखकों ने राजनैतिक क्षेत्रों में अपने समाज के पिछड़ेपन को जोर देते हुए राजनैतिक क्षेत्र में आगे आने के लिए उत्साहवर्धन किये हैं परन्तु हमारा समाज शायद ही राजनैतिक क्षेत्र में आगे आ सकता है। राजनैतिक क्षेत्र में हमारे समाज के पिछड़ने के कई कारण हैं। मेरे स्वयं के दृष्टिकोण से राजनैतिक क्षेत्र में पिछड़ने का मुख्य कारण अगुवाई को न मानना है क्योंकि हम स्वयं पढ़े–लिखे होने के कारण भले ही लीडर न हो परन्तु अपने आप को हम सबसे बड़े लीडर की श्रेणी में रखते हैं।

हमारे समाज में नेताओं की कमी नहीं है परन्तु जो भी व्यक्ति समाज की भलाई के लिए अगुवाई करना चाहता है वह स्वयं हमारे समाज के ग्रामीणों, प्रबुद्ध जनों, पढ़े लिखों की मानसिकता को भाप कर समाज की अगुवाई करना नहीं चाहता है।

पूर्व चुनाव में पराजित अब्राहम तिर्की अपनी सेवा के बहुमूल्य शेष चार–पांच वर्षों को त्याग करते हुए समाज की अगुवाई के लिए सामने आये थे परन्तु हमारे समाज का बहुत बड़ा तबका उन्हें धूल चटाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा। इस प्रकार हमारे समाज के भले के लिए जिनकी सोच दूरदृष्टि नहीं है ऐसे नकारात्मक विचार के कारण समाज में राजनैतिक शून्यता उत्पन्न हुई है। इस वजह से राजनैतिक शून्यता में कोई अगुवाई करने के लिए सामने नहीं आता है और यदि अब्राहम तिर्की जैसे कोई आ भी जाता है तो उसे समाज की ओर से कोई सहभागिता नहीं मिलती है बल्कि उसे मुंह की हार का स्वाद चखना पड़ता है। इस कारण हमारे समाज में आज सामाजिक या राजनैतिक अगुवाई के लिए कोई सामने नहीं आता। पूर्व के राजनैतिक लीडर स्व. ब्लासियुस एक्का पूर्व वन मंत्री, स्व. लुईस बेक हमारे समाज के अगुवाई करने वाले लीडर थे। हाल ही में माननीय महोदया श्रीमती सुषमा स्वराज का आपरेशन कर जीवनदान देने वाला डॉ. मुकुट मिंज एवं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यालय में श्रीमान टोपनो महत्वपूर्ण पद पर पदस्थ हैं। ऐसे प्रमुख व्यक्ति प्रमुख कार्यालयों में अपनी सेवा देकर अपने समाज की अमिट छाप छोड़ी है। इस प्रकार हमारे समाज में सामाजिक, राजनैतिक अगुवाई करने वालों की कमी नहीं है।

आज के युवा वर्ग में आगे बढ़ने के लिए महत्वाकांक्षा का अभाव है। आज का युवा सिर्फ और सिर्फ अपने धुन में रहता है, उसे अपने समाज के हित में सामाजिक कार्य एवं सामाजिक सरोकार से कोई लेना–देना नहीं है जबकि आज के युग में हमारे युवाओं के पास अपने माता–पिता की शासकीय सेवा के कारण सारी मूलभूत सुविधाएं प्राप्त हैं। आज कई ऐसे परिवार हैं जो अपने गांव, अपने माता–पिता, रिश्तेदारों से मिलने–जुलने के लिए बहुत ही कम समय निकाल पाते हैं। हमारे समाज के युवाओं को खेती–बाड़ी में कोई रूचि न रह जाने के कारण वे अपने दादा'–दादी, नाना–नानी के गांव भी आना नहीं चाहते हैं। इस प्रकार आज हमारे युवाओं में सामाजिक, राजनैतिक अगुवाई करने के लिए स्वप्रेरणा का उनमें अभाव है।

छ.ग. राज्य के सभी प्रमुख समाचार पत्रों में दिनांक 15 जून, 2017 के अंक में प्रेरणादायी फोटो सहित यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष व पूर्व सांसद माननीय नंदकुमार साय अपने गांव के खेतों में हल चलाकर धान की बुआई करते हुये फोटो प्रकाशित हुआ है। अब इस सोच के साथ न उठें कि कल हम व तुम कुछ हासिल न कर सके बल्कि जागते रहिये कि आज मैं क्या हासिल कर सकता हूं।

यह समाचार व फोटो हमारे युवाओं के लिए जो कम पढ़े लिखे हैं या अधिक पढ़े लिखे हैं उनके लिये निश्चित रूप से प्रेरणादायी है क्योंकि आज हमारे समाज के युवाओं में खेती बाड़ी करने में व नांगर चलाने में कोई रूचि नहीं रह गयी है बल्कि वे इस महत्वपूर्ण कार्य को करने में पढ़े लिखे होने के कारण संकोचवश करना

जशपुरनगर। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष व पूर्व सांसद नंदकुमार साय ने अपने गृह ग्राम में खेतों में हल चलाया और बीजों की छिंटाई की। खेत में हल चलाते व बीज छिंटाई कर समय की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। साय बनियान व धोती पहने व गले में गमच्छा लपेटे हुए पूरी तरह किसान की वेशभूषा में हैं।

नहीं चाहते हैं। खेती से ही हमारा पूरे भारत देश का ढांचा खड़ा है। जबकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष जो कि राष्ट्रीय स्तर के आयोग के अध्यक्ष होने के बावजूद अपने किसान होने का परिचय देते हुये अपने खेत पर हल चला रहे हैं। यह समाचार व फोटो हमारे व आपके लिए प्रेरणादायी है कि कितने ही बड़े ओहदे पर रहकर अपने मूल कर्तव्य को नहीं भूलना है। कई अखबारों में अक्सर हम यह पढते हैं कि कई युवा विदेशों की अच्छी नौकरी छोड़कर अपने गांव में आकर बी.ई., एम.बी.ए. व अन्य उच्च डिग्रीधारी अपने गांव आकर वैज्ञानिक पद्धति से खेती कर अच्छी उपज प्राप्त कर नौकरी से बेहतर आय प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही साथ अपने गांव के कई बेरोजगारों को रोजगार मुहैया करा रहे हैं।

छ.ग. लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित करने वाले परीक्षाओं में प्रकाशित होने वाले परिणाम में हमारे समाज के युवाओं की संख्या नाममात्र ही दिखाई देता है जबकि अविभाजित मध्यप्रदेश राज्य के दौरान लोक सेवा आयोग में रायगढ़, जशपुर के युवाओं की संख्या अधिक हुआ करती थी। इसी प्रकार सिविल जज की परीक्षाओं में भी हमारे समाज के युवाओं की भागीदारी अल्प संख्या में है। इससे यह प्रकट है कि हमारे आज के युवाओं में महत्वकांक्षा की भारी कमी है। हमारे युवा दिशाहीन हो चुके है, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण भाव की कमी दिखाई देती है।

कभी–कभी प्रबुद्धजनों के संगत के दौरान यह चर्चा की जाती है कि हमारा समाज काफी उन्नति कर राज्य तथा देश के विभिन्न विभागों में सेवा कर उन्नति के लिए अपने सहभागिता दे रहा है। परंतु जहां तक मेरा स्वयं का अनुभव है उन्नति का ग्राफ अंतिम शिखर पर पहुंचकर अब उन्नति का ग्राफ नीचे की ओर सरक रहा है। इस बात को हम और आप भले ही स्वीकार नहीं कर पायेंगे लेकिन यह हकीकत है। लोगों के जुंबा से यह भी चर्चा की जाती है कि हमारा समाज काफी उन्नतशील हो चुका है इसका आधार चर्चा में भाग लेने वाले प्रबुद्ध जनों का यह तर्क है कि पूरे भारत देश के विभिन्न शहरों में हमारा समाज बस गया है और अपने–अपने बच्चों को अच्छे–अच्छे स्कूलों, महाविद्यालयों में पढ़ा रहे हैं। विभिन्न शहरों में अच्छे मकान व महंगी कार रखे हुये हैं यह महंगी कार व सुंदर मकान बैंक से लोन लेकर खरीदी गई हैं। इस पर हम यह गर्व करते हैं कि हमारे पास अच्छा मकान व महंगी गाड़ी है और इन्हीं दो चीजों से अपने समाज की उन्नति को मापने का प्रयास कर रहे हैं। मैं यह समझता हूं कि यह हमारी भूल हो सकती है क्योंकि मुझे बस्तर में सेवा देने का मौका मिला। बस्तर क्षेत्र के जनजातियों का आर्थिक ढांचा काफी मजबूत है। कई युवा छोटे मोटे व्यवसाय कर रहे हैं। बस्तर क्षेत्र के आदिवासियों की राजनैतिक पकड़ बहुत अच्छी है। जबकि तुलनात्मक अध्ययन से यह पाया जायेगा कि हमारे रायगढ़ जशपुर जिलों में शिक्षित वर्ग अधिक हैं। परंतु इसके बावजूद हमारा रायगढ़ व जशपुर जिला सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक क्षेत्र से काफी पिछड़ा हुआ है। हमारे समाज का राजनैतिक क्षेत्र में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है।

आज तक हम नौकरी के भरोसे होने से आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हो सके इसी कारण हमारी अगुवाई राजनीति में भी नहीं है न ही निकट भविष्य में राजनीति में अच्छी पकड़ हो सकती है। अपने समाज के प्रबुद्ध व्यक्ति राजनीतिक पिछड़ेपन के कारण हेतु केंकड़े का उदाहरण देकर मुझे समझाने का यह प्रयास कर रहे थे कि हमारा समाज केकड़े की जाति का है। जब कई केकड़ों को टोकरी में बंद कर देंगे, तब बंद केंकड़ों में से यदि कोई उस टोकरी से बाहर आने का प्रयास करेगा तो बाकी केंकड़ों उसके सभी अंगो को जकड़कर ऊपर आने ही नहीं देंगे और जो केंकड़ा ऊपर आने का प्रयास

करेगा वह केंकड़ा भी पुनः अन्य केंकड़ो के बीच ऊपर न जाकर नीचे ही आ जायेगा। यह उदाहरण सुनकर मेरा थोडा–सा मन खराब हुआ परंतु इसे मैं घर में जाकर चिंतन किया यह केंकड़े वाला उदाहरण अपने समाज के लिए खरा उतरता है। इसी कारण से हमारा समाज राजनैतिक क्षेत्र में पिछडा हुआ है क्योंकि जो व्यक्ति लीडरशीप करने का प्रयास करता है उसे लीडरशीप करने का मौका दिया ही नहीं जाता है बल्कि उसे हार की मुंह खानी पड़ती है। जो व्यक्ति या कोई भी समाज जो आर्थिक रूप से सक्षम है उसी समाज की कोई व्यक्ति विशेष ही आगे अपने समाज का अगुवाई कर पाता हैं। परंतु हम आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। इसी कारण हमारी राजनीति में पकड़ नहीं है।

जीवन यात्रा

व्यक्तिगत जीवन– जीवन यात्रा का प्रारंभ स्थान मात्र है।

समष्टिगत जीवन–जीवन का ध्येय बिन्दू गंतव्य ।

व्यक्तिगत जीवन –अपूर्ण है वह सामाजिक जीवन में आत्मसात होकर ही पूर्ण बनता है। आवश्यकता इस बात की है कि हमारा जीवन हमारे प्रत्येक कार्यकलापों का आधार व्यक्तिगत न होकर समष्टिगत हो – सार्वभौमिक हो। रचानात्मक और दूसरों के हितकारी हो। मनुष्य अपने लिए न जीये बल्कि समाज और संसार के लिए । इसी शब्द पर व्यक्ति और समाज का उत्थान संभव है। ताकि प्रत्येक समाज में परस्पर सहयोग, आत्मीयता, सौजन्य का संबंध कायम हो। अपने देश, समाज में मनुष्य के प्रत्येक प्रयास से ही सम्पूर्ण विश्व में शांति व इस धरती पर स्वर्ग की कल्पना साकार हो सकेगी।

छ.ग. राज्य में प्रत्येक जिलों में गोड़ समाज का गोंड़वाना भवन बना हुआ है। छ.ग. शासन द्वारा हमारे समाज को रायपुर में जमीन सार्वजनिक हित के लिए आबंटित किया है परंतु इस आबंटित जमीन पर न तो हम कोई बेहतर तरीके से उसका उपयोग कर पा रहे हैं न ही उस आबंटित जमीन पर कोई ढांचा खड़ा कर पा रहे हैं। यदि यही गति रही तो यह जमीन भी हमारे हाथों से निकल जायेगी और हम हाथ मलते रह जायेंगे। मैं इस लेख के प्रथम चरण में अपने गांव के चर्च निर्माण की सहभागिता को इसलिए दर्शाना चाहा क्योंकि हमारे समाज के सदस्यों में सहभागिता का अभाव है यदि सहभागिता होती तो आज रायपुर शहर में स्थित आबंटित जमीन पर हम कोई न कोई ढांचा खड़ा कर बेरोजगार युवकों को कोचिंग, अन्य मार्गदर्शन आदि देकर उन्हें समाज का सफल युवा/नागरिक तैयार कर सकते थे।

उराँव झरोखा पत्रिका द्वारा हमारे समाज की दशा व दिशा पर लेख जून–दिसम्बर अंक के लिए आहुत किया गया है। मेरी रायपुर में पदस्थापना के दौरान जनजातियों के लिए 32 प्रतिशत आरक्षण के दौरान सर्व आदिवासी संघ द्वारा राजेन्द्र नगर में अनेकों बार मीटिंग आहुत की गयी इस मीटिंग में अपने समाज के गिनती के तीन–चार ही प्रबुद्ध जन उपस्थित होते थे जबकि मीटिंग छ.ग. राज्य के सभी आदिवासियों के हित से जुड़ा हुआ मसला था। सर्व आदिवासी संघ के पदाधिकारियों ने शासन से लड़ाई लड़ी। शासन को इस प्रांत के युवा बेरोजगारों के लिए 32 प्रतिशत का आरक्षण की सुविधा देनी पड़ी है। मैं इस बात को इसलिए सामने ला रहा हूं कि जहां सर्व जनहिताय की बात हो वहां कम से कम समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपने तन, मन, धन की सहभागिता दिखाने की आवश्यकता है तभी समाज आगे बढ़ेगा और अपने देश, राज्य की उन्नति में अपना अंशदान दे सकेगा।

हमारे देश को स्वतंत्र हुये 70 साल हो गये हैं परंतु हमारा जशपुर अंचल आज भी सभी दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ है। इस अंचल के प्रबुद्ध जन, राजनीतिक व्यक्ति व पत्रकार भाईयों ने भी इस अंचल के उन्नति के लिए आवाज उठानी बंद कर दी है जबकि इस अंचल में स्व. दिलीप सिंह जूदेव कर्मठ व जुझारू राजनेता थे वे भी अपने राजनैतिक काल में इस क्षेत्र के विकास के लिए बहुत अच्छा प्रयास नहीं किये। आज इस क्षेत्र में विगत कई वर्षो से सत्ताधारी के विधायक महोदयगण अपने–अपने विधानसभा क्षेत्र में कार्यरत है परंतु वे भी इस अंचल के विकास के लिए आंखें मूंद रखे हैं। इस अंचल के सभी जनों की एक ही मांग है कि इस अंचल की सड़कें, विद्युत एवं स्वास्थ्य, शिक्षा व्यवस्था उचित व मानक स्तर का हो।

जो व्यक्ति इस जिले से बाहर अन्य जिलों, राज्य में शासकीय सेवा अथवा निजी सेवा कर आर्थिक रूप से सम्पन्न हो चुके हैं, वे भी अपने गांव, घर, चर्च, स्कूल के विकास के लिए कोई अंशदान नहीं दे रहे हैं जबकि ऐसे सम्पन्न व्यक्ति अपने माता पिता व भाईयों के लिए पक्का मकान निर्माण करा सकते हैं। इससे यह होगा कि हमारे और अन्य समाज के व्यक्ति भी निर्मित पक्के भवन को देखकर अपने स्वयं के लिए पक्का भवन निर्माण करने का सोचेगा और उसे मूर्त रूप दे सकेगा। फलतः इस अंचल में पक्के भवन के कारण विकास दिखाई देगा।

आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी, किसी को बाधा नहीं पहुंचाता बल्कि दूसरों

को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ता ।

अब तक हम सब ने अपने स्वयं, समाज व गांव, चर्च के लिए जो कुछ किया है उतने भर से हमारे समाज में बड़ा परिवर्तन और अधिक बदलाव की आशा–अपेक्षा कैसे की जा सकती है ? अभी तक मैं, आप, हम अचेतन अवस्था में ही है! किसी भी समाज की शिक्षा, आर्थिक सम्पन्नता, सामाजिक व राजनैतिक विकास, उस प्रगतिशील विकास का आईना होता है।

हमारे **समाज की दिशा व दशा** में कई दशक बीत जाने के बावजूद अभी तक कोई विशेष आर्थिक, सामाजिक सुधार नहीं हो सका है। इस प्रकार राजनैतिक चेतना तो शून्य में है। राजनैतिक क्षेत्र में पैर रखने के लिए हमारे समाज में सुदृढ़ आर्थिक सक्षमता होनी चाहिए अन्यथा राजनीति में पैर जमाने की कोई कल्पना नहीं है। इस अंचल के किसान किसानी कार्य के बाद बेरोजगार हो जाते हैं। आज इस बात की आवश्यकता है कि किसानी के साथ ही साथ आर्थिक रूप से सुदृढ़ होने के लिए छोटे–मोटे घरेलू अथवा अन्य व्यवसाय कर आर्थिक रूप से सक्षम हो सकते हैं अन्यथा इस अंचल का किसान आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हो सकता है। हमारे युवकों को इस दिशा में आज खुले दिमाग से विचार कर नौकरी की मोह को त्यागकर व्यवसाय के लिए अग्रसर होने की आवश्यकता है। आज हमें अपने स्वयं, समाज व इस अंचल के लिए सभी समाज के प्रमुखों के साथ विकास की गति देने के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है ।

मेरा जशपुर अंचल के सर्व समाज के प्रबुद्धजनों एवं विगत 15 वर्षो से अधिक समय तक सत्ताधारी माननीय विधायकों से अनुरोध है कि इस अंचल के विकास के लिए जषपुर विकास प्राधिकरण की मांग छ.ग. शासन से करें। रायगढ रांची रोड़ जो इस अंचल का लाईफ लाइन है हमेशा आवागमन के लिए उसकी स्थिति अच्छी हो। इस अंचल में बहुतायात अंश में सिंचाई सुविधा प्राप्त है परंतु कृषि/सब्जी मंडी के अभाव के कारण गरीब किसानों में अपने उपज/सब्जी को विक्रय न कर पाने के कारण अब किसानी कार्य से अरूचि हो गई है। इस अंचल के मरीजों के लिए एक सर्व सुविधायुक्त बड़े चिकित्सालय की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इन सभी बातों के लिए समग्र रूप से जागरूक पत्रकार, किसान भाईयों, प्रबुद्धजनों, राजनेताओं तथा इस अंचल में पदस्थ शासकीय सेवकों के सकारात्मक सोच से इस अंचल का उत्थान संभव हो सकेगा। ताकि जशपुर जिला जो सभी क्षेत्र में अत्यंत पिछड़ा जिला है, का समग्र विकास हो सके। पत्थलगांव से जशपुर जिले तक सड़क किनारे किनारे फलदार वृक्षों का सघन पौध ारोपण का सामूहिक प्रयास किया जाये।

उराँव झरोखा के जरिये मैं आपकी अचेतन अवस्था को जागृत कर आपकी स्वयं, अपने अंचल व समाज की उन्नति के लिए चेतना पैदा करना चाहता हूं। हमारे समाज के युवा वर्ग को आज न केवल मोबाइल व इंटरनेट में व्यस्त रहना है बल्कि आज उन्हें चहुमुखी विकास के लिए सकारात्मक सोच पैदा करने की आवश्यकता है। इसी संदर्भ में एक कहावत है कि ''जागत है सो पावत है, सोवत है तो खोवत है'' आइये हम सभी उठें और अपने समग्र विकास के लिए जागें। मैं चंद लाइन आपकी अचेतन अवस्था को जगाने के लिए पेश कर रहा हूं :–

''अपनी मेहनत, ईमानदारी
से बनी पहचान को,
न खोने दें इस भीड़ में ।
हम ही खो रहे हैं
अपनी पहचान को,
मुझे भरोसा है युवाओं पर,
बरकरार रखेंगे अपनी
पहचान को युवा फूंक दें,
जान खो रहे पहचान में
आप में है सारी शक्ति,
इस जहां में आप जहां भी
जायें कर्म करें निष्ठापूर्वक
पहचान खोते उराँव समाज
में अपनी मेहनत ईमानदारी,
निष्ठा से पुनः फूंक दे जान,
मृतप्राय समाज में जीवंत
प्राण उरांव समाज में।
अपनी मेहनत, ईमानदारी
से बनी पहचान को,
न खोने दे उराँव भाई
इस भीड़ में।''

अस्तित्व पर मंडराता खतरा

डॉ. विश्वासी एक्का
सहायक प्राध्यापक, हिन्दी, राजीव गाँधी शासकीय स्नातकोत्तर, महाविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.)
मो. : 9479140156

जीव जगत में मानव की पहचान सर्वथा अलग और विशिष्ट है। मनुष्य भी जीवधारी है और संसार के अन्य प्राणी भी। यों तो सभी जीवों की अलग पहचान है, शेर, भालू, हाथी, हिरण और पक्षियों में भी तोता, पंडुक, मोर, तीतर, कपोत आदि; फिर भी वे समग्रतः जानवर और पक्षी कहलाते हैं, वहीं अपनी विशिष्टताओं के कारण हम मनुष्य। सभी जीवधारियों में प्रकृति ने मनुष्य को ही कुछ ऐसे जैविकीय वरदान प्रदान किये हैं, जिससे वह कुछ नया रच सकता है, कुछ नया सोच सकता है और अपनी रचनात्मकता और धरोहर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होता है और पशु से मनुष्य बनता है। संस्कृति ही किसी मानव समुदाय को विशिष्ट पहचान देती है।

प्रत्येक मानव समुदाय की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति होती है। आदिवासी समुदाय की भी एक संस्कृति है। उनकी संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं में उनकी बोली, खानपान, रहन–सहन, रीति–रिवाज, पर्व, त्यौहार, वेशभूषा, उनके विचार, मान्यताएँ और मूल्य, सामूहिकता यहां तक की उनका धर्म भी संस्कृति की परिधि में परिगणित होते हैं। आदिवासी समुदाय की कुछ बातें सदैव से गैर आदिवासी समुदाय के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती रही हैं, यही कारण है कि पिछले कुछ वर्षों में आदिवासियों को केन्द्र में रखकर अनेकानेक शोध कार्य चल रहे हैं और शोधों से प्राप्त निष्कर्ष लोगों को आश्चर्यचकित कर रहे हैं। फिर संपूर्ण विश्व को आश्चर्यचकित कर देने की क्षमता रखने वाला आदिवासी समुदाय स्वयं को अपनी संस्कृति के कारण पिछड़ा और शर्मिन्दा क्यों महसूस कर रहा है ?

कुँड़ख समुदाय को केन्द्र में रखकर यदि संस्कृति की बात की जाए तो सर्वप्रथम उनकी भावाभिव्यक्ति के माध्यम, उनकी बोली कुँड़ख को रखा जा सकता है, तदुपरान्त उनकी जीवन शैली की उन तमाम बातों जैसे रहन–सहन से लेकर धर्म तक। प्रत्येक आदिवासी समुदाय की एक विशिष्ट बोली है जिससे वो पहचानी जाती है। भारत की कुछ जनजातियां जैसे हल्बा (हल्बी), गोंड़ (गोड़ी), मुण्डा (मुण्डारी), संथाल (संथाली) कुँड़खर या उरॉव (कुँड़ख) आदि।

प्रत्येक आदिवासी समुदाय में उनकी बोली एक ऐसा महत्वपूर्ण घटक है जो उस समुदाय की एक विशिष्ट पहचान बनाती है। आधुनिक युग में संपूर्ण विश्व परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। आदिवासी समुदाय पर भी इसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। कोई भी मानव समुदाय अपनी संस्कृति को तब तक जीवंत बनाये रख सकता है जब तक वह परिवर्तन के रूप में आधुनिकता और परम्परा के रूप में प्राचीनता को बनाये रखे। अतः विश्वभाषा अंग्रेजी और हिंदी के साथ अपनी आदि बोली कुँड़ख को जानना ही उन्हें जीवन शक्ति प्रदान करेगा। यह कार्य कठिन जरूर है लेकिन असंभव बिल्कुल नहीं। विश्व में कई जनजातियां है जिनके पास उनकी अपनी बोली नहीं है; या तो अपनी उदासीनता और सवर्ग मानसिकता के कारण उसे खो चुके हैं या वह आज लुप्तप्राय है। यह चिंता का विषय है कि यूनेस्को की सूची में कुँड़ख बोली को लुप्तप्राय भाषा के तौर पर सूचीबद्ध किया गया है। जिन जनजातियों ने अपनी बोली को खो दिया है वे आज सिर्फ पछतावा ही कर रही हैं। बोलियों पर मंडराने वाला यह संकट भाषाओं पर भी कभी भी आ सकता है।

बांग्ला आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं में अत्यंत समृद्ध भाषा है उसका साहित्य भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। आज इस भाषा की जो सम्मानजनक स्थिति है वह एक दिन में नहीं बनी। इसे इस स्थिति तक पहुँचाने का श्रेय बांग्ला भाषियों को ही जाता है। जब बांग्ला इतनी समृद्ध नहीं रही होगी तो उसे भी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ा होगा, बांग्ला भाषा बोलने पर लोग उन पर हँसते रहे होंगे, उनका मजाक उड़ाते रहे होंगे लेकिन उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा, बांग्ला भाषा बोलने के साथ वे साहित्य सृजन में भी लगे रहे और वह भाषा आज भारत की

पूर्वी पाकिस्तान में बांग्लाभाषियों ने जोरदार प्रदर्शन किया था। 21 फरवरी, 1952 को प्रदर्शन के दौरान पुलिस फायरिंग में कई लोग मारे गये थे, आखिरकार पाकिस्तान सरकार को बांग्ला भाषा को भी समान दर्जा देने की घोषणा करनी पड़ी। (जागरण संवाददाता, कोलकाता)

कुँड़ख समाज में भी ऐसी चेतना आवश्यक है। यह देखा जाता है कि पढ़े–लिखे स्वयं को संभ्रांत वर्ग में गिनने वाले कुँड़ख न जानने का अभिनय करते भी देखे जा सकते हैं। उनका यह अभिनय जब सच हो जायेगा तो वे केवल मूक पात्र भर रह जाएंगे।

आज की युवा पीढ़ी पर अपनी बोली पर मंडराने वाला खतरा अधिक हावी हो रहा है। इसके लिए उनके माता–पिता नहीं चाहते कि उनके बच्चे कुँड़ख बोले।

अपने बच्चों के कुँड़ख न बोल पाने को वे गर्व से दूसरों को बताते हैं। जबकि आज कुँड़ख बोली की महत्ता अन्य भाषा–भाषी भी स्वीकार कर रहे हैं, उस पर शोध हो रहे हैं, साहित्य लिखा जा रहा है, विश्वविद्यालयों में कुँड़ख अध्ययन केन्द्र खोले जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी ने अंतर्राष्ट्रीय मातृ भाषा दिवस पर कुँड़ख भाषा को आधिकाधिक दर्जा प्रदान किया है। इसके साथ ही उन्होंने उत्तर बंगाल के विभिन्न इलाकों में बोली जाने वाली राजवंशी/कामतापुरी भाषा को भी जल्द ही आधिकाधिक दर्जा दिये जाने की बात कही। (जागरण संवाददाता कोलकाता)

ओडिशा, असमीया, बांग्ला, मराठी, पंजाबी, गुजराती, तमिल, तेलगू, मलयालम जैसी भाषाओं के साथ ब्रज, बुंदेली, बघेली, खड़ी बोली बोलने वालों को अपनी बोली और भाषा पर गर्व है तो कुँड़ख समाज के लोग अपनी बोली को लेकर क्यों लज्जित हो रहे हैं? यह चिंता का विषय है। जब कोई उनसे कुँड़ख में बात करता है तो वे हिंदी में जवाब देते हैं, इसका मतलब है कि वे कुँड़ख जानते हैं लेकिन बोलना नहीं चाहते। यह बात भी कुछ हद तक सत्य है कि कुँड़ख बोलते हुए लोगों की जबान लड़खड़ाती है। जब बच्चा चलना सीखता है तो उसके कदम लड़खड़ाते हैं, वह बार–बार गिर पड़ता है फिर भी वह चलना नहीं छोड़ता है और फिर दौड़ने लगता है।

कुँड़ख बोली पर आया यह संकट कुँड़ख समाज के अस्तित्व के लिए खतरा है। इस खतरे का आभास समाज के अतिरिक्त अन्य लोगों को भी है। प्रतियोगी परीक्षाओं के साक्षात्कार में कुँड़ख बोली और संस्कृति से संबंधित प्रश्नों के उत्तर प्रतिभागी नहीं दे पाते। आज भी समय है जब जागे तभी सवेरा अन्यथा तो सोने वालों का, कई सुबहें भी कुछ नहीं कर सकतीं।

कुँड़ुख़ लोकगीतों में जीवन–मूल्य

डॉ. (श्रीमती) इसाबेला लकड़ा
सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) संत गहिरा गुरू शास. महावि. लैलुंगा जिला– रायगढ़ (छ.ग.)

लोकजीवन का सहज और यथार्थ चित्रण लोकगीतों में प्राप्त होता है। काव्य का लक्ष्य आनंद की प्राप्ति होती है। अतः जितने सरल, सरस और हृदयग्राही भाव लोकगीतों में प्राप्त होंगे, यह शिष्ट गीतों या कविता में प्रायः नहीं मिलेंगे। लोकगीत एक ऐसा दर्पण है जिसमें व्यक्ति, समाज और यहाँ तक कि सम्पूर्ण राष्ट्र अपना यथार्थ प्रतिबिम्ब देख सकता है। यह कहा जा सकता है कि लोकगीतों का तादात्म्य मानव–जीवन में शरीर और आत्मा की तरह संग्रहित है। लोकजीवन के साथ–साथ प्रत्येक पहलू कुँड़ुख़ लोकगीत में लोकजीवन के वैविध्य लोकधुन, लोकताल, लोकनर्तन, लोकगायन के लिए लोकजगत् में चर्चित हैं, जो लोकसंस्कृति के स्पंदन में लोकगीतों से अभिव्यक्त होता है। कुँड़ुख़ लोकगीत लोकजीवन में इतने समरस हैं कि मौसम के मिज़ाज के अनुसार इनके जीवन में भी परिवर्तन परिलक्षित होता है। प्रत्येक युग परिवर्तित चिंतन और नूतन मूल्यों का प्रतिनिधि होता है। जीवन मूल्यों पर चलकर ही घर, समाज और देश के चरित्र का निर्माण होता है। 'मूल्य' यानी जीवन के रास्ते को तय करने के लिए मूलभूत आधार। जीवन मूल्य में सच्चाई, सहनशीलता, नम्रता, विश्वास, संतुलन, स्वतंत्रता, आदर, संतुष्टता आदि सम्मिलित हैं।

भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बहु विस्तृत विज्ञान को समझना, परखना और उसका अवलोकन करना आसान कार्य नहीं है। प्रकृति का कण–कण, पेड़–पौधे, शिलाखंड, धूल–मिट्टी सभी अपने एक–एक अणु में, साक्षी रूप में भारत की वैभवपूर्ण संस्कृति के स्मृति अंशों को सहेजे समेटे हैं।

प्राचीन साहित्य भारतीय संस्कृति की बहुमूल्य निधियों में समाविष्ट है। लोकगीतों में कुँड़ुख़ संस्कृति से संबंधित रीति–रिवाज़ों, लोकपरंपराओं, प्रतीक–चिन्हों तथा भारतीय धर्म, दर्शन, साहित्य, इतिहास, कला आदि का सारगर्भित और रोचक वर्णन है। अपनी थापी को परखकर अपनाने का आह्वान भी लोकगीतों का उद्देश्य है। युगों–युगों से मनुष्य ने त्याग, सत्य, दया, ममता आदि मूल्यों का सम्मान किया है। यही वे मूल्य हैं जो मनुष्य को पशुत्व की कोटि से ऊपर उठाते हैं और यही उसे देवत्व तक पहुँचाते हैं।

कुँड़ुख़ लोकगीतों में जीवन–मूल्य संरक्षित है। यही कारण है कि समग्र मूल्यों को समेटते हुए कुँड़ुख़ लोकगीत अस्मिता के अन्वेषण, जीवन–दर्शन, नैतिक, सामाजिक, साहित्यिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक मूल्यों आदि को गूँथकर कुँड़ुख़ लोकगीतों के माध्यम से कुँड़ुख़ लोकतत्व की अभिव्यक्ति करते हैं।

सामाजिक मूल्य– लोक में जन्मी, लोक में उपजी, लोक को समर्पित लोकगीत लोकमानस में रची–बसी है। उसमें 'लोक' अर्थात् सामाजिक मूल्य प्रतिफलित है। उसमें सामाजिकता का स्वर प्रमुख होता है। इमसें समाज के यथार्थता का अंकन होता है। इस तरह से लोकगीत व्यैक्तिक मूल्यों को समष्टिगत् मूल्यों में समाविष्ट कर जीवन साहित्य में प्रतिष्ठित करती है। भारतीय समाज में परिवार का महत्व सनातन काल से स्वीकारा गया है। भारतीय संस्कृति और कुँड़ुख़ संस्कृति में माता–पिता को देवता तुल्य माना है यथा–

अयो– बबा उजिना गुटी
बड़ा एख़ डबचकी रई रे।
अयो– बबा चाइल कालोर
बड़ा एख़ बिड़िना मनो (रे)

(जब तक वट वृक्ष की तरह माँ–बाप की छाया है, तब तक उसे सुख–शांति उपलब्ध होगी, लेकिन उनके छोड़ जाने के बाद सुख की छाया की जगह दुःख की प्रचण्ड गर्मी को ही झेलना होगा)

प्रकृति के गान। लोकगीत में मनुष्य समाज इस प्रकार प्रतिबिम्बित होता है जैसे कविता में कवि। कुँड़ुख़ संस्कृति में पूरा गाँव ही एक पारिवारिक इकाई है। इसमें सभी मिलकर लोकव्यवहार का परिपालन करते हैं–

जिंदगी नू रीझ ननोत बरतो भंवरो लेखा
भइया रे (मोर) इन्नागा भले जुमुरकात (सोना)
ओनोत हूँ, मोख़ोत हूँ, पाड़ोत किलकिला लेखा,
भइया रे (मोर) इन्नागा भले जुमुरकात (सोना)
नालोत हूँ, बेचोत हूँ, तोकोत मिंजुरा लेखा
भइया रे (मोर) इन्नागा भले जुमुरकात (सोना)

(हे आत्मीय जन! हम सब यहाँ समूह में एकत्रित हैं इसलिए हम सबको नाच गाकर जीवन के आनंद को बाँटना है। किलकिला पक्षी विशेष की तरह सुंदर स्वर–लहरी से सबके कानों में मधुरस घोलना है। भ्रमर की तरह गुंजार करके प्रेम का प्रसार करना है और मयूर की तरह नर्तन करके आनंद की अभिव्यक्ति करना है)

नैतिक मूल्य– नैतिक शब्द नीति से बना है। मनुष्य का व्यवहार जो समाज को सुंदर बनाता है नैतिक मूल्यों के अंतर्गत आता है। धर्म और लोकसाहित्य नैतिक मूल्यों के स्रोत हैं। जो कुँड़ुख़ लोकगीतों में संग्रहित है। नैतिक मूल्य एक तरह से भारतीय संस्कृति की पहचान है, पुरखों से विरासत में मिली अनमोल धरोहर है। कुँड़ुख़ लोकगीतकार जो उपदेश देता है, वह प्रचारात्मक न होकर जीवन के प्रति सकारात्मक सोच को उजागर करता है। अधोलिखित कुँड़ुख़ लोकगीत में कबीर के 'ज्यों कि त्यों धर दीनि चदरिया' के उपदेश को आँचलिक स्वरूप के साथ गूँथ दिया गया है–

जिया एड़पा अकय सुंदर रई भईया
जिया एड़पान अम्बा बीसा रे
कया एड़पान अम्बा बीसा रे
लड़ाई झगड़ा जियान खेंदा लगी भईया
जिया एड़पान अम्बा बीसा रे.

(हे भाई! हृदय रूपी घर कितना सुंदर है। उसे मत बेचो शरीर रूपी आवास को मत बेचो। लड़ाई–झगड़ों, लोभ–लालच, ईर्ष्या, अहं इत्यादि से अपने हृदय रूपी घर को मत बेचो)

धार्मिक मूल्य– भारतीय समाज में मूल्यों का प्रमुख स्रोत धर्म रहा है, धर्म मनुष्य को केवल पूजा–अर्चना का ही मार्ग नहीं दिखाता बल्कि जीवन मूल्यों के प्रति आस्था उत्पन्न करता है। उपनिषदों के 'सत्यम् वद् धर्मचर' से लेकर मनुस्मृति और भर्तृहरि के नीतिशतक तक और कबीर और तुलसीदास से लेकर रहीम के नीति काव्य तक व्याप्त नीति साहित्य मानव मूल्यों की प्रतिष्ठा का प्रत्यक्ष प्रयास है। धर्म यदि कटु औषधि है, तो साहित्य एक शर्करा वृतक गोली। साहित्य हमारी मूल प्रवृत्तियों का परिमार्जन करता है, हमारे व्यवहार को संस्कार देता है, हमारे व्यक्तित्व का विस्तार करता है और जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा करता है।

कुँड़ुख़ लोकगीतों में धार्मिक मूल्य प्रतिष्ठित है, जो लोकगीतों से स्पष्ट आभाषित होता है। लोकगीत में लोकगीतकार का मंतव्य है कि कीर्तन–भजन से शांति मिलती है लेकिन इसके लिए सभी प्रकार के अन्य संघर्षों को छोड़ना होगा–

निग्हैं ख़ेड़ड मूली नू एम धरमें बरेचकम 2
चाड़ेम शांति चिआ धरमे चाड़ेम शांति चिआ
लड़ाई झगड़ा अम्बर की निग्हैं हेदे बरेचकम
चाड़ेम शांति चिआ धरमे चाड़ेम शांति चिआ।।

(हे ईश्वर! हम आपकी शरण में आये हैं। शीघ्र हमें शांति प्रदान करें। लड़ाई–झगड़ा, ईर्ष्या–द्वेश, सब कुछ छोड़कर शरणागत् हैं। आप हमें शांति प्रदान कीजिए)

आध्यात्मिक मूल्य– आध्यात्मिक शब्द 'अधि–आत्म' में इक प्रत्यय लगाने से बना है। आध्यात्म का अर्थ है 'आत्मा से संबंध रखने वाला या अंतर्दृष्टि। अतः आध्यात्मिकता का अर्थ हुआ आत्मा से संबंधित।

कुछ ऐसे उदात्त मानवीय गुण हैं जो समाज से उपर हैं, जो हर समाज में अभिनंदनीय है, ये वे जीवन मूल्य हैं जो जीवन को सुंदर बनाते हैं। धर्म और मोक्ष संबंधी मूल्य आध्यात्मिक मूल्य माने जाते हैं। कुँड़ुख़ लोकगीतकार मानो यह संदेश देता है कि धर्म का आचरण करते हुए अर्थ का संग्रह करो, अर्थ से कामनाओं की पूर्ति करो और मोक्ष को जीवन का अंतिम लक्ष्य मानो–

दुनियान्ता धन खुर्जी एंदेर काम चिओ मेरेख़ागे
एंदेर काम चिओ दरा बेंदआ लगेदय उल्ला माख़ा
दुनियान्ता माया–मोह एंदेर काम चिओ मेरेख़ागे
एंदेर काम चिओ दरा बेंदआ लगेदय उल्ला माख़ा
विश्वास, भरोसा, चोन्हा, काम चिओ मेरेख़ागे
पेसा–पेसा बेंदआ भईया, इदिम गा काम चिओ मेरेख़ागे
धरम अरा दौ नलख इदिम काम चिओ मेरेख़ागे
पेसा–पेसा बेंदआ भईया, इदिम गा काम चिओ मेरेख़ागे।

(परलोक के लिए दुनिया का धन–दौलत, माया–मोह क्या काम देगा ? क्यों तुम इसे दिन–रात जमा कर रहे हो। स्वर्ग के लिए विश्वास, भरोसा, प्रेम ही काम देगा। हे भाई! तुम इन सद्गुण–रूपी मोतियों को जमा करो। धर्म और पुण्य कर्म ही स्वर्ग के लिए सोपान साबित होगा। तुम अपना समय इन सत्कार्यों में लगाओ)

जीवन दर्षन मूल्य– यदि शिष्ट साहित्य में दर्शन एक विचारधारा के रूप में प्रतिच्छवित होती है तो लोकसाहित्य में यह लोकजीवन के साँचे में ढलकर अर्थात् जीवन–दर्शन के रूप में अभिव्यक्ति पाती है। कुँड़ुख़ लोकजीवन में दर्शन या विचार किसी मत के प्रचार के लिए न होकर जीवन के व्यवहार के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इसलिए कुँड़ुख़ लोकगीतों में ये दर्शन जीवन के अंग और लोकसंस्कृति के संग बनकर प्रस्तुत होते हैं। अधोलिखित कुँड़ुख़ लोकगीत की पंक्तियों में स्वर्ग की संकल्पना की गई है–

मेर्खा राजीदिम भइरो नम्हैं एड़पा पाली
नम्हैदिम चाली बाली भाइरो...
ई खेखेल राजीन्ता अन्न–धन्नन अम्बरकी
नमागे उंदुल काना मनोदिम मनोदिम
ओरमा आलरगेम भइरो उर्मीन अम्बना मनो,

नीदिम काना मनो ख़ेख़लती भइरो...
ई खेखेल राजीन्ता मोह अम्बरकी
नमागे उंदुल काना मनोदिम
धरमी आलरदिम भइरो कालोर मेर्खा राजी
आरिम अकय खुशमरओर भाइरो।

(स्वर्ग राज्य ही हमारा घर–द्वार है। इस संसार का अन्न–धन सब छोड़कर हमें एक दिन जाना होगा। सब लोगों को सब कुछ छोड़कर खाली हाथ जाना पड़ेगा। इस संसार का माया–मोह छोड़कर एक दिन जाना ही पड़ेगा। धर्मी लोग ही स्वर्ग जायेंगे। वे ही अनंत सुख भोगेंगे)

व्यैक्तिक मूल्य– कुँड़ुख़ लोकगीतों में शाश्वत मूल्यों की प्रतिष्ठा सतत् होती रही है। लोकगीतों में उदारता, मानव प्रेम, राष्ट्रीयता की भावना भरी है। परिवार नैतिक मूल्यों के अर्जन की पहली पाठशाला है। मनुष्य जब स्व का विस्तार करता है तो उसका पहला व्यापकत्तर क्षेत्र परिवार होता है। माता–पिता, भाई–बहन, बेटा–बेटी, पति–पत्नी और अन्य पारिवारिक संबंधों की नींव ही त्याग और समर्पण पर रखी गयी है। कुँड़ुख़ लोकगीतों में आत्मिक संबंधों पर आधारित सच्चे प्रेम का चित्रण है। परिवार केवल औपचारिक संबंधों का नाम नहीं है वरन् वह सबकी भलाई और मंगलकामना प्रदर्शित करने का सामूहिक संस्थान है।

अयो बबा मेल रओत होले 2
एड़पा नम्हैं एकआ नगद शोभओ 2
भैया–बहिन मेल रहोत होले
ददा नासगो मेल रहोत होले
एड़पा नम्हैं एकआ नगद शोभओ..

भारतीय संस्कृति में नारी को समर्पणमयी पत्नी वात्सल्यमयी माता और ममतामयी बहन के रूप में चित्रित किया गया है। वह स्वयं त्याग की मूर्ति है। कुँड़ुख़ लोकगीतों में नारी की उदारता, त्याग, एकनिष्ठता, ममता और करूणा के कई रूप दृष्टिगोचर होते हैं।

राजनीतिक मूल्य– जिन राजनीतिक मूल्यों को लेकर किसी समाज का ढाँचा तैयार किया जाता है और वह हमारे जीवन में इतनी घुलमिल गयी है कि उसके अतिरेक से न समाज बच सकता और न लेखन ही। कुँड़ुख लोकगीतों में एक राष्ट्र की कल्पना, शोषण हीन समाज की कल्पना है। महापुरूष महात्मा गाँधी की चर्चा लोकगीत में दृष्टव्य है–

गाँधी रे गाँधी बबस
गाँधी बबस कानून ती लढ़चस रे
कोंहा–कोंहा सिपाहिर बंदुक ती लड़चर
गाँधी बबस कानून ती लड़चस रे।

(गाँधी बाबा कानून के अस्त्र से अंग्रेजों से लड़े जबकि बड़े–बड़े योद्धाओं और सिपाहियों ने अस्त्र–शस्त्र का प्रयोग किया। ज्ञात हो कि कुँड़ुख लोकजीवन ने भी अहिंसक शक्ति स्वरूप को परख़ लिया था)

सांस्कृतिक मूल्य– यद्यपि समाज व्यक्ति और परिवार के संबंधों पर आश्रित होते हैं तथापि उसकी पहचान सांस्कृतिक प्रदेय पर पुष्ट होता है। संस्कृति जो लोकमंगल के लिए आधार तलाशती है, जन–जन में व्याप्त यही संस्कृति अपनत्व, निजता, अस्मिता और स्वत्व को प्रबोधित करती है। यह सांस्कृतिक मेल या जुड़ाव अटूट अभेद्य एवं अकाट्य होता है। कुँड़ुख लोकगीतों में सांस्कृतिक मूल्य दिखाई देती है जो लोककंठ से प्रस्फुटित होकर समाज को समर्पित है। कुँड़ुख लोकगीतों में पर्व–त्यौहार, उत्सव की धमक बनी रहती है। यही कारण है कि ये अभाव में भी मस्ती का जीवन जी लेने की कला में सिद्धहस्त हैं। त्यौहार इनके लिए केवल धार्मिक आस्था के प्रतीक ही नहीं है वरन् जीवन के मनोवैज्ञानिक उपचार भी हैं। करमा लोकगीत दृष्टव्य है–

करम–करम बअदी पेलो कोय
करम निग्हैं एकसन रई
पूरबे हूं मला पश्चिमें हूं मल्ला
जियन सोचअे जियानुम रई
कायान सोचअे कायानुम रई।

हे लड़की! तुम करम–करम कहती हो करम तुम्हारा कहाँ है ? पूर्व दिशा में नहीं तथा पश्चिम दिशा में नहीं है। हृदय से सोचोगी तो हृदय में है और शरीर से सोचोगी तो शरीर में है अर्थात् तुम्हारे बहिरंग और अंतरंग दोनों में समाया हुआ है।

निष्कर्ष–जीवन मूल्य, मानव के अस्तित्व के लिए जरूरी है। मूल्य मानव समाज को उदारता प्रदान करते हैं। जब मनुष्य 'स्व' के दायरे को लांघकर 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' की कामना करने लगता है तो वह पूर्ण मनुष्यत्व की ओर अग्रसर होता है। कुँड़ुख़ लोकगीतों में जीवन–मूल्य अपनी चरम् स्थिति पर है। उनकी मान्यताएँ चिरंतन भारतीय मूल्यों पर टिकी थी। मूल्यों का प्रारंभ परिवार से होता है। लोकगीत और जीवन मूल्यों का घनिष्ठ संबंध है। लोकगीत में सहजता है, जो हृदय को छू लेता है, वही हमें लोकव्यवहार सिखाता है, तो वही हमें लोकधर्म और जीवन मूल्यों से साक्षात्कार कराता है, जो कुँड़ुख लोकगीतों में स्पष्ट परिलक्षित है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. मूल्य मीमांसा, गोविंद चन्द पाण्डे
2. कुँड़ुख भाषा और साहित्य का लोकतात्विक अनुशीलन, डॉ. इसाबेला लकड़ा
3. मौसमी राग, फा. जॉन लकड़ा

हमारा नेता कैसा हो ?

– अथनास किस्पोट्टा, गिनाबहार

जब भी झरोखा खोलता हूं नेता,नेतृत्व, एकता,संगठन, राजनीति, रणनीति, चुनाव आदि शब्दों से रू–बरू होता हूं । ये वे शब्द हैं जो एक जीवंत जुझारू एवं सशक्त समुदाय के अस्तित्व के लिये अतिआवश्यक है ? ये ऐसे शब्द हैं जो जीवनदायिनी प्राण वायु के समान हैं जो समुदाय को एक पहचान प्रदान करते हैं, ये शब्द पौष्टिक पदार्थों के समान हैं जिनकी उपस्थिति से समाज ताकतवर बनता है। इनके अभाव में समाज की स्थिति लुंज–पुंज अथवा मुरदे के जैसी हो जाती है। जब भी चुनाव लहर लहराने लगती है तब समाज में किंचित हलचल होने लगती है और जल्दबाजी में उन पौष्टिक तत्वों से युक्त ग्लूकोस बॉटल संबंधित उम्मीदवार में धकापेल चढ़ाया जाता है नतीजा यह होता है कि उम्मीदवार लड़खड़ाता हुआ खड़ा हाने की कोशिश करता है, जन–सम्पर्क का प्रयास करता है पर अंततोगत्वा औंधे मुंह गिर जाता है। जब भी चुनाव आते हैं तब हताशा आ घेरती है कि अब की बार भी अपना समुदाय अपने क्षेत्र के लिये एक नेता खड़ा करने में असफल रहा, चुने जाने की तो बात ही भूल जाएं। समुदाय में एक नेता पर अंत तक दुविधा की स्थिति बनी रहती है सहमति की स्थिति ही निश्चित नहीं हो पाती–नतीजा शून्य रहता है।

देश की आजादी के बाद से ही चुनाव संपन्न हो रहे हैं और हमारे आदिवासी नेता चुने जा रहे हैं। सुरक्षित सीट होने और प्रतिस्पर्धा न के बराबर होने के कारण एक शिक्षित आदिवासी की तलाश होती थी जो क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करे। कुछ चुनावों तक ऐसे पुराने चिर परिचित नाम

दबंग, दमदार, बाहुबली हो.....

ही उभर–उभर कर आते रहे, मसलन श्री जोहन एक्का, श्री ब्लासियुस एक्का, श्री लुईस बेक इत्यादि। उनके बाद तो उरॉव आदिवासी (ईसाई) का नाम तक नेता की पंक्ति में लिखा नहीं जाता। इधर भारतीय राजनीति में एक परम्परा चल निकली है हर चुनाव में प्रबल होती देखी जा सकती है अर्थात् इसमें नेता (परिवार मुखिया) नेता पुत्र–पुत्री, पुत्र वधू, दामाद, भाई, भतीजा, आदि नेतागिरी का मोर्चा संभाले रहते हैं इसमें यदि एक असफल भी हो गया तो क्या हुआ परिवार में नेतागिरी की छाप तो अमिट स्याही की तरह अमिट सी रहती ही है हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे नेताओं को इसकी समझ नहीं आई अथवा हो सकता है उनके पास नेतागिरी की परंपरा को चालू बनाये रखने की व्यवस्था नहीं थी या परिवार के किसी सदस्य में इस परंपरा को आगे बढ़ाने की क्षमता नहीं थी, अतः आदिवासी नेतृत्व उन्हीं बुजुर्ग नेताओं के साथ विस्मृत अथवा सिमट सी गई। आदिवासी नेतृत्व को यादगार, दमदार बनाने वाला कोई कद्दावर नेता हुआ ही नहीं।

कई चुनाव जीतने के बावजूद भी हमारे आदिवासी नेताओं को मंत्रिमंडल में कोई जगह ही नहीं मिली। अंतिम बार जहां तक मुझे याद है श्री ब्लासियुस एक्का को वन राज्य मंत्री बनाया गया था। शायद वे ही प्रथम और अंतिम जशपुरिया कुँडुँख थे जो अर्जुन सिंह मंत्रिमंडल में जगह बना पाए थे। एक मुद्दत के बाद एक जशपुरिया नेता मंत्रिमंडल में उतनी भी जगह बना पाया था परंतु अफसोस इस बात का रहा कि राज्य भर मे कितने बड़े क्षेत्रफल मे जंगल फैला है, कितने वन मंडल हैं, कितने मंडलाधिकारी हैं, वन संरक्षक हैं आदि जानकारियां ले भी नहीं पाये थे कि उन्हें मंत्री पद से हटा दिया गया। मुझे याद है कि इन निष्कासन के विरोध में जनमत तैयार करने हेतु पूरे रायगढ, जशपुर और सरगुजा का दौराकर जन सभाएं की थीं परंतु इन सबका कोई असर नहीं हुआ लिहाजा मंत्री पद जो छूटा तो कभी पकड़ के दायरे में आया ही नहीं, अलबत्ता किसी आयोग आदि का अध्यक्ष बना दिया गया तो थोड़ा राज्य मंत्री का सुख भोगने का अवसर मिल गया। अफसोस का दूसरा पहलु और भी दुखद था और वह यह था कि वन राज्य मंत्री का पद अवश्य था परंतु उनसे ज्यादा

एक इत्तफाक ही था कि उक्त तीनों नेताओं से मेरे व्यक्तिगत संबंध थे । उनमें से सबसे बुजुर्ग नेता श्री जोहन एक्का तो हमारे रिश्तेदार ही थे और रिश्ते में आजा (दादा) लगते थे जब मुझमें कुछ समझदारी आने लगी थी तब मै उनकी बातों से बोर होकर टोक देता था और उनके नरम पंथ और उदारवाद का विरोध करता था। वे इतने मधुरभाषी और मृदुभाषी थे कि जब भी वे जनसमूह को संबोधित करते तब ऐसा लगता था कि वे नेतागिरी वाले लहजे मे नहीं वरन् गिरजे के अंदर प्रवचन के अंदाज मे बोलते थे तब मैं मजाक में बोलता था कि इतना मृदुभाषी न बनें कि दिन में ही श्रोताओ को नींद आ जाए। वे कहते – ''जवानों का जोश और बुढ़ो का होश।''इस पर मैं कहता ''जवानों का जोश तो चढ़ता ही रहता है परन्तु बूढ़ो को इसका होश ही नहीं है। जो भी हो उनका व्यक्तित्व एक जन प्रतिनिधि के रूप में प्रभाव शाली था ही,लंबा कद,खादी की धोती और खादी के कुरते मे उनका व्यक्तित्व निखर उठता था। एक जनप्रतिनिधि होने के साथ–साथ वे एक लोक कलाकार थे; मौसमी गीतो के ज्ञाता मौसम के अनुसार लोक नृत्य का उन्हें ज्ञान था; मांदर पर ताल देने के मामले में मामले में उनकी बराबरी कोई नहीं था वर्ष 1964 में मुम्बई में सम्पन्न 38 वें यूखरिस्तीय कांग्रेस के दौरान उन्होंने जशपुर के लोक नर्तकों की अगुवाई की थी और बाईबिल कि निर्गमन ग्रंथ का सांस्कृतिक कृत्य द्वारा चित्रण किया था।

आदिवासी क्षेत्र की अगुवाई का दूसरा मोर्चा श्री लुईस बेक संभालते थे। वे नई पीढ़ी की नई उम्मीद थे। देखा जाए तो वे सबसे अधिक क्वालीफाईड व्यक्ति थे। वे इस विद्वान परिवार से तालुक रखते थे, और उनसे समाज को कुछ अधिक ही उम्मीदें थी। वे भी मृदुलता में किसी से कम न थे। पेशे से वे वकील जरूर थे। परंतु उनमे वकील सुलभ चालूपन एवं चातुर्य नहीं था और वह दबंगई नहीं थी जो एक वकील में आमतौर पर देखने में आती है। उनके चुनाव के बाद जब चुनाव क्षेत्र मे उनके दर्शन लंबे समय तक नहीं हुए तब एक बार उनके अभिनंदन का कार्यक्रम रखा गया था। जनता में किंचित आक्रोश था ही। कार्यक्रम में मुझे कुछ बोलने का मौका मिला मुझे याद है मैंपे उनकी खूब खिंचाई कर दी थी। कॉलेज मे पढ़ते थे, युवा जोश था, उनमे कुछ अपेक्षाएं थी जो लंबित पड़ी थी अतः मैंने उन्हे खूब सुनाया था। मुझे लगा कि शायद वे बुरा मान जाएंगे परंतु वास्तव में उन्होंने एक धीर–गंभीर नेता का स्वभाव पाया था अतः सब प्रेम से झेल गए।

तीसरे नेता श्री ब्लासियुस एक्का बगीचा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे । वे भी उदारवादी और नरमपंथी कैटेगिरी के थे। कोई दो व्यक्ति एक समान नहीं होते। हर व्यक्ति मे सकारात्मक और नकारात्मक गुणों का समावेश रहता ही है। इनमें कुछ विशेषताएं थी, हो सकता है उनकी बदौलत अथवा तुष्टीकरण की नीति के चक्कर में उनको वन राज्य मंत्री बनाया गया था परन्तु इसके पहले कि वे संभल पाते उनकी कुर्सी जा चुकी थी। जो भी हो वे एक सरल, नरम, निष्ठावान,मिलनसार लोक सेवक थे।

उरॉव समाज ने अब तक में इन तीन जन–प्रतिनिधियों को दिया है। समय के हिसाब से उन्होंने सेवाएं दी जो उनकी क्षमताओं के अनुरूप थी। आज के परिदृश्य में वे शायद नाकाफी लगेंगी पर उस समय अपने नेता कहने–कहाने के लिये वे हाजिर तो थे ही परन्तु आज तो अपने नेता के नाम पर एक शून्य ही लटक रहा है। अपनी व्यथा सुनाएँ तो किसे सुनाएँ और किसकी अगुवाई में अपना दुखड़ा ऊपर तक पहुंचाएं? कुछ भी कहें उपरोक्त हमारे नेताओं की उपलब्धता तो थी और उन तक आसान पहुंच थी। आज के समाज के दरम्यान आई.ए.एस.,आई.पी. एस.,आई.ई.एस.,आई.आर.एस.,वर्ग एक, वर्ग दो, एवं अन्य अधिकारियों की भरमार है परन्तु इतने शिक्षित समाज मे अदद नेता नहीं है। इन आई.ए.एस.,आई.पी.एस.,वालों को भी समय पर नेताओं का दामन थामना ही पड़ता है। उस समय उनके अधिकार एवं शक्तियां भी जवाब दे जाती हैं। अब नेता नहीं तो इस हकीकत को स्वीकार करना ही पड़ेगा और समझदारी इसी में है कि नेता की तलाश की जाए और उस नेता में कुछ नई बातों, नए गुणों की मौजूदी का भी ख्याल रखा जाए।

आज के जमाने में नेता बनने के नुस्खे जानने के लिए टी.व्ही. और अखबारों से बढ़कर बढ़िया साधन कुछ भी नहीं है। दूर दर्शन ने आज इस डब्बे के माध्यम से पूरी दुनिया को घर–घर मे समेट कर रख दिया है। दुनिया भर की राजनीति, सामाजिक आर्थिक घटनाओं और हलचलों का सीधा प्रसारण किया जाता है। विधान सभा या संसद की कार्यवाहियां कैसी होती है। वहां वास्तव में क्या होता है, कैसे–कैसे लोग जन–प्रतिनिधि बनकर पहुंचते हैं इसे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। उनकी शक्ल–सूरत, वेश–भूषा, डील–डौल, हाव–भाव देख आत्मपरीक्षण का मौका लगे हाथ मिल जाएगा। आदम–कद दर्पण में अपनी शक्ल देख यह ज्ञात हो जाएगा। कि हम कहां फिट बैठते हैं; हमें यह लग सकता है कि हम उनके समक्ष टिंगू ही लगेंगे, लेकिन इससे निराश हाने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे देखिये कि वे अपनी बात या क्षेत्र की बात कैसे करते

हैं; उनकी बातें चाहे औरों के लिये कैसे भी लगें वे अपनी बात बुलंदी के साथ उठाते हैं चाहें वे सही हों या अन्यथा हों। वे अपनी बारी का इंतजार नहीं करते वरन् अपनी बात बुलंदी के साथ कहे जाते हैं भले ही अध्यक्ष महोदय उन्हें बैठा–बैठा कर थक क्यों न जाएं। यह हमारे लिये देख–सुनकर समझने और अपनाने की बात है। एक बार ऐसा एहसास हो जाए कि आप बोल सकते हैं। आपको बोलने का मौका अवश्य दिया जायेगा। उनकी यह विशेषता है कि उनकी बात या उनके क्षेत्र की समस्या की गूंज राज्य विधान–सभा से संसद में भी गूंजती है और शीर्ष नेताओं का ध्यानाकर्षित होता है।

दूरदर्शन और अखबारों में अक्सर सांसदों और एम.एल.ए. लोगों की विशेष योग्यताओं के बारे में जानकारी दी जाती है जिन्हें सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते है। अधिकांश जन प्रतिनिधियों का अपराधिक रिकार्ड रहता है जो डरावना होता है। उन पर दर्जनों केस तो अदालत में चल रहे होते हैं उन पर हत्या, बलात्कार, दंगे–फसाद, अपहरण, डकैती, हत्या की साजिश आदि न जाने कितने प्रकार के अपराधिक मामले चल रहे होते हैं;

मतदाताओं का रूझान– आजकल के मतदाताओं का रूझान कभी–कभी समझ में नहीं आता है। अक्सर लहर कुछ अलग दिखाई देती है और चुनाव परिणाम कुछ और ही आ जाता है। उदारवादी और नरमपंथी के लिये तो कोई अवसर नहीं दिखाई देता है; थोड़ी बहुत गुजाईश बनती है यदि उदारवादी किसी पहचान आधारित पार्टी से गठबंधन कर लें। इसमे खतरा बना ही रहता है और वह यह है कि कभी–कभी ईमानदार और सच्चे तथा उदारवादी को सामने करके चुनाव लड़ा जाता है और यदि इस उम्मीद्वार की जीत हो भी गई तो उसे स्वतंत्र रूप से काम करने नहीं दिया जायेगा यह बेचारा एक हद तक अपने को बचाते हुए काम करने का प्रयास करेगा पर अंततः उसे पार्टी के इशारे पर ही काम करना पड़ेगा। एक आम आदमी यह पूछने पर मजबूर हो जाता है कि ये मतदाता अपराधिक रिकार्ड वाले को चुनते ही क्यो हैं? यह परेशान करने वाला सवाल है। इसका सामान्य सा जवाब रहता है–पहला यह कि अपराधी चुनावों की आसमान छूती लागतों को झेलने और पार्टी कोष को भरने में बेहतर साबित होता है। दूसरा यह कि मतदाता अपराधिक रिकार्ड वाले उम्मीद्वारों के काम करा लेने की काबिलयत के कारण उन्हे चुनतें हैं क्योंकि कानून–व्यवस्था संबंधी शिकायतें निपटाने में पुलिस के बजाए ये अपराधी सांसद या एम.एल.ए. ज्यादा सक्षम होते हैं।

दुख इस बात का है कि ऊपर वर्णित परिदृष्य में उदारवादी या नरमपंथी दल को न तो भारत में, न विश्व के किसी कोने में कोई भविष्य दिखाई देता है। देखिए अमरीका में हाल के चुनाव में ऐसा लगता था कि हिलैरी क्लिंटन बाजी मार लेंगी परन्तु डोनाल्ड ट्रम ने बाजी मार ली, इधर तमिलनाडु में शशिकला ने बाजी मार ली इस तरह उदारवादी गुट झटका खाकर रह गया। अन्य चुनाव नतीजों में भी अलग ऐसे ही नजारे देखने को मिलते हैं।

एक रास्ता यह भी है की वह है उदारवाद में भी दबंगई और दमदारी जो अपराधिक दबंगई और दमदारी से ज्यादा असरकारक और दूरगामी प्रभाव से पूर्ण होती है। ऐसा नहीं है कि चुनाव में अपराधिक प्रवत्ति वाले ही जीतते हैं और उन्हीं का राज–पाठ चलता है। यह बात अलग है कि ऐसे उम्मीद्वारों की संख्या काफी रहती है पर स्वच्छ छवि वाले भी रहते हैं जो सदन में संतुलन बनाए रखते हैं तथा शासन को सुचारू रूप चलाने में अहम भूमिका में रहते है। 20वीं सदी में ज्यादातर राजनीतिक विचार उदारवाद के हक में रहा। इसी ने भारत को औपनिवेशिक दासता से मुक्त कराया। भारत के आर्थिक सुधार भी इसी उदारवाद से संचालित हुए। ये उदावादी कोई संत महात्मा नहीं होते हैं बस इनके कार्य करने का तरीका कानून सम्मत होता है। अभी भी हमारा आदिवासी समुदाय इसी उदारवाद का ही सर्मथक है। इस उदारवाद में भी दबंगई और दमदारी रहती है बस इसमें अधिकारियों का ज्ञान और अधिकारों की रक्षा के लिय निर्धारित कानून का ज्ञान, त्याग, निष्ठा, आत्मविश्वास के साथ अपनी बात को रखने की शैली दमदार हो, वक्तृता शक्ति धाराप्रवाह और सेवा–भाव की बुलंदी हो दबंगई और दमदारी का भाव स्वयमेव आ जायेगा।

भारतीय इतिहास में महात्मा गांधी ने सादगी, सद्भाव, त्याग समर्पण, निष्ठा, और देश प्रेम के दम पर ब्रिटिश शासन को झुका दिया। भारतीय राजनीति के इतिहास मे और एक छोटे कद के सरल, सीधे–सादे विनम्र नेता के नाम बड़े गर्व से लिया जाता है। देश के प्रथम प्रधान मंत्री के देहावसान के बाद एक रिक्तता उत्पन्न हो गई थी, सवाल था पंडित नेहरू के बाद कौन ? तब छोटे कद के लाल बहादुर शास्त्री ने देश की बागडोर संभाली थी। देश की दशा देख उन्होंने इतिहास प्रसिद्ध जय जवान जय किसान का नारा बुलंद कर सीमा पर और खेती–किसानी दोनों मोर्चे पर देश को सशक्त और मजबूत किया तथा अपने

चिर–परिचित दुश्मन पाकिस्तान को 1965 की लड़ाई में बुरी तरह पराजित किया। वे छोटे कद के अवश्य थे परंतु उनका जमीर, ईमानद उनकी दुढ़ता, अडिगता, देश के लिये मर–मिटने का जज्बा अजेय था। उन्होंने अपने सिद्धांत और देश की आन–बान और शान के लिये अपनी जान की कुर्बानी दी पर दुनिया के ताकतवर देशों की दबंगई के सामने सिर नहीं झुकाया और वे अमर हो गए। दुनियावी दबंगई, दमदारी, तो आनी–जानी है। यह कुछ ही समय के लिय दुनिया की जुबां पर होती फिर भुला दी जाती है परंतु सकारात्मक दमदारी युगों तक रहती है। अच्छे शरीर सौष्ठ व अनैतिक कार्यो से बाहुबली नहीं बनते हैं यदि बुद्धि, ज्ञान और दिल दिमाग में दम हो तो भी बाहुबली कहलाया जा सकता है।

धर्मग्रंथ की घटना सदा स्मरण रखें गोलियाथ साढ़े छः फुटहा फिलीस्तीनी दैव्य था जो अपनी शारीरिक दमदारी के दम पर ईश्वर की प्रजा इसरायलियों को ललकारता था। इसरायली सेना उसका सामना करने से घबराती थी। भेड़ चरवाहा दाऊद से यह सहन न हुआ। उसने अपने चातुर्य, कौशल और साहस से काम लिया। उसने अपने ढेलवांस में चिकने पत्थर के टुकड़े को फंसाया और घुमा कर उसे दे मारा; बस, गोलियाथ ढेर हो गया। इसी प्रकार हमें सकारात्मक साहस दबंगई और दमदारी को अपनाना और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है हम सब का कर्तव्य है ऐसे शख्स का चयन करना और सहयोग करना जो समुदाय की अपेक्षाओं को पूरा कर सके । हमारा मूलमंत्र सत्यमेव जयते है और इसी को ढाल बनाकर आगे बढ़ना है।

सबसे बड़ी समस्या यह है सही आदमी उम्मीद्वार कौन है ? कौन होगा ? जैसा कि वर्तमान परिवेश है दबंग और दमदार व्यक्ति को ही चुना जाना समाज के हित में होगा । ऐसे व्यक्ति के चुनाव के लिय मतैक्यता, एकता का होना उतना ही आवश्यक है। सही आदमी सही उम्मीद्वार का चयन कैसे होगा ? हमारे समाज के अन्दर नेताओं की कमी नहीं है। हर पढ़ा लिखा, शिक्षित व्यक्ति नेता कहलाने का हकदार है। लगभग हरेक गांव में आपको गुटबाजी मिलेगी और जितने गुट उतने नेता मिल जाएंगे। इस संबंध में एक घटना का जिक्र करना चाहूंगा– हमारे ग्राम पंचायत के सरपंच का चुनाव होना था। सरपंच होने का लोभ जबरदस्त था। चार पांच गांव तो उराँव लोगों के थे एक–दो गांव कवंर लोग के थे । जैसे कि आजकल गांवो में भी राजनीति सक्रिय है हर गांव में जितने गुट उतने उम्मीदवार हो गए। केवल कंवर टोली से एक उम्मीदवार रखा गया । ध्यान देने योग्य बात यह है कि कवंर टोली वाले उतने शिक्षित नहीं हैं जितने कि उराँव बस्ती वाले हैं। उन दिनों मैं अवकाश में था और गांव गया हुआ था। वोट मांगने हमारे पास हर उम्मीदवार आया। स्थिति देखे मैंने उनको यह सुझाव दिया कि आपस में बैठकर एक व्यक्ति का चयन करें तो उचित होगा परन्तु वहां तो कोई किसी से कम नहीं था कोई सुनने समझने के लिये तैयार नहीं हुआ। कंवर टोली का उम्मीद्वार सज्जन व्यक्ति था, धीर–गम्भीर था। वह भी हमारे पास आया और बोला–''आप ही के जात–भाई सरपंच के लिये खड़े हैं तो किस मुंह से बोलूँ कि मुझे वोट दें। आप लोगों से संबंध है अतःमैं आया हूँ''। चुनाव संम्पन्न हुआ और कंवर टोली का उम्मीद्वार जीत गया उराँव उम्मीद्वारों के मुँह लटक गए। ''एकता''समय की मांग है।

थिंक टैंक –इस एकता रूपी अनमोल रत्न की प्राप्ति के लिये क्या किया जाना उचित होगा ? अमृत पाने के लिये समुद्र मंथन किया गया था। एकता रूपी अमृत पाने के लिये बुद्धिजीवियों को कुछ तो करना ही होगा। अच्छी बात है परन्तु ऐसे एकांकी प्रयास के साथ सामुदायिक प्रयास हो तो क्या जाने सफलता हाथ लग जाए। इस संबंध में कुछ सुझाव देना छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी फिर भी मेरे मतानुसार क्यों न एक चिन्तन समूह, थिंक टैक का गठन किया जाए। आप बालेंगे तो चुनाव सामने है और अब चिन्तन समूह गठित करके क्या फायदा ? आपका कथन अपनी जगह पर सच हो सकता है क्योंकि यह आग लगने पर कुँआ खोदने जैसी कहावत को चरितार्थ करती है पन्तु भविष्य को भी ध्यान में रखते हुए प्रयास करने में हर्ज क्या है? ऐसा नहीं है कि मैं कोई, नई बात कह रहा हूँ। हमारे यहां थिंक टैंक चिन्तन समूह का अस्तित्व रहा है और अब भी है। जब भी समाज में संकट के बादल मंडराते हैं तो सबकी निगाह धर्माधिकारियों की ओर उठ जाती है जो कि हमारे थिंक टैंक की काम चलाऊ भूमिका में रहते हैं। मेरे ख्याल से इस चिन्तन समूह में बहुत कम अयाजक सहभागी होते हैं और पूरा दारोमदार धर्मधिकारियों पर ही रहता है। यह थिंक टैक वक्त के थपेडो के साथ किंचित जर्जर हो गया है जिसे जरा सा झटका मिलते ही इसमें दरार संभावित है और रातो–रात निर्णय बदल देने का दुष्परिणाम असफलता के रूप में देखने में आता है क्योंकि एक उहापोह की स्थिति बन जाती है और खेल बिगड़ जाता है। ऐसा इस लिये कहना पड़ता है कि कभी स्थिति आ चुकी है। हमें वक्त की नजाकत को देखकर कदम उठाना ही होगा।

क्या ही अच्छा होता यदि **चिन्तन समूह थिंक टैंक** के नव निर्माण की दिशा में गंभीरतापूर्वक सोचा जाए। इसमें सेवा–निवृत्त प्रशासनिक अधिकारियों (आई.ए.एस. एवं आई.पी.एस) का जिन्हें प्रशासन का लंबा अनुभव है मार्ग दर्शन रहे, अन्य बुद्धिजीवी, प्रोफेसर, समाज शास्त्री, अधिवक्ता (विधिक सलाहकार, जानकार) शिक्षाशास्त्री, मीडियाकर्मी, पत्रकार, इतिहासकार, राजनीतिक हवा के विशलेषक, राजनीतिक अखाड़े के खिलाड़ी, दार्शनिक, अनुभवी लोकधर्मी और उत्साही सामाजिक कार्यकर्ता हों तथा धर्माधिकारियों का आर्शीवाद, तथा समय–समय पर मार्गदर्शन रहे तो हम अवश्य ही किसी न किसी ठोस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। यदि सभी सहयोग की भावना से काम करें तो चिन्तन समूह के मंथन से दबंग एवं दमदार प्रतिनिधि जनता के समक्ष पेश करने में सफलता मिलेगी। चिन्तन समूह का संस्थागत आकार में सतत् काम कर हर राजनीतिक गतिविधि पर पैनी नजर रखें और तद्ानुसार रणनीति बनाएं एवं चुनावी दंगल के दांव पेंच का अध्ययन कर पैंतरे सीखें और समर्पित लोकनायक तलाश करें तो आदिवासी समाज को सुरक्षित रखा जा सकता है और समाज को रसातल में जाने से बचाया जा सकता है। वर्तमान को बदलकर ही भविष्य को बेहतर बना सकते हैं ।

''आदिवासी की जय हो''

Governors

State	Governor	State	Governor
Andhra Pradesh	Shri E.S Lakshmi Narasimhan	Maharashtra	Shri Chennamaneni Vidyasagar Rao
Arunachal Pradesh	Brig. (Dr.) B. D. Mishra (Retd.)	Meghalaya	Shri Ganga Prasad
Assam	Prof. Jagdish Mukhi	Mizoram	Lt. General (Retd.) Nirbhay Sharma
Bihar	Shri Satya Pal Malik	Nagaland	Shri Padmanabha Balakrishna Acharya
Chhattisgarh	Shri Balramji Dass Tandon	Odisha	Dr. S. C. Jamir
Goa	Smt. Mridula Sinha	Punjab	Shri V.P. Singh Badnore
Gujarat	Shri Om Prakash Kohli	Rajasthan	Shri Kalyan Singh
Haryana	Prof. Kaptan Singh Solanki	Sikkim	Shri Shriniwas Dadasaheb Patil
Himachal Pradesh	Shri Acharya Dev Vrat	Tamil Nadu	Shri Banwarilal Purohit
Jammu and Kashmir	Shri N. N. Vohra	Telangana	Shri E.S Lakshmi Narasimhan (Add. Charge)
Jharkhand	Shrimati Droupadi Murmu	Tripura	Shri Tathagata Roy
Karnataka	Shri Vajubhai Vala	Uttar Pradesh	Shri Ram Naik
Kerala	Shri Justice (Retd.) Palaniswamy Sathasivam	Uttarakhand	Dr. Krishan Kant Paul
Madhya Pradesh	Shri Om Prakash Kohli (Add. Charge)	West Bengal	Shri Keshari Nath Tripathi
Manipur	Dr. Najma A. Heptulla		

" मां बाप का आदर करें "

–ज्योति किरण मिंज
(जिला न्यायाधीश बंगला) राजनांदगांव (छ.ग.)

मैं तथा मेरे पति व पुत्र तीनों वर्ष 1999 में बेगमगंज जिला रायसेन मध्यप्रदेश राज्य के एक संयुक्त नेमा परिवार में शाम के भोजन के लिए आमंत्रित किये गये थे, वहां पहुंचे । नेमा परिवार में कुल 52 सदस्य थे। श्री नेमा जो कि पेशे से अधिवक्ता थे वही इस संयुक्त परिवार के मुख्य कर्ता–धर्ता थे। जैसे ही हम तीनों नेमा परिवार के घर पहुंचे उनके छोटे भाई, उनकी पत्नियां व उनके बच्चे एवं उनके पोता–पोती सभी एक–एक कर मेरे तथा मेरे पति के चरण स्पर्श कर सम्मान प्रकट किये।

आज इस भौतिक व भाग–दौड़ के युग में संयुक्त परिवार लगभग विलुप्त हो चुका है। अब एकल परिवार का जमाना है। आज सभी समाज संक्रमण काल से गुजर रहा है। एकल परिवार होने के कारण आज के बच्चे अपने से बड़े जैसे बड़े पिता, चाचा–चाची और अन्य रिश्तेदारों को भूल जा रहे हैं और उनसे मिलने पर आदर पूर्वक व्यवहार में भी कमी झलकती है।

आज के इस भौतिक युग में सर्व शक्तिमान ईश्वर को कोई मानता है, कोई नहीं जबकि एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए उस देश में लागू कानून, किसी भी समाज द्वारा गठित नियम, मर्यादा को मानने पर ही एक स्वस्थ समाज का निर्माण संभव है।

आजकल किसी भी धर्मावलम्बी के सदस्यों द्वारा हत्या, व्याविचार, चोरी, झूठ बोलना, पराये धन पर लालच करना साधारण सी बात हो गयी है। आज प्रत्येक व्यक्ति रातोंरात अमीर होने का सोचता है और अमीर होने के लिए अपने माता पिता, भाई बहनों का आदर सत्कार न कर अपने पैतृक सम्पत्ति में बंटवारा चाहता है।

आज अदालतों में लंबित अधिकांश मामलों में हत्या, जमीन जायदाद व महिला या रूपयों पैसों के लिए परिवार के सदस्यों की हत्या व संबंधित अन्य मामले लंबित है। आज इस भौतिक युग में पुत्र–पुत्रियां लाखों रूपये कमा रहे है परन्तु इस भौतिक आकर्षण में आजकल के युवक युवतियां अपने माता–पिता के आदर सत्कार, पालन पोषण की अवहेलना करते नजर आते हैं।

आज के परिवेश में परमेश्वर की दस आज्ञाएं अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। परमेश्वर की दस आज्ञाओं में से चौथी आज्ञा आज के भागम–भाग युग के लिए हम सभी के लिए महत्वपूर्ण आज्ञा है और यह आज्ञा मां बाप का आदर करना। दस आज्ञाओं में से चौथी आज्ञा आज के परिवेश को देखते हुये एकल परिवार के लिए माता–पिता का आदर करना कई मायनों में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है।

मैं स्वयं अपने पति के साथ विधिक साक्षरता शिविर में वृद्धाश्रम जाती रहती हूं जहां कई बुजुर्गों से चर्चा के दौरान यह जानकर बहुत अफसोस होता है कि आज के युवा अच्छी–अच्छी नौकरियां जरूर करते हैं परन्तु अपने माता–पिता के लिए न तो समय निकाल पाते हैं न ही उनकी सेवा करते हैं बल्कि वे उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ आते है।

राजनांदगांव जिला वृद्धाश्रम में एक संभ्रांत परिवार की बुजुर्ग महिला है जिसकी पुत्री करोड़पति परिवार में विवाह कर विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत कर रही है। वृद्धाश्रम के केयरटेकर से चर्चा के दौरान यह जानकारी हुई कि उस वृद्ध महिला की सुपुत्री चमचमाती हुई कार से अपनी वृद्ध माता से मिलने जरूर आती है परन्तु वह भी खाली हाथ। क्या यह अपने माता–पिता के प्रति आदर भाव हो सकता है, कदापि नहीं। बल्कि उस वृद्ध महिला की पुत्री को अपने माता के अलावा उस आश्रम में रहने वाले अन्य वृद्धजनों के लिए अपने साथ खाने–पीने के सामान अथवा कपड़े आदि लेकर आने से अपनी माता व वृद्धजनों के लिए सम्मान/आदर की बात होती।

हमारा देश युवाओं व वृद्धोजनों का देश है। आज का युवा वर्ग व वृद्धाजनों की संख्या भारत देश में करोड़ो में है। आज का युवा अपने दैनिक दिनचर्या में इतना मसगूल है कि वह अपनी पत्नी, बच्चे माता पिता के लिए समय नहीं दे पाता है। मैं अपने पति के साथ एक विख्यात स्कूल में कुछ काम से गयी हुई थी। प्राचार्य के कार्यालय में एक बच्चे के माता पिता प्राचार्य साहब से यह शिकायत कर रहे थे कि आप बहुत ज्यादा फीस ले रहे हैं परंतु बच्चों को कुछ भी अच्छा संस्कार नहीं सिखा रहे हैं, बच्चे हम लोगों की बात नहीं मानते हैं। मोबाइल व

विडियोगेम और इन्टरनेट में व्यस्त रहते हैं। इस कारण हमारे बच्चे पढ़ाई–लिखाई में पिछड़ रहे हैं। इस पर प्राचार्य साहब बच्चे के माता–पिता से यह बोले कि आपके कितने बच्चे है तो माता–पिता ने प्राचार्य से यह बोला कि एक पुत्र और एक पुत्री है। प्राचार्य साहब बच्चे के माता पिता से यह भी बोले कि मैडम मेरे स्कूल में लगभग 2000 छोटे–बड़े बच्चे हैं। आप अपने दो ही बच्चों को संस्कारवान नहीं बना पा रहे हैं। प्राचार्य साहब उनसे यह भी बोले कि किसी भी परिवार की प्राथमिक शाला आपका घर ही है। अपने घर में ही बच्चों को आज्ञाकारी, संस्कारवान, धार्मिक शिक्षा देकर पारिवारिक प्रार्थना के जरिये अपने बच्चों को आज्ञाकारी, कर्मयोगी, संस्कारवान बना सकते हैं। बच्चे के माता पिता प्राचार्य साहब की समझाइश सुनकर चुप हो गये और यह बोलने लगे कि आज का माहौल ही ऐसा है कि बच्चे अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानते ।

निःसंदेह हमारा घर ही बच्चों की प्राथमिक पाठशाला है। पूर्व में संयुक्त परिवार का चलन था। इस कारण घर के बच्चे अपने दादा–दादी, नाना–नानी से ए से जेड तथा 1 से 100 तक की गिनती सीख लिया करते थे परंतु आज एकल परिवार होने से या पति पत्नी दोनों नौकरीपेशा होने से ए से जेड तथा 1 से 100 तक गिनती सिखाने के लिए प्ले स्कूल में भेजते हैं।

मैं अपने परिवार के साथ हाल ही में केरल राज्य तीर्थाटन पर गयी हुई थी। कई परिवारों में मुलाकात करने पर केरल राज्य में प्रचलित एक प्रथा हमें बहुत प्रभावित किया। वह प्रथा यह है कि अधिकांश काथलिक विश्वासीगण व्यवसायी हैं जो अपनी दुकान शाम के 08–8:30 बजे बंद कर अपने घर वापस आ जाते हैं। अपने घर में 08:30–09:00 बजे के बीच पारिवारिक प्रार्थना कर एक साथ शाम का भोजन करते हैं।

ईश्वरीय सेवा के लिए मिला शरीर – हमको आपको मिली यह शरीर ईश्वरीय वरदान है। आपको प्राप्त यह शरीर आपकी अपनी नियामत, दौलत नहीं है जिसे आप जैसा चाहें वैसा उपयोग कर लेवें। अकसर कई बार यह देखने को आता है कि शादी–विवाह या कोई पार्टी में हम अपनी खराब आदत के कारण अपनी आवश्यकता से अधिक भोजन कर लेते हैं या पार्टी में अधिक नशापान कर लेते हैं।

आज का युवा संक्रमण काल से गुजर रहा है। अखबारों में छपे समाचारों को पढ़ने पर यह ज्ञात होता है कि रात्रि में जितनी भी दुर्घटनाएँ घटित होती हैं उस दुर्घटना में वाहन चालक शराब का सेवन किया होता है और इसी वजह से अपने स्वयं के अमूल्य शरीर को दुर्घटना में नष्ट कर देता है। दूसरे को भी वाहन चालक अपनी वाहन से ठोकर मारकर अपंग कर देता है या मृत्यु कारित कर देता है। भारत देश में किये गये सर्वे के मुताबिक प्रत्येक 4–5 मिनट में एक दुर्घटना घटती है फलतः पूरे वर्ष में एक से डेढ़ लाख लोग सड़क दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं जिनमें कईयों की मृत्यु हो जाती है और कई गंभीर रूप से आहत होकर सामान्य जीवन जीने के लायक नहीं रह जाते हैं। सर्वे के मुताबिक यह तथ्य भी सामने आया है कि अधिकांश युवक नशापान कर अपनी गाड़ियों को तेज गति से चलाने के फलस्वरूप दुर्घटना कारित करते हैं। इस नशापान के कारण आज के युवा अपने अमूल्य शरीर को नष्ट कर रहे हैं। दुर्घटनाओं से वाहन चालक स्वयं तो आहत हो जाता है साथ ही साथ दुर्घटना होने से मृत व आहत व्यक्तियों के वारिशों को भारत शासन सालाना 20 हजार करोड़ रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान कर रहा है। यह हमारे युवकों द्वारा लापरवाही पूर्वक मोटर सायकल, मोटर चलाने से दुर्घटना घट रही है।

मैं एक ऐसे परिवार को जानती हूं उस परिवार का युवक त्यौहार में अपने मित्र के यहां त्यौहार मनाने गया हुआ था। त्यौहार मनाकर अपने मित्र के यहां नशापान कर मोटर सायकल से अपने घर वापस आ रहा था तभी सड़क पर सोयी काली गाय से वह युवक टकरा जाता है और उसके सिर में गंभीर चोट आने के कारण वह युवक कोमा (बेहोशी) में चला गया। वह युवक विगत आठ वर्षो से बेहोशी की हालत में अपने बिस्तर पर जिंदा लाश की तरह लेटा हुआ रहता है। उस युवक की माता व उसकी बहनें उसकी कोई भी सेवा नहीं करते हैं बल्कि उस युवक की सेवा सिर्फ और सिर्फ उसके पिता द्वारा ही की जाती है। छोटी सी गलती के कारण वह युवक अपने परिवार के लिए जिंदा लाश की माफिक है। इस युवक ने वरदान स्वरूप मिले शरीर को मनमाने तरीके से उपयोग कर अत्यधिक नशापान किया। उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया और आज बेहोशी की हालत में जीवन व्यर्थ कर जी रहा है। इससे आज हमें यह सबक मिलती है कि यह प्राप्त शरीर हमारे लिए ईश्वरीय वरदान है न कि हमारी और अपनी स्वयं की। युवकों को नशापान एवं प्रत्येक बुराईयों से दूर रहने की आवश्यकता है ताकि इस तरह से अकल्पनीय दुर्घटना से बचा जा सके।

धर्म का नाम कर्म – फर्ज, कर्तव्य, परोपकारी जीवन का ही दूसरा नाम धर्म है। धर्म का यह अर्थ है कि हम अपनी

जिम्मेदारियों को समझें। हमें ईश्वरीय वरदान स्वरूप जो भी काम, नौकरीपेशा मिला है। उसे ईश्वरीय वरदान समझकर अपने कर्तव्य का निर्वहन सफलता पूर्वक करते रहना है। धर्म ही हमें जीवन जीने की राह बताती है। विभिन्न धार्मिक किताबों में कई गूढ़ बातों का वर्णन किया गया है परंतु आज के व्यस्त युग में धार्मिक किताबों में उल्लेखित अच्छी बातों को अपनाने व चिंतन करने के लिए हमारे आपके पास समय नहीं रह गया है। आज का युवा धार्मिक क्रियाकलापों से कोसों दूर है। इस कारण आज के बच्चे व युवा आज्ञाकारी नहीं हैं। अपने माता–पिता, गुरूजनों के आदर सत्कार में भी कमतर हैं। आज का युवा अपने कर्तव्य के साथ ही साथ ईश्वर के प्रति समर्पण भाव से जीवन जीयेगा तभी आज का युवा अपने माता–पिता, गुरूजनों के प्रति आदर भाव प्रकट करेगा और स्वयं एक सफल युवा होगा।

<u>कर्तव्य के प्रति जागरूक</u>– आज व्यस्तम समय में हमारे आपके पास अपने कर्तव्य/शासकीय सेवा के लिए ही समय है। शेष बातों के लिए जैसे सामाजिक, धार्मिक व अन्य जरूरी कार्य के लिए हम खुद अपने लिए समय नहीं निकाल पाते है। निःसंदेह प्रत्येक नागरिक को ईश्वरीय वरदान स्वरूप जो भी कार्य मिला है उस कार्य के निष्पादन के प्रति हम सभी जागरूक हो। शायद इन्ही कारणों से हम अपने परिवार, माता–पिता के लिए समय नहीं दे पाते हैं।

मैं पूर्व में केरल राज्य के तीर्थाटन के दौरान प्राप्त अनुभव को लिख चुकी हूं। यदि सभी परिवार में रोजाना पारिवारिक प्रार्थना प्रारंभ कर उसे नियमित रखने और साथ ही सभी परिवार मिलकर एक साथ शाम का भोजन किये जाने पर आपसी प्रेम, एक दूसरे के प्रति सद्भावना, अपने कर्तव्य के प्रति चेतना तथा अपने माता–पिता, गुरूजनों के प्रति घर में प्रार्थनामय माहौल होने से आपका हमारा बच्चा अपने माता–पिता के प्रति आज्ञाकारी, देशभक्त निश्चित रूप से होगा। यदि आप अपने परिवार में रोजाना पारिवारिक प्रार्थना प्रारंभ न किये हैं तो आज ही अपने परिवार में शाम को पारिवारिक प्रार्थना परिवार के सभी सदस्यों के साथ प्रारंभ करें, एक साथ पारिवारिक भोजन करें। इससे परिवार में प्रेम, समरसता बनी रहेगी। पारिवारिक प्रार्थना से उस परिवार में अदृश्य वरदान प्राप्त होते हैं।

मैं उराँव झरोखा पत्रिका के मार्फत प्रत्येक परिवार में शाम को रोजाना प्रार्थना, प्रत्येक रविवार को सन्डे स्कूल, चर्च जाने के लिए काथलिक विश्वासी भाईयों में चेतना जगाने का कार्य हेतु लेख लिखती रहूंगी। ऊपर मैंने नेमा परिवार का उदाहरण इसलिए दिया है कि उस परिवार के छोटे–बड़े सभी एक दूसरे को अपने परिवार में छोटे–बड़ों को ध्यान में रखते हुये आदर व सम्मान का एक सृदृढ़ प्रथा जारी रखते हैं जो हमारे व आपके बच्चों के लिए अनुकरणीय है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस पत्रिका में लिखे लेख को पढ़कर हम सभी परिवार कुछ न कुछ सबक प्राप्त कर सकेंगे और अपने छोटे परिवार को उन्नतशील परिवार बनाते हुये अपने बच्चों में अच्छी पढ़ाई लिखाई के लिए सोच विकसित करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारी, आपकी संताने अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सच्चा भारतीय नागरिक बनकर सच्चे मन से देश की सेवा कर सकें। आज आप भी यह दृढ़ संकल्प लें कि अपने परिवार में एक स्वस्थ परम्परा का विकास हो ताकि आपके पुत्र–पुत्रियां जो इस देश के भविष्य हैं अपनी मेहनत, लगन से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें। अपने देश का सच्चा नागरिक बनकर अपने माता–पिता, गुरूजनों का आदर सम्मान करें। देशभक्त से ओतप्रोत होकर अपने गांव, अपने परिवार, अपने समाज, अपने राज्य व देश के विकास में अपना हाथ बंटाये ताकि हमारा देश आज नये भारत के निर्माण की ओर अग्रसर हो सकेगा। मैं चन्द लाइन युवाओं में महत्वाकांक्षा व चेतना जगाने के लिए लिखकर अपनी लेखनी को विराम देती हूं।

" दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है,
'कामयाबी' ही है जो ठोकर खाकर ही मिलती है। "

जनजातीय क्षेत्रों में पर्यटन

(जशपुर जिले के विशेष संदर्भ में)

–डॉ. श्रीमती सुशीला एक्का, (सहायक प्राध्यापक, भूगोल)
शासकीय बिलासा कन्या स्नातकोत्तर, महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

पृथ्वी मानव का केवल निवास स्थान ही नहीं है, वरन् प्राकृतिक वातावरण का एक प्रमुख अंग है। प्रकृति के निर्माण से लेकर आज तक प्राकृतिक सौन्दर्य ने मनुष्य को बहुत अधिक आकर्षित किया है। प्रारंभ से ही मानव जिज्ञासु प्रवृति का रहा है। पर्यटन किसी भी क्षेत्र के इतिहास संस्कृति, एवं सभ्यता के ज्ञान का प्रत्यक्ष साधन है। वास्तव में पर्यटन का संबंध केवल पर्यटक और विकास से ही नही परन्तु इसका प्रभाव प्राकृतिक वातावरण के साथ सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक वातावरण पर भी पड़ता है। चूँकि सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्र वनांचल एवं जनजातीय क्षेत्र है।

छत्तीसगढ़ राज्य के सुदूर उत्तरी पूर्वी क्षेत्र अपनी नैसर्गिक छटा, सघन, वन, सरिताएँ, प्रपात, झरने, घाटियाँ, ऐतिहासिक एवं धर्मिक केन्द्र होने के कारण सहज ही लोगों का आकर्षित करते है। इस अपूर्व सौन्दर्य से भरे क्षेत्र में पर्यटन का विकास यथोचित है।

अध्ययन क्षेत्र :– अध्ययन क्षेत्र जशपुर जिले का विस्तार छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी–पूर्वी क्षेत्र में 22 अंश 2′ से 23 अंश 16′ उत्तरी अक्षांश एवं 83 अंश 28′ पूर्वी देशान्तर से 84′ अंश 24′ पूर्वी देशान्तर के मध्य 5322.67 वर्ग कि.मी. पर विस्तृत है। 2011 के जनगणना के अनुसार यहाँ की कुल जनसंख्या 852043 हैं। जिसमें पुरूष 370287 एवं 369394 महिलाएँ हैं। यहाँ ग्रामीण जनसंख्या 705536 एवं नगरीय जनसंख्या 34244 है। यह क्षेत्र छोटा नागपुर के पठार का एक अंश है। अध्ययन क्षेत्र के उत्तरी भाग की ऊँचाई 750–1200 मी. तक है। अध्ययन क्षेत्र में अनेक प्राकृतिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक केन्द्र है। यह क्षेत्र पहाड़ी एवं पाठ प्रदेश होने के कारण अनेक जलप्रपात, गुफाएँ मनोरम घाटियाँ, एवं सघन वन है। यहाँ पर प्रकृति की अनुपम छटा, शीतल स्वास्थ्य वर्धक जलवायु तथा अपने आंचल में कई पर्यटन स्थल को संजोये है। जशपुर जिला जनजातीय प्रधान क्षेत्र है।

अध्ययन का उद्देश्य :–

अध्ययन क्षेत्र में पर्यटन विकास की संभावनाओं को तलाश करना तथा प्राकृतिक पर्यटन स्थलों का स्थानिक विश्लेषण जनजाजीय क्षेत्रों के संदर्भ में करना एवं इन्हें विकसित करने में प्रमुख बाधाओं एवं समस्याओं पर प्रकाश डालना जिससे इस क्षेत्र का आर्थिक सामाजिक विकास हो सकें।

अध्ययन विधि तंत्र :– अध्ययन क्षेत्र में आंकड़ों का संकलन एवं अध्ययन व्यक्तिगत सर्वेक्षण एवं क्षेत्रीय अवलोकन पर आधारित है।

जशपुर जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल निम्न है :–

(1) लोरो घाट :–

जशपुरनगर से 15 कि.मी. की दूरी पर रांची–रायगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 78 पर लोरो घाट स्थित है। इसकी लम्बाई 5 कि.मी. है। इस घाटी में कई फूल, पेड़–पौधे विद्यमान है इसलिए वन विभाग की सक्रिय पहल से यह घाटी अब 'फूलों की घाटी' के रूप में प्रसिद्ध हो रही है।

(2) रानीदह जलप्रपात :–

जशपुर से 17 कि.मी. की दूरी पर 'रानीदह जलप्रपात' है इस स्थल को एक सुन्दर पिकनिक स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में लोग आते हैं। शीत ऋतुओं में यहाँ प्रति सप्ताह 1000–1500 तक पर्यटक आते हैं। वर्षा ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में संख्या कम रहती हैं। प्रतिवर्ष 1 जनवरी को हजारों की संख्या में लोग पिकनिक मनाने आते हैं। इस दर्शनीय स्थल का पूरा नाम 'पंच भैया आनन्द वन रानीदह जलप्रपात एवं पर्यावरण परिसर हैं'।

(3) दमेरा जल प्रपात :–

जशपुर नगर से मात्र 12 कि.मी. की दूरी पर पूर्व की ओर दमेरा पहाड़ के बीच में दमेरा जलप्रपात है। यह एक पिकनिक स्थल है। इस क्षेत्र का विकास किया जाए तो वर्ष भर सैलानियों का आगमन होगा।

(4) ईंदा घाट :–

जशपुर सन्ना मार्ग पर जशपुर से उत्तर की ओर 12 कि.मी. की दूरी पर एक मनोरम प्राकृतिक घाटी स्थित है। प्राकृतिक सौन्दर्य से परिपूर्ण इस घाटी की छटा देखते बनती है।

(5) बेने जल प्रपात :–

जशपुर जिले के कुनकुरी तहसील मुख्यालय से उत्तर की ओर 22 कि.मी.

की दूरी पर 'बेने जल प्रपात' है। एक सुन्दर प्राकृतिक जलधारा जो गुल्लू छूरी घाघ, पेरे बांध नामक झरनों का निर्माण करती हुई ग्राम बेने के पास अत्यन्त आकर्षक जल प्रपात का रूप धारण करती है। प्राकृतिक सौन्दर्य से परिपूर्ण यह जल प्रपात बरबस ही लोगों को आकर्षित करती है। यहाँ प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में लोग पिकनिक हेतु आते है।

(6) बगीचा :–

जशपुरनगर से पश्चिम की ओर 112 कि.मी. की दूरी पर जिले का आकर्षक पर्यटक स्थल 'बगीचा' स्थित है। हरी–भरी वादियों में बसा बगीचा प्रकृति प्रेमी पर्यटकों के लिए एक मनोरम पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो रहा है। यह स्थान ग्रीष्म काल में शीतल सुखद जलवायु के लिए प्रसिद्ध हैं। इस क्षेत्र का यदि विकास किया जाए तो यहाँ का सामाजिक व आर्थिक स्तर में वृद्धि होगी।

(7) राजपुरी जल प्रपात :–

बगीचा से उत्तरी–पूर्वी क्षेत्र में 3 कि.मी. की दूरी पर राजपुरी नदी में 'राजपुरी जलप्रपात' है। इस जल प्रपात में जल 50 फीट की ऊँचाई से गिरती है। दिन में सूर्य की किरणें इसमें पड़ते ही इन्द्रधनुष छटा बिखेरते और भी मनमोहक लगते है। यहाँ पर्यटक प्रति सप्ताह 500 से 1000 के बीच आते है।

(8) रानी झूला :–

जशपुर जिले के बीच तहसील के पण्डरा पाठ में 'ईब नदी' का उद्‌गम स्थल हैं। नदी के उद्‌गम स्थल पर एक कुण्ड का निर्माण कराया गया है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहने वाली लगभग 202 कि.मी. लम्बी ईब नदी महानदी की सहायक नदी है। ईब नदी के बालू में पाये जाने वाले स्वर्ण कणों के लिए काफी प्रसिद्ध हैं। इस उद्‌गम स्थल का विकास किया जाए और यहाँ तक पहुँच मार्ग का विस्तार किया जाए तो निश्चित रूप से यह पर्यटक स्थल उस क्षेत्र के विकास में सहायक होगा।

(9) बादल खोल अभ्यारण्य :–

बगीचा विकास खण्ड में बगीचा से जशपुर मार्ग पर लगभग 15 कि.मी. की दूरी पर बादल खोल अभ्यारण्य 104.35 मार्ग कि.मी. क्षेत्र पर फैला हैं। वन देवता की छत्र छाया में पलते–बढ़ते और स्वच्छन्द विचरते वन्य प्राणियों की एक अनोखी दुनिया को अपने आंचल में समेटे यह अभ्यारण्य पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र हैं। यह अभ्यारण्य बाघ तेन्दुआ और सांभर, शेर, चीता, भालू, हिरन के लिए प्रसिद्ध है, किन्तु यहाँ इसके अतिरिक्त अन्य कई जंगली–जानवर एवं पक्षियाँ पाये जाते हैं। लुप्त प्राय पैंगोलिन यहाँ पाया गया था। यहाँ कई प्रकार के वन पाये जाते हैं। जैसे– साल, सागौन, चिरौंजी, महुँआ, पीपल, बरगद एवं विभिन्न फूल एवं फलदार वृक्ष इत्यादि। पर्यटन हेतु इसका विकास किया जाए एवं आस–पास हॉटल रेस्टोरेंट एवं सड़क मार्गों के विकास किये जाने की आवश्यकता हैं।

(10) कैलाश गुफा :–

बगीचा तहसील मुख्यालय से 10 कि.मी. दूरी पर बगीचा–अम्बिकापुर मार्ग पर बिमत्र ग्राम से 28 कि.मी. की दूरी पर ग्राम गाय बुड़ा के निकट सघन वन क्षेत्रों के मध्य 'कैलाश गुफा' स्थित हैं, जो 'श्री रामेश्वर गुरू गहिरा बाबा के आश्रम' के नाम से विख्यात हैं। यह स्थल कठोर चट्‌टानों को काटकर उसका विस्तार किया गया हैं। यह अन्दर से वातानुकूलित है। यहाँ आश्रम, मंदिर और जल प्रपात देखने योग्य हैं। इस गुफा में वर्ष भर पानी की धाराएँ गिरती रहती हैं। इस गुफा के करीब ही प्राकृतिक सौन्दर्य से परिपूर्ण 'गंगा झरना' इस स्थल को स्वर्ग सा रूप प्रदान करता है। इस नदी को लोग 'अलकनंदा' भी कहते हैं। इस नदी के पानी में गंगा जैसे गुण हैं। इसमें औषधीय गुण हैं, यह कई रोगों की अचूक दवा साबित हो रही है। गुफा के एक कक्ष में भगवान की कई प्रतिमाएँ स्थापित हैं। 'कैलाश गुफा और गंगा झरना' भारत की प्राचीन ऋषि कुल परम्परा का साक्षी बनकर सजीव हैं। आतिथ्य परम्परा गहिरा आश्रम की विशेषता है। प्रकृति ने अपना अद्‌भूत सौन्दर्य कैलाश गुफा के इस क्षेत्र को दिया है। यहाँ के शांत, रमणीक, नैसर्गिक वातावरण से प्रभावित होकर पर्यटक यहाँ बरबस ही रूकने को मजबूर हो जाते हैं।

(11) लिखा पखन :–

बगीचा मुख्यालय से बादलखोल अभ्यारण्य जाने वाले मार्ग में 17 कि.मी. की दूरी पर जोराराम नाले के किनारे स्थित एक शिला खण्ड पर कुछ अस्पष्ट चित्रलिपि अंकित हैं। स्थानीय भाषा में लोग इसे लिखा पखन कहते हैं, जिसका अर्थ है लिखा हुआ पत्थर, यहाँ प्रति माह 300–500 लोग पिकनिक हेतु आते है।

(12) खुड़िया रानी गुफा :–

विकासखण्ड–बगीचा में डोड़की नाला के दक्षिण में जशपुर जिले की सबसे दुर्गम गुफा है। प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजातियों में एक पहाड़ी कोरवा जाति की आराध्य देवी 'खुड़िया रानी' है। सैकड़ों वर्षों से इस गुफा को लोग 'खुड़िया रानी की गुफा' के नाम से जानते हैं। इस गुफा तक केवल ग्रीष्म ऋतु में ही पहुँचना संभव है। अन्य ऋतुओं में इस गुफा का दर्शन संभव नहीं है। गुफा तक पहुँचने के लिए आज भी रौनी ग्राम से बैगा साथ में ले जाने की परम्परा है।

(13) पंडरापाठ :–

बगीचा तहसील में बगीचा से उत्तर की ओर 900–1000 मीटर की ऊँचाई पर पंडरापाठ है। यहाँ विभिन्न रंगों की मिट्टियाँ पायी जाती है। यहाँ पहाड़ी कोरवा पाये जाते हैं। इस क्षेत्र में आलू का उत्पादन किया जा रहा है।

(14) नागलोक क्षेत्र :–

जशपुर जिले के तपकरा विकास खण्ड में तपकरा में सर्प उद्यान निर्मित किये जा रहे हैं। इस क्षेत्र को नागलोक क्षेत्र कहा जाता है। इन क्षेत्रों में सांपों के करीब चालीस प्रजातियॉ पायी जाती हैं, जिनमें कॉमन करैत, नाग नाग व वाइपर की प्रजाति काफी जहरीली होती हैं। क्षेत्र में करैत बहुतायत में पाये जाते है, नाग लोक क्षेत्र में अधिकांश आबादी गरीब आदिवासियों की है। जागरूकता और संसाधन के अभाव में अधिकांश ग्रामीण आज भी घरों में जमीन पर सोते है, और जमीन में रेगने वाले सर्पों के शिकार बनते है। यहाँ सर्प उद्यान विकसित हो जाने के बाद इस क्षेत्र में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी और इस क्षेत्र का विकास भी होगा।

(15) धार्मिक केन्द्र – सोगड़ा आश्रम –

जशपुर नगर से 18 कि.मी. की दूरी पर जशपुर सन्ना मार्ग पर 'सोगड़ा आश्रम' है, यहाँ स्थित अवधूत भगवान राम का आश्रम है, यहाँ स्थित अवधूत भगवान राम का आश्रम एवं मंदिर दर्शनीय है। दूर–दूर से श्रद्धालु दर्शन हेतु आते हैं।

(16) कुनकुरी का महागिरजा घर :–

रायगढ़–जशपुर मार्ग पर रायगढ़ से लगभग 167 कि.मी. पत्थल गाँव से 56 कि.मी. एवं जशपुरनगर से 44 कि.मी. की दूरी पर कुनकुरी स्थित है। यहाँ का महागिरजा घर (चर्च) एशिया का दूसरा विशाल गिरजा घर है। यह चर्च कैथेलिक धर्मावलम्बियों का पवित्र स्थान है। इसकी धारक क्षमता 10,000 है। एशिया प्रसिद्ध यह चर्च मिश्रित शिल्पकारी और आकर्षक होने के कारण दूर–दूर से सैलानियों को आकर्षित करता हैं।

(17) हर्बल औषधि पार्क :–

जशपुर जिले के जशपुर बगीचा एवं सन्ना पाट पेड़ पौधे है, जो औषधि के रूप में काम आते हैं। आज भी इस क्षेत्र में रहने वाले अधिकांश लोग जंगली जड़ी–बूटी से अपना इलाज करते है। आवश्यकता इस बात की है, कि इस क्षेत्र का विकास कर इसे पार्क के रूप में बनाया जाय जिससे कई लोगों को रोजगार प्राप्त हो सकेगा।

(18) सन्ना घाट :–

बगीचा से 25 कि.मी. दूर सघन बनों के मध्य सड़क मार्ग पर सन्ना घाट स्थित है। यहाँ स्वास्थ्य वर्धक वातावरण है। ग्रीष्म ऋतु में भी यहाँ शीतला बनी रहती है।

इन आकर्षक स्थलों के अतिरिक्त कई छोटे–छोटे पर्यटक स्थल हैं। जैसे– महनई जलप्रपात, करोल गुफा, दराब घाघ, नंदन झरिया, कोमड़ो जलाशय, पनचक्की, जशपुर नगर का बालाजी मंदिर, शिव मंदिर, देवी मंदिर एवं रियासत राजाओं का निवास स्थल आराम निवास इत्यादि। इन सभी केन्द्रों का विकास किया जाए तो अकर्षक पर्यटन केन्द्र हो जायेगा।

अध्ययन क्षेत्र अपने अन्दर पर्यटन विकास की अनन्त संभावनाएँ हुए है, परन्तु सत्य है कि पर्यटन विभाग द्वारा इस क्षेत्र के पर्यटन स्थलों का समुचिक विकास नही किया गया। जिसके कारण यह क्षेत्र अभी भी पिछड़ा हैं। यह क्षेत्र नैसर्गिक सौन्दर्यता से परिपूर्ण हैं। परन्तु इसकी प्रगति संतोषजनक नहीं है। पर्यटन वास्तव में विकास को बढ़ावा देने वाली गतिविधि है।

अध्ययन क्षेत्र की समस्याएँ :–

अध्ययन क्षेत्र में पर्यटन विकास की अपार संभावनाएँ है, परन्तु इन क्षेत्रों में कुछ समस्याएँ भी है–

(अ) सबसे बड़ी समस्या – हाथी :–

यह क्षेत्र प्राकृतिक सम्पदा हेतु धन–धान्य हैं और हाथियों का दल इस क्षेत्र में विचरण करते रहते है। इससे कई क्षेत्रों में जान–माल की क्षति हुई है। वन विभाग व राज्य सरकार इस दिशा में सक्रिया पहल करें तो इस समस्या का निदान हो सकेगा।

(ब) नक्सलियों का भय :–

इस क्षेत्र की दूसरी महत्वपूर्ण समस्या है। यह क्षेत्र झारखण्ड की सीमा से लगा है, जिससे कई क्षेत्रों में नक्सलियों का घुस पैठ होता रहता है। अध्ययन क्षेत्र में कई दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में प्राकृतिक पर्यटन केन्द्र है। भय के कारण लोग वहाँ तक जाने से डरते हैं।

उदा. महनई जलप्रपात, दनगरी जल प्रपात रानी गुफा इत्यादि।

विकास हेतु सुझाव :–

अध्ययन क्षेत्र में पर्यटन विकास के लिए कई बातें उत्तरदायी है–

(1) आवागमन के साधन :–

पर्यटन विकास हेतु सभी पर्यटन स्थलों तक पहुँच मार्ग को उच्च स्तर का बनाया जाए जिससे पर्यटक आसानी से पहुँच सके। सड़क मार्गों एवं रेल मार्गों के विकास से इस क्षेत्र का विकास सम्भव है।

(2) ठहरने की उत्तम व्यवस्था :–

पर्यटन केन्द्र के आस–पास होटल या रेस्टोरेंट की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे पर्यटकों को उचित मूल्य पर ठहरने के लिए साफ एवं सुविधा जनक स्थल मिल सकेगा।

(3) पर्यटन केन्द्रों तक ले जाने के लिए

प्रशिक्षित मार्ग दर्शकों को उपलब्ध कराना एवं क्षेत्र का प्रचार एवं प्रसार आवश्यक है।

(4) पर्यटन स्थलों के विकास में अनेक पेड़–पौधे कट जाते हैं। विकास के साथ–साथ पर्यावरण के अनुकूल सौन्दर्यीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

(5) जशपुर क्षेत्र प्राकृतिक पर्यटन के लिए एक आकर्षक भू–भाग है, इससे बहुत अधिक राजस्व की प्राप्ति हो सकती है। इस ओर अधिक प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

(6) अध्ययन क्षेत्र में पर्यटन के विकास से लोगों को रोजगार की प्राप्ति होगी, उनके जीवन स्तर में सुधार होगा तथा सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

(7) अध्ययन क्षेत्र में प्रकृति की अनुपम सौन्दर्य एवं हरियाली वर्ष भर बनी रहती है, यहाँ शीतल एवं स्वास्थ्यवर्धक वातावरण है। अतः राज्य सरकार इस क्षेत्र को शिमला, नैनीताल की तरह ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने हेतु पहल कर सकती हैं।

निष्कर्ष :–

अतः प्रशासनिक दृष्टि से सरकार इस सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करे, पुलिस थाना एवं जगह–जगह पुलिस चौकी स्थापित करे जिससे पर्यटक निर्भिक होकर प्रकृति के इस अनुपम उपहार का आनंद ले सके। अध्ययन क्षेत्र जशपुर का वनांचल जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र एक नैसर्गिक पर्यटन के रूप में विकसित हो सके।

संदर्भ सूची :–

1. प्राकृतिक पर्यटन प्रबन्धन एवं विकास – ताज रावत
2. छत्तीसगढ़ का पर्यटन – प्रो. टी.डी. शर्मा
3. आगत से अतीत तक की धरोहर – छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल

Chief Ministers

State	Chief Minister
Andhra Pradesh	Shri. Nara Chandrababu Naidu
Arunachal Pradesh	Shri Pema Khandu
Assam	Shri Sarbananda Sonowal
Bihar	Shri Nitish Kumar
Chhattisgarh	Dr. Raman Singh
Delhi (NCT)	Shri Arvind Kejriwal
Goa	Shri Manohar Parrikar
Gujarat	Shri Vijaybhai R. Rupani
Haryana	Shri Manohar Lal
Himachal Pradesh	Shri Virbhadra Singh
Jammu and Kashmir	Mehbooba Mufti Sayeed
Jharkhand	Shri Raghubar Das
Karnataka	Shri Siddaramaiah
Kerala	Shri Pinarayi Vijayan
Madhya Pradesh	Shri Shivraj Singh Chouhan
Maharashtra	Shri Devendra Fadnavis
Manipur	Shri N. Biren Singh
Meghalaya	Dr. Mukul Sangma
Mizoram	Shri Lal Thanhawla
Nagaland	Shri T. R. Zeliang
Odisha	Shri Naveen Patnaik
Puducherry (UT)	Shri. V. Narayanasamy
Punjab	Shri Capt. AmarinderSingh
Rajasthan	Smt. Vasundhara Raje
Sikkim	Shri Pawan Kumar Chamling
Tamil Nadu	Shri Thiru Edappadi K. Palaniswami
Telangana	Shri K Chandrasekhar Rao
Tripura	Shri Manik Sarkar
Uttar Pradesh	Shri Yogi Aditya Nath
Uttarakhand	Shri Trivendra Singh Rawat
West Bengal	Km. Mamata Banerjee

और डेढ़ साल बाद

–सुश्री. नवीता कुजूर, रायपुर (छ.ग.)

आज हमारे अन्दर बस एक ही इच्छा होनी चाहिए, मरने की इच्छा, ताकि भारत जी सके। एक शहीद की मौत मरने की इच्छा ताकि स्वतंत्रता का मार्ग शहीदों के खून से प्रशस्त हो सके। प्रस्तुत कथन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया है। वे अच्छी तरह जानते थे कि उनका 'स्वतंत्र भारत' का सपना इतना आसान नहीं है और इस सपने को साकार करने के लिए उन्हें अपने लहू की कीमत चुकानी होगी। स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए उन्हें वीरगति के मार्ग से गुजरना ही होगा। सुभाष चंद्र बोस 'शहीद' की मौत क्यों चाहते थे ? शायद इसलिए क्योंकि वह 'बलिदान' का महत्व समझते थे। लेकिन अब परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं और हम भी बलिदान का महत्व भूल चुके हैं।

जिस प्रकार स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत को आज़ादी दिलाने के लिए अपना बलिदान दिया, उसी प्रकार हमारे पूर्वजों ने भी हमारे आदिवासी समाज का उत्थान करने के लिए स्वयं का बलिदान दिया। इनके बलिदानों के बावजूद आज हमारा आदिवासी समाज प्रगति करने में पिछड़ रहा है। इस पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार कौन है? आदिवासी अपनी कर्मठता के लिए पहचाने जाते हैं, फिर भी उनकी गिनती प्रगतिशील समाज के रूप में क्यों नहीं होती ? क्या हम आदिवासी भाई–बहन अपने पूर्वजों की तरह मेहनती नहीं हैं? या हम अपने आदिवासी भाई–बहनों की सफलता प्राप्त करने में मदद नहीं करते ? या फिर इस पिछड़ेपन के लिए वह नेतागण जिम्मेदार हैं जिन्हें हमने अपने मार्गदर्शक के रूप में चुना है ?

उपर्युक्त सभी कारण आदिवासी समाज के पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार हैं। हमारे पूर्वजों ने अत्यन्त त्याग और तपस्या का जीवन जिया ताकि उनकी आगे आने वाली पीढ़ी को त्याग का जीवन न जीना पड़े। आज हम ऐसा जीवन जी तो रहे हैं जहाँ हमें त्याग नहीं करना पड़ रहा है लेकिन अगर आज हमने मेहनत नहीं की तो हो सकता है कि भविष्य में हमें त्यागमय जीवन जीना पड़े। इसके अलावा हम आदिवासी भाई–बहनों की एक और कमजोरी यह भी है कि हम एक–दूसरे की मदद नहीं करते हैं। मदद करने के मामले में हम केवल अपने परिवार तक ही सीमित रह गये हैं और समाज के भाई–बहनों को भूलते जा रहे हैं।

लेकिन आदिवासियों के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण है सही नेता का चुनाव न करना। जब–जब हमने अपने लिए गलत नेता का चुनाव किया है, तब–तब आदिवासियों का पतन हुआ है। एक आदिवासी की ज़रूरत को एक आदिवासी से बेहतर और कोई नहीं समझ सकता है, एक आदिवासी नेता ही हमारे आदिवासी समाज को प्रगति की ओर ले जा सकता है, हमारे लिए खड़ा हो सकता है और लड़ भी सकता है। अब से डेढ़ साल बाद हमारे प्रदेश में चुनाव होने हैं, अगर हमने अभी से अपने लिए सही नेता को चुनने की तैयारी नहीं की तो कहीं ऐसा न हो कि अपने दयनीय एवं शोषित स्थिति के लिए हम स्वयं को ही दोषी ठहराएँ।

वर्तमान समय में आदिवासी नौकरी के लिए दर–दर भटक रहे हैं लेकिन हमारी गुहार सुनने वाला कोई नहीं है। अपने निजी अनुभव से मैंने जाना कि आज की तारीख में एक नौकरी पाना, एड़ी–चोटी के ज़ोर लगाने के समान हो गया है। प्रतिवर्ष नौकरियाँ कम होती जा रही हैं एवं बेरोजगार/परीक्षार्थी बढ़ते जा रहे हैं। प्रतियोगिता पहले से कहीं अधिक बढ़ गयी है। अगर हमने अभी से कड़ी मेहनत नहीं की तो हमारा बाकी का जीवन मजदूरों की तरह बीतेगा। अगर हम अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं तो हमें कठिन परिश्रम करना होगा। अगर परेशानियों की बात करें तो बेरोजगारी की तरह न जाने कितनी समस्याएँ हैं जिनसे आदिवासी जूझ रहे हैं। इन्हीं समस्याओं के कारण आज हम (आदिवासी) पलायन करने को मजबूर हैं। हम सोचते हैं कि पलायन कर लेने से हमारा जीवन बेहतर हो जाएगा, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम एक आदिवासी जिसे आज नहीं तो कल लौटकर वापस अपनी जमीन के लिए आना ही है। यदि हम पलायन करते है तो इसका मतलब यह है कि हम जानबूझ कर अन्य जन को हमारी भूमि पर कब्ज़ा करने दे रहे हैं। यदि पलायन करते हैं तो यह हमारे द्वारा लिए गये कमजोर फैसले के समान है।

आदिवासियों की एक और बड़ी समस्या है भूमि अधिग्रहण। 1894 के भूमि अधिग्रहण बिल की जगह नया कानून 2014 से लागू किया गया जिसके अनुसार

एक आदिवासी की जमीन एक आदिवासी ही खरीद सकता है लेकिन क्या इस कानून का कड़ाई से पालन हुआ है? और क्या उन आदिवासियों को जिनका भूमि–अधिग्रहण इस कानून के लागू होने के पूर्व ही हो चुका है, उन्हें इंसाफ मिला है? 1894 का कानून एक जनविरोधी कानून के समान या जिसके अनुसार ज़बरदस्ती भूमि–अधिग्रहण कर लेना कोई गलत काम नहीं था। यह कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है कि इस कानून को जनविरोधी से जनहित बनाने में 120 वर्षों का समय लगा। जनहित कानून बनने के बाद भी इसका पालन न तो पहले हुआ था, न अब हो रहा है। निर्माण एवं विकास के नाम पर सरकार, कॉर्पोरेट कम्पनी एवं उनके दलाल हम आदिवासियों को रोजगार, नगद पैसे, जैसे लालच देकर हमें हमारी ही जमीन से बेदखल करना चाहती है। प्रकृति ने हमारे प्रदेश छत्तीसगढ़ को विभिन्न प्रकार के खनिजों से सम्पन्न किया है। इसमें कबीरधाम, राजनांदगाँव, कांकेर और दंतेवाड़ा में लौह अयस्क, सरगुजा, कोरबा एवं रायगढ़ जिले में कोयला, जांजगीर–चाँपा में डोलोमाइट, बस्तर में टिन, जशपुर, सरगुजा और कबीरधाम में बॉक्साइट, रायपुर, राजनांदगाँव, दुर्ग, कबीरधाम और बस्तर में चूनापत्थर, आदि हैं। इन खनिजों के अलावा प्रदेश में एल्यूमीनियम, ताँबा, मैंग्नीज, कोरण्डम, भी भारी मात्रा में पाये जाते हैं। भारत का 70 प्रतिशत तेंदूपत्ता का उत्पादन छत्तीसगढ़ से होता है। इन खनिज सम्पदा की वजह से कई उद्योगपति एवं बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण करना चाहती है। कई कम्पनियों ने तो इन क्षेत्रों में अपनी पारियोजनाएँ प्रारम्भ भी कर दी हैं। इन परियोजनाओं का आदिवासी क्षेत्रों में बहुत विरोध भी हो रहा है। किन्तु हमारे समर्थन में कोई आगे नहीं आ रहा, सरकार भी नहीं। सरकार आदिवासियों के लिए जल, जंगल और जमीन बचाने में बिलकुल भी कदम नहीं उठा रही है। हम आदिवासियों की मूल परम्परा, मान्यताओं, सांस्कृतिक विरासत को क्षति पहुँचाये बिना भी प्रदेश को विकसित कर सकती है पर नहीं कर रही है। आदिवासियों की जमीन फर्जी और बेनाम तरीके से खरीदने एवं जमीन अधिग्रहण में फर्जीवाड़े के कई मामले सामने आ रहे हैं। समस्या तो बहुत है लेकिन हल नहीं है।

बेरोजगारी, गरीबी, भूमि–अधिग्रहण, शोषण एवं अत्याचार के अलावा एक और समस्या हमारे आदिवासी समाज में दिख रही है, वह है ख्रीस्तीय आदिवासी की संख्या में घटाव। छत्तीसगढ़ के जशपुर एवं रायगढ़ जिले में ईसाई आबादी का प्रतिशत राज्य में सबसे ज्यादा है। 1860 में जब ईसाई मिशनरियों ने प्रदेश में प्रवेश किया तब उन्होंने आदिवासियों को स्वास्थ्य, शिक्षा एवं कानून संबंधी सहायता देकर उनकी मदद की और ईसाई धर्म के बारे में बतलाया और इस प्रकार ईसाई आदिवासी अस्तित्व में आये। लेकिन ईसाई और हिन्दू संगठनों के बीच तकरार बढ़ गई। पिछले कुछ सालों में ईसाई धर्म को मानने वालों की संख्या घटी है, पिछले कुछ सालों में ईसाई संगठनों पर हमले और मुकदमें इत्यादि घटनाएँ राज्य के अलग–अलग हिस्सों में सामने आई हैं। वैसे संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, फिर क्यों कुछ दल इसे एक हिन्दू राष्ट्र बनाना चाहते हैं ? वे हमारे लिए आरक्षण भी खत्म कर देना चाहते हैं, और भूमि–अधिग्रहण करके हमसे हमारा सब कुछ छीन लेना चाहते हैं। अब हम आदिवासियों को ही तय करना है कि हम अपने लिए आज क्या चाहते हैं। इतना कष्ट झेलने के बाद भी हमारे अन्दर एक आग नहीं जलती कि आज के बाद हम यह अत्याचार न सहें। अपने विरुद्ध हो रहे दुराचार, शोषण एवं जुल्म के बदले हम एक साथ मिलकर आगे आएँ और इन समस्याओं का ऐसा समाधान निकालें कि फिर कभी कोई किसी आदिवासी का शोषण नहीं कर सके। इसका एक ही रास्ता है और वह एक 'आदिवासी के लिए आदिवासी', अर्थात् एक आदिवासी राज्य को चलाने के लिए एक आदिवासी नेता। अब से डेढ़ साल बाद चुनाव होने हैं और अगर हमने अभी से इसके लिए तैयारी नहीं की तो हम आदिवासी अपनी सम्पत्ति अर्थात् 'जल, जंगल और जमीन' से हाथ धो बैठेंगे। हमारा जीवन अंधकारमय हो जायेगा। न तो हमारे पास नौकरी रहेगी, न आरक्षण, न ही भूमि और न ही हमारा अस्तित्व रह जायेगा।

एक आदिवासी नेता ही हमें हमारी मांगों और हमारे अधिकारों के लिए लड़ सकता है। अब वक्त आ गया है कि हम एकजुट होकर आगे आएँ और अपने अस्तित्व की रक्षा करें। हम अपने पूर्वजों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने दे सकते। यह बात हमें डेढ़ साल बाद चुनाव में साबित करनी ही है और हम यह करके भी रहेंगे क्योंकि हम आदिवासी हैं जो अपनी कर्मठता के लिए पहचाने जाते हैं, और हमने इरादा कर लिया है।

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

(राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 6 कमांक 4)
(दिनांक 09.06.2015 तक यथा संषोधित)

प्रस्तुति – श्री वीरेन्द्र लकड़ा (डिप्टी कलेक्टर)

विषय :– प्राकृतिक आपदा से हुई फसल क्षति, मकान क्षति, जनहानि, पशुहानि एवं अन्य क्षतियों के लिए आर्थिक अनुदान सहायता।

1. प्राकृतिक प्रकोपों जैसे– अतिवृष्टि, ओला, पाला, तुसार, शीतलहर, टिड्डी, बाढ़ आंधी, तूफान, भूकंप, भू–स्वखलन,बादल का फटना, मिट्टी या बर्फ का पहाडो से खिसकना, सुनामी, कीट प्रकोप, लू (Sun Stroke) एवं अग्नि दुर्घटनाओं से फसल को नुकसान तथा जनहानि एवं पशुहानि होती है। अग्नि दुर्घटना में कृषक की फसल या मकान के जलने से हानि होती है और व्यक्तियों और पशुओं के जल जाने से जनहानि एवं पशुहानि भी होती है। कभी–कभी दुकानों में आग लग जाने से छोटे दुकानदारों को बेरोजगार हो जाना पड़ता है। प्राकृतिक प्रकोपों से कई मामलों में कृषक बेघर हो जाते हैं इन सब परिस्थितियों में शासन का यह दायित्व हो जाता है कि संबंधित पीड़ित को तत्काल अनुदान के रूप में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाये, जिससे संबंधित पर आई विपदा का मुकाबला करने के लिए उनमें मनोबल बना रहे और वह अपने परिवार को पुनर्स्थापित कर सकें।

2. पूर्व मे राज्य शासन द्वारा अलग–अलग प्रकार की प्राकृतिक विपदाओं में दी जाने वाली आर्थिक सहायता के निर्देश दिये गये है तथा मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं, फिर भी विगत वर्षो में आई प्राकृतिक आपदाओं से हुई व्यापक हानि के संदर्भ में यह महसूस किया गया है, कि वर्तमान प्रावधानों के अनुसार पीड़ितों को दी जाने वाली सहायता के मापदण्डो के बारे में पूर्ण रूप से विचार किया जाकर उनमें संशोधन करना आवश्यक है। प्राकृतिक प्रकोपों से कृषक, भूमिहीन व्यक्ति तथा आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को जो क्षति होती है उसके संदर्भ में शासन की ओर से ऐसी व्यवस्था हो, जिससे कि उपयुक्त समय में समुचित आर्थिक सहायता उपलब्ध हो सके।

3. राज्य शासन की ओर से इस परिपत्र के अन्तर्गत जो आर्थिक अनुदान सहायता के मापदण्ड निर्धारित की गई है, उसका उद्देश्य पीडितों को तात्कालिक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है, न कि संबंधित को हुई क्षति की पूर्ण प्रतिपूर्ति मुआवजे के रूप में प्रदान करना, किन्तु यह भी आवश्यक है, कि ऐसे मामलो में जिनमें किसी प्राकृतिक प्रकोप के कारण बहुत अधिक लोगों एवं परिवारों को ऐसी हानि हुई, जिसमें वे बेघर एवं बेरोजगार हो गये है, वहां पर्याप्त राहत पहुंचाई जाये।

4. जब कभी प्राकृतिक प्रकोपों से कोई हानि होती है, तब पटवारी, ग्राम पटेल एवं कोटवार, जो कि स्थानीय राजस्व कर्मचारी है, का यह प्रमुख दायित्व होगा, कि वे क्षेत्र के राजस्व अधिकारी, यथा नायब तहसीलदार, तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी को इस बात की तत्काल सूचना दें तथा ये अधिकारी मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए जिले के कलेक्टर एवं संभागीय आयुक्त को आवश्यक रिपोर्ट तत्काल दें। इसी के साथ–साथ तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी का भी यह दायित्व एवं कर्तव्य है, कि वे जिस क्षेत्र में इस तरह की हानि हुई है, वहां मौके पर तत्काल पहुंचकर क्षति का आंकलन करने के साथ–साथ तत्काल राहत उपलब्ध कराने के लिए सभी प्रकार के आवश्यक कदम उठावें। यदि क्षति हुई है, तो शासन द्वारा स्वीकृत एवं निर्धारित मापदण्डों के अनुसार आर्थिक अनुदान सहायता उपलब्ध कराने की तत्काल कार्यवाही करें, साथ ही स्थानीय व्यक्तियों एवं स्थानीय संस्थाओं से जो जन सहयोग के रूप में सहायता देने को तैयार है, उनके द्वारा दी जाने वाली सहायता को तत्काल पीड़ितों को उपलब्ध कराएँ।

5. तहसीलदार अपने तहसील कार्यालय में संलग्न प्रारूप फार्म 3 में एक पंजी संधारित करेंगे, जिसमें उनके क्षेत्राधिकार में प्राकृतिक प्रकोपों से हुई हानि और उपलब्ध कराई गई सहायता का पूर्ण विवरण रखा जायेगा।

6. यदि प्राकृतिक प्रकोपो से क्षति केवल किसी कृषक विशेष या व्यक्ति विशेष को ही हुई है, तो संबंधित व्यक्ति निर्धारित संलग्न फार्म 2 में आवेदन–पत्र तहसीलदार को दे सकेंगे। तहसीलदार आवेदन–पत्र के तथ्यों को पूर्ण जांच कर निर्धारित सहायता की पात्रता सुनिश्चित करेंगे। व्यापक रूप आपदा के मामले में प्रभावित व्यक्तियों द्वारा आवेदन देना अनिवार्य नही होगा। बल्कि राजस्व अधिकारी द्वारा स्वयं प्रेरणा से प्रभावित क्षेत्र का सर्वेक्षण कर आर्थिक सहायता के प्रकरण तैयार किये जायेंगे। यदि सहायता की राशि तहसीलदार

के वित्तीय अधिकार की सीमा में है, तो 10 दिन के भीतर सहायता उपलब्ध कराई जायेगी और यदि प्रकरण तहसीलदार के वित्तीय अधिकार की सीमा से अधिक राशि का है, तो यथास्थिति प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी/कलेक्टर/संभागीय आयुक्त या शासन की स्वीकृति प्राप्त की जायेगी। पीड़ितो को सहायता राशि आवेदन पत्र देने के 15 दिन के अन्दर अनिवाग्र रूप से उपलब्ध हो जाय, इसका पूरा ध्यान रखा जाये।

7. जिन मामलों में प्राकृतिक प्रकोपो से हुई हानि के कारण पीडित परिवार को पुनर्स्थापित किये जाने के उद्देश्य से शासन द्वारा ऋण उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है, उनमें संबंधित पीडित व्यक्ति को संलग्न प्रारूप फार्म 1 मे एक करार पत्र निश्पादित करना आवश्यक होगा।

8. इस परिपत्र के परिशिष्ट 'एक' के अनुसार पीड़ित व्यक्तियों को अनुदान के रूप में आर्थिक सहायता तथा ऋण उपलब्ध कराये जा सकेंगे।

9. प्रत्येक मामले में प्राकृतिक आपदा से पीड़ित व्यक्ति या उसके परिवार को आर्थिक सहायता अनुदान स्वीकृत करने के वित्तीय अधिकारी निम्नानुसार होंगेः–

1	संभागीय आयुक्त	15.00 लाख रूपये से अधिक
2	कलेक्टर	15.00 लाख रूपये तक
3	अनुविभागीय अधिकारी	4.00 लाख रूपये तक
4	तहसीलदार	2.00 लाख रूपये तक

इसी तरह पीड़ित को जिन मामलों में ऋण स्वीकृत करने के निर्देश दिये गये हैं, उनमें ऋण स्वीकृति के वित्तीय अधिकार निम्नानुसार होंगे :–

1	*संभागीय आयुक्त*	*1 लाख रूपये से अधिक*
2	*कलेक्टर*	*1 लाख रूपये तक*
3	*अनुविभागीय अधिकारी*	*50 हजार रूपये तक*

10. इस परिपत्र के अनुसार ' राजस्व अधिकारी' से आशय किसी ऐसे संभागीय आयुक्त, कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार या नायब तहसीलदार से है, जिसका क्षेत्राधिकार ऐसे क्षेत्र मे हो, जहां प्राकृतिक प्रकोप से क्षति हुई है।

11. ऐसे मामले, जिनमें पीड़ित व्यक्ति जिसकी झोपड़ी/मकान या पशुशाला नष्ट हो गई है, उसे झोपड़ी/मकान या पशुशाला बनाने के लिये निःशुल्क बांस एवं बल्ली उपलब्ध कराई जायेगी। तहसीलदार निकटतम वन डिपों के रेन्जर को इस आशय की सूचना देंगे, कि संबंधित पीड़ित को कितने बांस एवं कितनी बल्लियां दी जाएं। संबंधित वन डिपों इन्चार्ज का यह कर्त्तव्य होगा, कि वह तत्काल समुचित मात्रा में बांस बल्लियां पीड़ित व्यक्ति को प्रदान करें। ऐसे मामलों में अधिकतम मात्रा 50 बांस एवं 30 बल्ली प्रति मकान (पशुशाला सहित) दी जा सकेंगी। बांस बल्ली की डिपों से गन्तव्य स्थान तक ढुलाई व्यय की प्रतिपूर्ति पीड़ित व्यक्ति को अलग से की जावेगी, जो कि वास्तविक ढुलाई व्यय के अनुसार होगी, किन्तु अधिकतम राशि रू. 1,000.00 (रूपये एक हजार) मात्र से अधिक नही होगी।

12. अग्नि दुर्घटनाओं में आग बुझाने में फॅायर ब्रिगेड के उपयोग से संबंधित व्ययों की प्रतिपूर्ति मांग संख्या–58 के अन्तर्गत प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय, मुख्यशीर्ष 2245– प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत 01–सूखा–101– निःशुल्क सहायता–96–अग्नि पीड़ितों को राहत आयोजनेत्तर मद से की जायेगी।

13. बाढ़ नियंत्रण के कार्य के लिए सेना की सहायता प्राप्त करने पर परिवहन का जो भी व्यय होगा, उसकी प्रतिपूर्ति संबंधित जिले के कलेक्टर मांग संख्या – 58 के मुख्यशीर्ष – 2245 से कर सकेंगे।

14. इस परिपत्र के अन्तर्गत दी जाने वाली समस्त प्रकार की सहायता अनुदान की राशि मांग संख्या–58 के अन्तर्गत प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्र में राहत पर व्यय मुख्यशीर्ष–2245 प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत मद के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

15. राजस्व अधिकारियों को प्राकृतिक प्रकोपों से हुई हानि का आंकलन करने एवं पीड़ितों को सहायता उपलब्ध कराने की कार्यवाही में माननीय जनप्रतिनिधियों का अधिक से अधिक विश्वास एवं सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए।

16. प्राकृतिक प्रकोपों से हुई हानि के लिये मांग संख्या –58 मुख्य शीर्ष–2245 मे यदि आबंटन उपलब्ध न हो तो कलेक्टर शासन से आबंटन प्राप्त होने की प्रत्याशा में पीड़ितो को तत्काल राहत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आवश्यक राशि उक्त शीर्ष से

आहरित करने के आदेश दे सकेंगे तथा शासन को आबंटन उपलब्ध कराने हेतु तत्काल मांग पत्र भेजेंगे।

17. बगैर पूर्व सूचना के बांधो का पानी छोडने से यदि क्षति होती है, तो प्रभावितों को आर्थिक सहायता अनुदान राशि दी जावे।

18. यह संभव है, कि प्राकृतिक विपत्ति से निपटने के लिये या राहत देने के लिये किसी स्थिति का इस परिपत्र में समावेश न हुआ हो, ऐसा होने पर कलेक्टर तुरन्त शासन से सिफारिश करते हुए योग्य आदेश प्राप्त करेंगे।

19. इस परिपत्र के अन्तर्गत देय अनुदान सहायता राशि प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित सभी पात्र व्यक्तियों को, चाहे वे राजस्व ग्रामों के निवासी हों या वनग्रामों के निवासी हों, देय होगी। वनग्रामों में भी क्षति का सर्वेक्षण एवं अनुदान सहायता राशि के वितरण का दायित्व संबंधित राजस्व अधिकारी का होगा, जिसका निर्वहन वह संबंधित वन अधिकारी के सहयोग से करेगा।

20. इस परिपत्र के जारी होने की तिथि से पूर्व में राजस्व पुस्तक परिपत्र 6–4 के अन्तर्गत जारी किये गये सभी निर्देश निरस्त माने जायेंगे।

परिषिष्ट – ''एक''

प्राकृतिक आपदा से होने वाली क्षति के लिये शासन द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता अनुदान के लिये निर्धारित मापदण्ड।

(एक) (क) कृषि भूमि तथा फसल हानि के लिए आर्थिक सहायता :–

क.	क्षति का प्रकार	दी जाने वाले आर्थिक सहायता अनुदान राषि
अ.	**कृषि भूमि की हानि :–**	
1	2 हेक्टर तक कृषि भूमि धारण करने वाले कृषकों को सामान्य क्षेत्राकें में प्राकृतिक आपदा से कृषि भूमि पर ''3'' से अधिक मोटी रेत, गाद, पत्थर हटान हेतु सहायता अनुदान।	12,000/– रूपये (बारह हजार दो सौ रूपये) प्रति हेक्टर अनुदान। परन्तु यह सहायता तभी दी जायेगी, जब किसी अन्य शासकीय योजना से कोई सहायता देय न हो।
2	2 हेक्टर तक कृषि भूमि धारण करने वाले कृषको को पहाडी क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदा से कृषि भूमि पर भर गये मलमा, हटाने हेतु सहायता अनुदान	
3	2 हेक्टर तक कृषि भूमि धारण करने वाले कृषको को फिश फार्म पर भर गये मलमा, हटाने तथा मरम्मत हेतु सहायता अनुदान	
4	2 हेक्टर तक कृषि भूमि धारण करने वाले लघु एवं सीमांत कृषको को भूमि कटाव, भूस्खलन, एवलांच या नदी के बहाव में बदलाव आदि से भूमि की हानि होने पर सहायता अनुदान	37,500/– रूपये (सैंतीस हजार पांच सौ रूपये) प्रति हेक्टर अनुदान।

	ब फसल हानि :–	***33 प्रतिशत से अधिक फसल हानि होने पर (नीचे क्र. 1 से 5 एवं 7 के लिए) :–***
1	*2 हेक्टर तक कृषि भूमि धारण करने वाले किसानों को कृषि उद्यानिकी, तथा वार्षिक वृक्षारोपण वाली फसल हानि होने पर सहायता अनुदान*	*3 असिंचित भूमि के लिए 6,800/– रूपये (छः हजार आठ सौ रूपये) प्रति हेक्टर, सिंचित भूमि के लिए 13,500/– रूपये (तेरह हजार पांच सौ रूपये) प्रति हेक्टर, न्यूनतम सहायता – 1000/– रूपये (एक हजार रूपये) से कम नहीं होगी, बोनी क्षेत्र के आधार पर निर्धारित। 7,500/– रूपये (सैंतीस हजार पांच सौ रूपये) प्रति हेक्टर अनुदान।*

2	2 हेक्टर तक कृषि भूमि धारण करने वाले किसानों को बारहमासी फॅसल हानि होने पर सहायता अनुदान।	18,000/– रूपये (अठारह हजार रूपये प्रति हेक्टर, न्यूनतम सहायता 2,000/– रूपये (दो हजार रूपये) से कम नही होगी, बोनी क्षेत्र के आधार पर निर्धारित।
3	2 हेक्टर तक कृषि भूमि धारण करने वाले किसानों को रेशम फसल हानि होने पर सहायता अनुदान	4,800/– रूपये (चार हजार आठ सौ रूपये प्रति हेक्टर, इरी, मलबरी, टसर एवं पटसन के लिए तथा 6,000/– रूपये (छः हजार रूपये) प्रति हेक्टर मुंनगा फसल के लिए।
4	2 हेक्टर तक कृषि भूमि धारण करने वाले किसानों को कृषि, उद्यानिकी, वार्षिक वृक्षारोपण वाली फसल हानि होने पर सहायता अनुदान	असिंचित भूमि के लिए 6800/– रूपये (छः हजार आठ सौ) रूपये प्रति हेक्टर, सिंचित भूमि के लिए 13500/– रूपये (तेरह हजार पांच सौ रूपये) प्रति हेक्टर।
5	0 हेक्टर से 10 हेकअर तक कृषि भूमि धारण करने वाले किसानों को फलां की फसल हानि होने पर सहायता अनुदान।	13,500/– रूपये (तेरह हजार पांच सौ रूपये) प्रति हेक्टर।
6	भूमिहीन कृषक को मजदूरी के रूप में प्राप्त अनाज का अग्नि दुर्घटना या अन्य प्राकशतिक आपदा में हुई क्षति के लिए अनुदान।	पूर्ण जांच के बाद, कलेक्टर की संतुष्टि पर, नष्ट हुये अनाज की मात्रा को ध्यान में रखकर अधिकतम 10,000/– रूपये (दस हजार रूपये)।
7	पान के बरेजे, सब्जी, फलों के बाग, तरबूजे, खरबूजे आदि की क्षति भी फसल क्षति के अन्तर्गत मानी जावेगी।	
8	फलदार वृक्षों की फसल हानि होने पर 750/– रूपये प्रति वृक्ष, अधिकतम 30,000/– रूपये (तीस हजार रूपये) आर्थिक सहायता देय होगी। आम, संतरा, नीबू के बगीचे की फसल हानि होने पर अधिकतम 35,000/– रूपये (पैंतीस हजार रूपये) आर्थिक सहायता देय होगी।	
9	पपीता, केला, अनार, अंगूर की फसल क्षति होने पर 13500/– (तेरह हजार पांच सौ रूपये) प्रति हेक्टर, अधिकतम 40,000/– रूपये (चालीस हजार रूपये) आर्थिक सहायता देय होगी।	

(एक) (ख) फसल हानि के लिए ऋण की सहायता :–

प्राकृतिक प्रकोप से सम्पूर्ण फसल नष्ट होने पर प्रभावित कृषक को अनुदान सहायता के अतिरिक्त ऋण की भी सुविधा होगी, जिसकी अधिकतम सीमा रूपये 50,000/– (रूपये पचास हजार मात्र) होगी। ऋण की सहायता मांग संख्या –58, मुख्यशीर्ष – 6245 देवीय विपत्तिों के संबंध में राहत के लिए ऋण के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

नोट :–

1. राहत राशि का मापदण्ड (स्केल) निर्धारित करने के प्रयोजन के लिए क्षति का प्रतिशत कृषक द्वारा यथासिति खरीफ/रबी फसलों के अन्तर्गत बोए गए कुल क्षेत्र के आधार पर परिमाणित किया जावेगा। उदाहरणार्थ :–

(क)– यदि किसी कृषक ने यथास्थिति खरीफ/रबी मे कोई 1 हेक्टेयर क्षेत्र बोया है, और बोये समस्त क्षेत्र प्राकृतिक आपदा से 60 प्रतिशत की सीमा तक क्षतिग्रस्त हो गया, तो फसल हानि का प्रतिशत 60 प्रतिशत माना जायेगा।

(ख) यदि किसी कृषक ने यथास्थिति खरीफ/रबी के दौरान 4 हेक्टेयर क्षेत्रफल बोया हुआ है और उसमें से प्राकृतिक आपदा के कारण एक हेक्टेयर क्षेत्र में 50 प्रतिशत का नुकसान होकर शेष तीन हेक्टेयर क्षेत्रफल प्राकृतिक से अप्रभावित रहा है। तो फसल हानि का प्रतिशत 12.50 प्रतिशत माना जायेगा।

2. उक्त प्रयोजन के लिये दो फसलों के लिये दो फसलों के सिचित खाते का एक हेक्टेयर एक फसल के सिंचित खाते के दो हेक्टेयर एवं असिंचित भूमि के खाते के तीन हेक्टेयर का अनुपात माना जायेगा, अर्थात एक फसल के सिंचित एक हेक्टेयर के खाते को दो हेक्टेयर असिंचित के बराबर तथा दो फसलों के सिचिंत एक हेक्टेयर के खाते को तीन हेक्टयेर असिंचित के बराबर माना जायेगा।

3. कृषक को उपयुक्त देय अनुदान सहायता से कम मूल्य की फसल की क्षति हुई हो, तो अनुदान सहायता उस मूल्य के बराबर देय होगी।

4. कृषक का खातेदार होना आवश्यक नहीं है। अनुदान सहायता उस व्यक्ति को देय होगी, जिसके द्वारा फसल बोई गई हो, अर्थात् खातेदार की सहमति से वास्तविक कब्जेदार हो।

5. पान बरेजा नष्ट होने पर प्रभावित कृषक को अनुदान सहायता के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार अधिकतम 100 बांस भी निःशुल्क देय होंगे।

6. फसल खलिहान में रखी हो या खेत में पड़ी हुई हो, ऐसे किसी फसलों के प्राकृतिक प्रकोपों से क्षति होती है या आग लगने से फसल नष्ट हो जाती है, तो उसके लिये आर्थिक अनुदान सहायता का मापदण्ड उपर्युक्तानुसार ही होगा।

7. खातेदार यदि स्वयं खेती कर रहा है, तो उसे अथवा उसकी सहमति से जो व्यक्ति खेती कर रहा है, वह अनुदान सहायता पात्र होंगे

8. देवस्थानी भूमि का यदि किसी व्यक्ति या पुजारी को वैधानिक पट्टा दिया गया है, तो पट्टेदार को सहायता अनुदान की पात्रता होगी।

9. फसल गेरूआ रोग से प्रभावित होने पर कृषि विभाग की अनुांसा पर अनुदान सहायता देय होगी।

10. यदि किसी वर्ष विपरीत मौसम के कारण फसलों पर कीट प्रकोप एक महामारी का रूप ले लेता है और उस कारण यदि भौगोलिक रूप से जुडे एक बड़े क्षेत्र में फसलाकें की 33 प्रतिशत से अधिक हानि होती है, तो कृषि विभाग के परामर्श से पीड़ित कृषकों को राजस्व पुस्तक परिपत्र 6–4 के प्रावधानों के अनुसार सहायता देय होगी। यह सहायता विशेष अनुदान सहायता के रूप में मानी जायेगी।

(दो) पशु हानि के लिए आर्थिक सहायता :–

(1) क्षति के लिए आर्थिक सहायता (चाहे वह खातेदार हो या भूमिहीन) :–

(राशि रूपये में)

क	(अ) दुधारू पशु	राशि प्रति पशु
1	भैंस	30,000.00
2	गाय	30,000.00
3	उटनी	30,000.00
4	याक	30,000.00
5	मिथुन आदि	30,000.00
6	भेंड़	3,000.00
7	बकरी	3,000.00
8	सुअर	3,000.00

टीप :–यह सहायता मात्र आर्थिक दृष्टि से उत्पादक पशु हेतु ही मान्य होगी। 3 बड़े दुधारू पशु या 30 छोटे दुधारू पशु प्रति परिवार तक ही सीमित है।

ब) सूखे जानवर

1	*उंट*	*25,000.00*
2	*घोडा*	*25,000.00*
3	*बैल*	*25,000.00*
4	*भैंसा आदि*	*25,000.00*
5	*बछडा*	*16,000.00*
6	*गधा*	*16,000.00*
7	*खच्चर/टट्टू*	*16,000.00*

टीप :–यह सहायता मात्र आर्थिक दृष्टि से उत्पादक पशु हेतु ही मान्य होगी। अधिकतम सीमा 3 बडे सूखा पशु या 6 छोटे सूखा पशु प्रति परिवार तक ही सीमित है।

8. प्राकृतिक आपदा के समय घरेलू पोल्ट्री में पल रहे पक्षियों की मृत्यु होने पर रू. 50.00 प्रति पक्षी, किन्तु अधिकतम रू. 5,000/– प्रति परिवार सहायता देय होगी। (यह सहायता तभी देय होगी, जब किसी अन्य शासकीय योजना से सहायता नही दी जा सकती हो साथ ही पशु विभाग द्वारा एवियन इन्फ्ल्युएन्जा या अन्य रोग पर सहायता नहीं दिये जाने की स्थिति में उक्त सहायता की पात्रता होगी।)

नोट :–

1. उपरोक्तानुसार अनुदान सहायता सभी प्रकार के प्राकृतिक प्रकोपों से हुई पशुहानि के लिए देय होगी। ऐसी आपदा जिसमें सर्पदंश एवं लू (Sun Stroke) से मृत्यु होने पर आर्थिक अनुदान सहायता देय होगी। इसमें आग के कारण जलने से हुई पशुहानि सम्मिलित मानी जाए।

3. उपरोक्त अनुदान सहायता सभी भूमिधारक/भूमिहीन कृषक मजदूर को प्राप्त करने की पात्रता होगी।

4. प्राकृतिक प्रकोप या उनसे उत्पन्न घास, भूसे या पानी की कमी के कारण पशु की मृत्यु हुई है, तो ऐसी पशुहानि के लिए भी इस परिपत्र के अन्तर्गत आर्थिक सहायता दी जाएगी, किन्तु ऐसे मामलो में कलेक्टर पूर्ण जांच कर पशुधन विभाग से परामर्श कर तथा स्वयं के समाधान के बाद सहायता स्वीकृत कर सकेंगे।

(2) पषु राहत षिविर में चारा एवं पेयजल सप्लाई तथा दवाईयॉ :–

प्राकृतिक आपदा के समय पालतु पशुओं को पशुचारा हेतु रूपये 70.00 प्रति पशु प्रतिदिन बडे पशुओ के लिए तथा रूपये 35.00 प्रति पशु प्रतिदिन छोटे पशुओ के लिए प्रभावित हितग्राहियों को सहायता देय होगी। राहत केम्पो का संचालन हेतु निर्धारित अवधि 30 दिवस, परन्तु राज्य कार्यपालिक समिति द्वारा नर्धारित अवधि से 60 दिवस तक बढाया जा सकता है। सूखे की स्थिति में उक्त अवधि 90 दिवस तक बढाई जा सकती है। राज्य कार्यपालिक समिति उक्त मद पर राज्य आपदा मोचन निधि के वार्षिक प्रावधान का 25 प्रतिशत व्यय कर सकेगी।

(3) दवा और वैक्सीन :–

राज्य कार्यपालिक समिति द्वारा निधारित और अनुशंसा अनुसार पशु जनगणना के अनुरूप तथा सक्षम प्राधिकारी से सत्यापित वास्तविक व्यय।

(4) पषु चारा परिवहन :–

राज्य कार्यपालिक समिति द्वारा निधारित अनुशंसा अनुसार पशु जनगणना के अनुरूप वास्तविक व्यय ।

नोट :–

(1) उक्त प्रयोजन के लिए प्रभावित क्षेत्रों में पशुचारे में कमी होने पर कृषि एवं पशुपालन विभागी की अनुशंसा पर उक्त राशि निधारित सीमा के अन्तर्गत सहायता के रूप में देय होगी।

(2) बाढ़, तूफान आदि प्राकृतिक आपदा के समय प्रभावित हितग्राहियों के साथ पशु भी प्रभावित होते हैं, इस संबंध में पशुपालन विभाग के परामर्श पर उक्त सहायता राशि देय होगी।

(तीन) मकान हानि के लिए आर्थिक अनुदान सहायता :–

किसी भी प्रकार के प्राकृतिक प्रकोप या आग लगने के कारण मकान पूर्ण रूप से नष्ट हो गया हो या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुआ हो तो निम्नानुसार आर्थिक अनुदान सहायता दी जा सकेगी :

(1) पूर्ण नष्ट पक्का/कच्चा मकान :–

(अ) पक्का/कच्चा मकान दोनो तरह के पूण्र मकान हानि हो जाने पर सामान्य क्षेत्राकें में रूपये 95,100.00 (रूपये पिच्चानवे हजार एक सौ) प्रति आवास अनुदान, सहायता देय होगी।

(ब) एकीकृत कार्य योजना के जिलों एवं पहाड़ी क्षेत्रों में पक्का/कच्चा, दोनो तरह के मकान पूर्ण क्षतिग्रस्त

होने पर रूपये 1,01,900/– (रूपये एक लाख एक हजार नौ सौ) प्रति आवास अनुदान सहायता देय होगी।

(2) साधारण क्षति :–

1. पक्का मकान 15 प्रतिशत क्षति होने पर रूपये 5,200/– (रूपये पांच हजार दो सौ) प्रति आवास सहायता अनुदान देय होगी।

2. कच्चा मकान 15 प्रतिशत क्षति होने पर रूपये 3,200/– (रूपये तीन हजार दो सौ) प्रति आवास सहायता अनुदान देय होगी।

(3) झोपड़ी के क्षतिग्रस्त :–

प्राकृतिक प्रकोपों से अस्थाई आवास, मिट्‌टी छप्पर, गीली मिट्‌टी से बना या प्लास्टिक सीट से बनी झोपडी के क्षतिग्रस्त होने पर रूपये 4,100/– (रूपये चार हजार एक सौ) प्रति झोपड़ी अनुदान सहायता देय होगी। उक्त झोपडी चाहे स्वयं की आवास भूमि या शासकीय भूमि पर बना हो, सभी को अनुदान सहायता की पात्रता होगी।

(4) पशुगृह (जो आवास से संलग्न हो) :–

प्राकृतिक प्रकोपों से पशुगृह जो आवास के साथ संलग्न है, क्षतिग्रस्त होता है, तो रूपये 1,500/– (रूपये एक हजार पांच सौ) प्रति शेड अनुदान सहायता प्रदान की जाय।

(चार–1) कपड़ों एवं बर्तनों की क्षति के लिए आर्थिक अनुदान सहायता :–

प्राकृतिक प्रकोप या अग्नि दुर्घटना, नहर व तालाब फूटने के कारण मकान पूर्ण नष्ट होने/बह जाने या दो दिन तक जलमग्न रहने पर यदि संबंधित पीड़ित परिवार के दैनिक उपयोग के कपडे नष्ट होने पर रूपये 1,800/– (रूपये एक हजार आठ सौ)प्रति परिवार एवं बर्तनों की हानि हुई है, तो रूपये 2,000.00 (रूपये दो हजार) प्रति परिवार तक की अनुदान सहायता दी जाएगी।

(चार–2) प्राकृतिक आपदा से बेघर हुए व्यक्ति को अनुदान सहायता :–

प्राकृतिक आपदा बाढ, तूफान, अग्निदुर्घटना, नहर यातालाब के फूटने से मकान नष्ट होने के साथ–साथ यदिसंबंधित पीड़ित परिवार के दैनिक उपयोगी कपडे एवं बर्तनों की क्षति होने पर उक्त परिवार बेघरहोने की स्थिति में उक्त परिवार के प्रत्येक वयस्क सदस्य को रूपये 60/– प्रतिदिन तथा बच्चो को रूपये 45/– प्रतिदिन अनुदान सहायता दी जायेगी। उक्त सहायता ऐसे व्यक्तियों को प्राप्त होगी, जो राहत शिविरों में नही रह रहे है।

(पांच) जन हानि के लिए निकटतम वारिस को आर्थिक सहायता अनुदान :–

(1) प्राकृतिक आपदा, नैसर्गिक विपत्तियों के कारण एवं गड्‌डे में गिरने से मष्त्यु होने पर, सर्प, बिच्छु, गुहेरा या मधुमक्खी के काटने, नदी, तालाब, बांध, कुंआ, नहर, नाला में डूबने से अथवा शव दुर्घटना एवं रसोई गैस का सिलेण्डर फटने, खदान धसकने, लू (Sun Stroke) से मृत्यु हो जाने पर मृत व्यक्ति के परिवार के निकटतम व्यक्ति/वारिस को रूपये 4,00,000/– (रूपये चार लाख) की सहायता दी जाएगी। इसके लिए मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर अनुविभागीय अधिकारी/तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा घटनासलि पर शीघ्र पहुंचकर मृत्यु होने एवं उसके कारणों की जांच की जाएगी और जहां सीाव हो डॉक्टर से मृतक का परीक्षण भी कराया जाएगा। मृत्यु होना पाए जाने पर मृतक के परिवार के सदस्य/निकटतम वारिस को उक्त धनराशि की अनुदान सहायता कलेकटर द्वारा स्वीकृत की जाएगी। आग से जलने के कारण मृत्यु होने पर भी इसी के अनुसार सहायता दिया जाएगा। ''मृत व्यक्ति'' में बच्चा भी शामिल समझा जाएगा। परिवार में एक से अधिक मृत्यु होने पर वारिस को सहायता अनुदान प्रतयेक मृतक के मान से देय होगा। बिजली गिरना नैसर्गिक विपत्ति है।

(2) बस या अधिकृत अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्अ के नदी में गिरने या पहाड़ी आदि से खड्‌ड में गिरने के कारण इन वाहनों पर सवार व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने पर मृतकों के आश्रितों को रूपये, 200,000/– (रूपये दो लाख) की आर्थिक सहायता प्रति मृतक के मान से देय होगी।

नोट :–

1. राज्य के किसी भी व्यक्ति की मृत्यु प्राकृतिक आपदा से अपने गृह जिले के अतिरिक्त अन्य जिले में होती है, तो मृतक व्यक्ति के परिवारको उसके मूल गृह जिले से अनुदान सहायता प्रदान की जाये। मृत्यु स्थल से घटना का सत्यापन प्राप्त कर संबंधित कलेक्टर अनुदान सहायता की स्वीकृति देवें।

2. आपदा के समय राहत एवं बचाव कार्य में लगे अधिकारी एवं कर्मचारियों की मृत्यु होने पर उनके परिवार को भी अनुदान सहायता की पात्रता होगी।

3. राज्य के सीमावर्ती प्रदेशों में उपरोक्त आपदाओं के समय किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उस राज्य से घटना सलि का प्रतिवेदन प्राप्त कर मृत व्यक्ति के मूल निवास जिले में मृतक परिवार को अनुदान सहायता प्रदान की जावे।

4. ऐसे भारतीय नागरिक, जो अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लिये हैं, राज्य में उपरोक्त आपदाओं से मृतयु होती है, तो उनके परिवार को आर्थिक अनुदान सहायता की पात्रता नही होगी।

5. उपरोक्त प्राकृतिक आपदा के समय किसी विदेशी नागरिक की मृत्यु होती है, तो उपरोक्त आर्थिक अनुदान सहायता की पात्रता नही होगी।

6. आंधी, तूफान, अतिवृष्टि, बाढ़ की सिति के दौरान पेड़/डंगाल के

गिरने अविा विद्युत प्रवाह/ तार से मृत्यु होती है, तो दैवीय विपत्ति माना जायें।

(छः) शारीरिक अंग हानि के लिए आर्थिक सहायता :–

(1) प्राकृतिक प्रकोप बाढद्व तूफान, भूकम्प, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, भू–स्खलन के साथ–साथ, आकाशीय बिजली गिरने या अग्नि दुर्घटना के कारण यदि किसी व्यक्ति को महत्वपूर्ण अंक की स्थाई स्वरूप की हानि होती है, जैसे हाथ, पैर या दोनो आंखो की हानि 40 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक अक्षमता हुई हो, तो ऐसे पीडित व्यक्ति को रूपये 59,100.00 (रूपये उन्सठ हजार एक सौ) की अनुदान सहायता दी जाएगी। प्रमुख चिकित्सक या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पैनल के चिकित्सकों द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित किये जाने पर कलेक्टर अनुदान सहायता की स्वीकषति प्रदान करेगें।

(2) प्राकृतिक प्रकोप या अग्नि दुर्घटना के कारण यदि किसी व्यक्ति को महत्वपूण्र अंग की स्थाई स्वरूप की हानि होती है, जैसे हाथ, पैर या दोनो आंखो की हानि 60 प्रतिशत से अधिक अक्षमता हुई हो, तो ऐसे पीडित व्यक्ति को रूपये 2,00,000.00 (रूपये दो लाख) की अनुदान सहायता दी जाएगी। प्रमुख चिकित्सक या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पैनल के चिकित्सकों द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित किये जाने पर कलेक्टर अनुदान सहायता की स्वीकृति देंगे।

(3) प्राकृतिक प्रकोप या अग्नि दुर्घटना के कारण यदि किसी व्यक्ति को गंभीर शारीरिक क्षति होने के कारण एक सप्ताह तक या उससे अधिक अस्पताल में भर्ती रहने पर रूपये 12,700/–(रूपये बारह हजार सात सौ) प्रति व्यक्ति आर्थिक सहायता देय होगी।

(4) प्राकृतिक प्रकोप या अग्नि दुर्घटना के कारण यदि किसी व्यक्ति को गंभीर शारीरिक क्षति होने पर एक सप्ताह से कम अस्पताल में भर्ती रहने पर रूपये 4,300/– (रूपये चार हजार तीन सौ) प्रति व्यक्ति आर्थिक सहायता देय होगी।

(सात) कुम्हारों को ईट, खपरे तथा बर्तन हानि :–

कुम्हार के भट्टे में ईट, खपरे या अन्य मिट्टी के बर्तन बरबाद होने पर रूपये 4,100/– (रूपये चार हजार एक सौ) प्रति कुम्हार अनुदान सहायता देय होगी।

(बारह) कुंए या नलकूप के नष्ट होने पर दी जाने वाली सहायता :–

प्राकृतिक प्रकोप से निजी कुंआ यदि टूट–फूट या धंस जाता है, तो उसके मालिक को हानि के मूल्यांकन के आधार पर अधिकतम रूपये 20,000.00 (रूपये बीस हजार) तथा निजी नलकूप टूट–फूट या पूर्ण नष्ट हो जाने पर उसके मालिक को हानि के मूल्यांकन के आधार पर अधिकतम रूपये 40,000/– (रूपये चालीस हजार) तक अनुदान सहायता देय होगी।

(तेरह) बैलगाड़ी तथा अन्य कृषि उपकरण नष्ट होने पर आर्थिक सहायता :–

आग अथवा अन्य प्राकृतिक आपदा से कृषक की बैलगाड़ी अथवा अन्य कृषि उपकरण नष्ट हो जाने पर रूपये 10,000/– (रूपये दस हजार) तक अनुदान सहायता वास्तविक आकलन के आधार पद देय होगी।

(चौदह) _आपदा के समय निःशक्त वृद्ध व्यक्ति को 60/–(रूपये साठ) प्रतिदिन एवं निराश्रित बच्चो को 45/– (रूपये पैंतालिस) प्रतिदिन की दर से देय होगी।

नोट :–

(1) उपरोक्त सहायता राशि सूखा, बाढ़, भूकंप, तूफान आदि प्राकृतिक आपदा के समय देय होगी।

(2) उक्त सहायता राशि की स्वीकृति पंचायतो की अनुशंसा के आधार पर की जावे।

फार्म – एक
(कंडिका–7 देखिये)
राजस्व पुस्तक परिपत्र 6–4

यह करारनामा आज दिनांक..... .....को, प्रथम पक्ष राज्यपाल, छत्तीसगढ (जो इसके आगे 'राज्यपाल' कहलाएंगे और जिस अभिव्यक्ति में विषम या प्रसंग के विपरीत न होने पर, उनके पदानुवर्ती समिमलित होंगे) और द्वितीय पक्ष श्री..... ..... पिता का नाम ....निवास स्थान..... तहसील .....जिला ..... (जो इसके आगे 'ऋण–गृहिता' कहलाएगा, जिस अभिव्यक्ति में विषय या प्रसंग के विपरीत होने पर उसके उत्तराधिकारी निश्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और स्वत्यार्पण–गृहिता सम्मिलित होंगे) के मध्य किया जाता है।

चूंकि ऋण–गृहिता..... ने के कारण आई आपदा के निवारण के हेतु .....रूपए के ऋण के लिए राज्यपाल को आवेदन दिया है।

और चूंकि राज्यपाल निम्नलिखित अनुबन्धों और प्रतिबन्धों के अधीन ऋण देने के लिए सहमत है।

अतएव अब यह करारनामा इस बात का साक्षी है कि :–

(1) ऋण –गृहिता..... रूपए (रूपये.....) की उक्त रकम का उपयोग.....प्रयोजन के लिए नहीं करेगा।

(2) ऋण–गृहिता..... रूपये की रकम उस पर 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित.....सात समान वार्षिक किश्तों में प्रतिवर्श दिनांक..... .....को या उसके पहले भुगतान करेगा, ऐसी पहली किश्त दिनांक.....को देय होगी।

(3) उपर्युक्त ऋण के प्रतिमूल्य में ऋण–गृहिता इसके द्वारा.....को इस अभिप्राय से ही ऐसी संपूर्ण संपतित राज्यपाल को देय. .....रूपए की उक्त रकम और उस पर लगने वाले ब्याज के चुकाने के लिए प्रतिभूमि होगी, साधारण बंधक के द्वारा गिरवी रखता है और भारित करता है।

(4) प्रतिबंध (2) के अनुसार नियत दिनांक पर समान किश्तों का चुकारा न होने अथवा ऋण–गृहिता द्वारा इस करारनामें में किसी भी प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर, ऐसी त्रुटिया उल्लंघन के दिनांक को अवशिष्ट ऋण की सम्पूर्ण धनराशि, उस पर देय ब्याज सहित, तत्काल वसूली योग्य हो जाएगी।

(5) इस करारनामे के अन्तर्गत ऋण– गृहिता से प्राप्त कोई भी रकम भू–राजस्व के अवशेष के रूप में वसूल की जा सकेगी।

(6) इस लिखतम पर दये मुद्रा शुल्क का भुगतान राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। इसकी साक्षी में इसके पक्षकारों, ने, अपने हस्ताक्षर के सामने निर्दिष्ट दिनांक और वर्ष को इस करारनामें पर अपने हस्ताक्षर किए।

1. .....
राज्यपाल की ओर से
2. .....
दिनांक.....

1. .....
ऋण–गृहिता के हस्ताक्षर
2. .....
दिनांक

चूंकि राज्यपाल ने उक्त करारनामें के निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए ऋण–गृहिता प्रतिभूति मांगी है,

अतएव उपर्युक्त रकम के दिये जाने के प्रतिमूल्य में और गृहिता के निवेदन पर मैं ..... पिता का नाम..... ..... निवास स्थान..... तहसील.....जिला..... ऋण गृहिता का प्रतिभू इसके द्वारा इसके लिए सहमत हूं कि इस करारनामें के अन्तर्गत ऋण–गृहिता द्वारा देय कोई भी रकम मांगी जाने पर तथा उसके द्वार दी जाने पर मै उसका भुगतान करूंगा और इसके द्वारा मैं, अपने आपको, अपने उत्तराधिकारियों, निष्पादकों, प्रशासकों, प्रतिनिधियों को ऐसे भुगतान के लिए आबद्ध करता हूं। मै इस बात के लिए भी सहमत हूं कि इसके अन्तर्गत मेरे द्वारा देय कोई भी रकम भू– राजस्व के अवशेष के रूप में वसूल की जा सकेगी।

आज दिनांक..... को निम्नलिखित की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये :

1.

2. प्रतिभू के हस्ताक्षर

फार्म – दो

1	*विपत्तिग्रस्त व्यक्ति का नाम और उसके पिता का नाम*	
2	*विपत्तिग्रस्त व्यक्ति कृषक है अथवा गैर कृषक , यदि कृषक है तो कृषि भूमि का पूर्ण ब्यौरा*	
3	*फसल की हुई हानि का पूर्ण ब्यौरा*	
4	*आग, बाढ, आंधी, तूफान, भूकंप या ओलों से नष्ट हुए घर का, कमरों की लंबाई, चौड़ाई और कमरों के उपयोग में लाने का प्रयोजन देते हुए ब्यौरेवार पूर्ण विवरण*	
5	*क्या विपत्तिग्रस्त व्यक्ति के पास पशु है, यदि हां तो पशु जिनकी हानि हुई है, उनका ब्यौरावार पूर्ण विवरण*	
6	*पूर्ण औचित्य बतलाते हुए, बांस, बल्ली की मांग*	
7	*उस कूप का नाम जहां से बांस एवं बल्ली, सुविधापूर्वक दिया जा सकता हो*	
8	*क्या विपत्तिग्रस्त व्यक्ति निराश्रित है और क्या उसका कोई ऐसा संबंधी या मित्र नहीं है जो उसकी सहायता कर सके।*	
9	*पूर्ण औचित्य बतलाते हुए वित्तीय सहायता जो तत्काल दी जानी चाहिए उसका ब्यौरेवार विवरण*	
10	*क्या स्थानीय दान के जरिये सहायता की व्यवस्था संभव नही है। 11 क्या विपत्तिग्रस्त व्यक्ति ऋण चाहता है और क्या यह कोई शोधक्षम प्रतिभूति देने के लिए तैयार है।*	
12	*कितना ऋण मांगा है, ऋण दिये जाने का पूर्ण औचित्य बताया जाना चाहिए।*	
13	*अन्य विवरण*	

राजस्व पुस्तक परिपत्र 6–4

फार्म – 'तीन'

क्र.	*व्यक्ति का नाम उसके पिता का नाम निवास स्थान*	*उस ग्राम का नाम पटवारी हल्के का नाम जहां सनुकसानी हुई है*	*क्षति/ नुकसानी किस प्रकार की हुई इसका पूर्ण विवरण दिया जाये*	*आवेदन या प्रतिवेदन प्राप्त होने की तारीख*
1	***2***	***3***	***4***	***5***

मौके की जांच की तारीख	*कलेक्टर को प्रतिवेदन भेजने की तारीख*	*शासन द्वारा निर्धारित सहायता के अन्तर्गत की गई सहायता का विवरण एवं सहायता उपलब्ध कराने की दिनांक*	*शासन द्वारा निर्धारित सहायता के अन्तर्गत की गई सहायता का विवरण एवं सहायता उपलब्ध कराने की दिनांक*	*कैफियत (रिमार्क्स)*
6	***7***	***8***	***9***	***10***

Lt. Governors & Administrators

Union Territory	Lt. Governor & Administrator
Andaman and Nicobar Island (UT)	Prof. Jagdish Mukhi (Lieutenant Governor)
Chandigarh (UT)	Shri.V.P. Singh Badnore (Administrator)
Dadra and Nagar Haveli (UT)	Shri Praful Patel (Administrator)
Daman and Diu (UT)	Shri Praful Patel (Administrator)
Delhi (NCT)	Shri Anil Baijal (Lieutenant Governor)
Lakshadweep (UT)	Shri Farooq Khan, IPS, (Retd.) (Administrator)
Puducherry (UT)	Dr. Kiran Bedi, IPS, (Retd.) (Lieutenant Governor)

रिश्तों के नाम

प्रस्तुति– आनन्द कुमार कुजूर (संपादक)

अंग्रेजी	हिन्दी	कुँड़ुँख
Grandparents		
Father's Father	दादा (daadaa) or, बाबा (baabaa)	अज्जो (Ajjo)
Father's Mother	दादी (daadii)	अज्जी (Ajji)
Mother's Father	नाना (naanaa)	अज्जो (Ajjo)
Mother's Mother	नानी (naanii)	अज्जी (Ajji)
Siblings, cousins, and siblings-in-law		
Brother	भाई (bhaaii)	भया(Bhaya)/भइया(Bhaiya)
Elder Brother	भैया (bhaiya) or - भाई जी (bhaaii jii)	ददा (Dada)
Younger Brother	छोटा भइया (chhotaa bhaaii)	भइया (Bhaiya) बबू
Husband's sister	ननद (nanad)	एरखो (Erkho)
Sister	बहिन (bahin) or, बहन (bahan)	बहिन (Bahin)
Sister's husband	जीजा (jiijaa) or, बहनोई (bahanoii)	भटू (Bhattoo)जौनखदी
Elder Sister	दीदी (diidii) or जीजी (jiijii)	दई (Dai)
Younger Sister	छोटी बहन (chhoTii bahan)	सन्नीमई (Mai)
Husband's elder brother	जेठ (jeth)	बैनाला (Bainala)
Husband's younger brother	देवर (devar)	एरखो (Erkho)
Elder brother's wife	भाभी (bhaabhii) or - भौजी (bhaujii) or - भौजाई (bhaujaaii)	नासगो (Nasgo)
Younger brother's wife	भयो (bhayo)	ख़ई (Khai)
Wife's Sister	साली (saalii)	साड़ी (Saadi)
Wife's Brother	साला (saalaa)	साड़ा (Saada)
Wife's Brother's wife	सलहज (salhaj)	साड़ी (Saadi)
Husband's Sister's Husband	नन्दोई (nandoii)	भटू (Bhatoo)
Wife's sister's husband	साढू (saa.Dhuu)	साढू (Saadhuu)
Husband's elder brother's wife	जेठानी (jeThaanii)	जादा (Jada)
Husband's younger brother's wife	देवरानी (devraanii)	गुतनी (Gutni)
Father's brother's son	चचेरा भाई (chacheraa bhaaii)	भइया (Bhaiya)
Father's brother's daughter	चचेरी बहन (chacherii bahan)	मई(Mai)/बहिन (Bahin)
Father's sister's son	फुफेरा भाई (phupheraa bhaaii)	
Father's sister's daughter	फुफेरी बहन (phupherii bahan)	
Mother's brother's Son	ममेरा भाई (mameraa bhaaii)	
Mother's brother's daughter	ममेरी बहन (mamerii bahan)	
Mother's sister's son	मौसेरा भाई (mauseraa bhaii)	
Mother's sister's daughter	मौसेरी बहन (mauserii bahan)	

अंग्रेजी	हिन्दी	कुँड़ुँख
Children and children-in-law		
Son	बेटा (betaa) or पुत्र (putra)	ख़द (Khad) / बेटा (Beta)
Son's wife (daughter-in-law)	बहू (bahuu)	ख़ई(Khai) / सेड़ो (Sedo)
Daughter	बेटी (betii) or पुत्री (putrii) or जाई (jaaii)	ख़दो (Khado)
Daughter's husband (son-in-law)	दामाद (daamaad) or जमाई (jamaaii)	जौनखदी (Jaokhadi)
Grandchildren	पोते (pote)	नत्ती बगर (Natti Bagar)
Grandson (son's son)	पोता (potaa)	नत्ती (Natti)
Granddaughter (son's daughter)	पोती (potii)	नत्ती (Natti)
Grandson (daughter's son)	नाती (naatii) or नवासा (navaasaa) or दोहता (dohtaa)	नत्ती (Natti)
Granddaughter (daughter's daughter)	नातीन (naatin) or नवासी (navaasii) or दोहती (dohtii)	नत्ती (Natti)
Spouses and parents-in-law		
Husband	पति (pati)	मेत (Met) / आल (Aal)
Wife	पत्नी (patnii) or बीवी (biivii)	मुक्का(Mukka) / आली(Aali)
Husband's Mother (Mother-in-law)	सास (saas)	सईस (Sais)
Husband's Father (Father-in-law)	ससुर (sasur)	सईसरा (Saisra)
Aunts and uncles		
Father's younger brother (uncle)	चाचा (chaachaa) or काका (kaakaa)	कका (Kaka)
Father's younger brother's wife (aunt)	चाची (chaachii)	ककी (kaki)
Father's elder brother (Uncle)	ताया (taayaa) or ताऊ (taauu) or बड़े पापा (ba.De paapaa)	बड़ा (Bada)
Father's elder brother's wife (Aunt)	ताई (taaii) or बड़ी माँ (ba.Dii maa.N)	बड़ी (Badi)
Father's sister (aunt)	बुआ (buaa) or - भुआ (bhuaa) or फूफी (phuuphii)	ताची (Tachi)
Father's sister's husband	फूफा (phuuphaa)	ममू (Mamu)
Mother's brother	मामा (maamaa) or मामू (maamuu)	ममू (Mamu)
Mother's brother's wife	मामी (maamii) or माई (maaii)	ताची (Tachi)
Mother's sister	मौसी (mausii) or मासी (maasii) or ख़ाला (khaalaa)	मूसी (Musi)
Mother's sister's husband	मौसा (mausaa)	मोसा (Mosa)
Nephews and nieces		
Brother's son (nephew)	भतीजा (bhatiijaa)	भतीज (Bhatij)
Sister's son (nephew)	भानजा (bhaanjaa)	भगिना (Bhagina)
Brother's daughter (niece)	भतीजी (bhatiijii)	भतीज बेटी (Bhatij Beti)
Sister's daughter (niece)	भानजी (bhaanjii)	भांची (Bhanchi)
Husband's elder brother's daughter	जिठोठी (jiThoThii)	खददो (Khaddo)
Husband's elder brother's son	जिठोठ (jiThoTh)	खददो Khaddo)

आदिवासियों की संस्कृति एवं धार्मिकता

फा. अमृतलाल टोप्पो, ये.स.
शॉति भवन जशपुर (छ.ग.) मो. 8103413645

(भाग–1)

पहाड़ो में बसती हूँ
नदी–नालों से सजती हूँ
सुन्दरी हूँ मैं सुन्दरी हूँ
दिल से सबको लुभाती हूँ
नाम है मेरा हरा–भरा
प्यार से सबको दिल की
ये बात बताती हूँ।
गरीबी में पलती–बढ़ती हूँ
धन–संचय न करती हूँ
राह में जो भी आये भूखे–प्यासे
धन–दौलत सबको बाँट देती हूँ।
नगाड़ा और डफली बजाकर
सबको अखाड़े में बुलाती हूँ
मौसमी नाच–गान कर
सबका मनोरंजन कराती हूँ।

ढोलक–मांदर बजाती हूँ
सबके मन को लुभाती हूँ
जो भी न नाचे अखाड़े में
हाँड़िया–दारू पिलाकर उसे
साथ नचाती हूँ।

शादी–व्याह में साथ रहती हूँ
दुःख–तकलीफ में लोगों को
देखने जाती हूँ
जो भी न आये ऐसे समय में
साथ मिलकर समुदाय से उसे
बाहर कर देती हूँ।

करम, सरहुल परब मनाती हूँ
पुरखों की परम्पाराएँ बनाये रखती हूँ
छोटे–बड़े जो भी आये घर में मेरे
थाली और लोटा में पानी लिए
उनका पैर धोती हूँ
ऐसा करके उन्हें परिवार का एक सदस्य
बनाती हूँ।

कॉपी–किताब नहीं पढ़ती हूँ
खेत–खलिहानों में काम करती हूँ।
राह चलते और बातें करते
छोटे–बड़े सभी से अपनी जीवन शैली
सीख लेती हूँ।
मुण्डा, खड़िया, हो और उराँव भाषा सीखकर
आदिवासी होने का गौरव प्राप्त करती हूँ
जो भी न जाने अपनी भाषा
ख़तरे की घण्टी उन्हे सुनाती हूँ।
आओ जागो हे मेरे आदिवासी!
अपनी अस्मिता न खोने दो
टूट रही है अब जीवन की नैया तुम्हारी
गहरे पानी में अब न जाने दो संस्कृति
तुम्हारी।

आदिवासियों की धार्मिकता (भाग–2)

भाई–बहनों को भगवान के बन्दे
मानते हैं हम
प्यार, मुहब्बत की डोर में
सबको बाँधते हैं हम
गर मिला कोई निराशा राहों में
उनके दिलों में इंसानियत का
दीप जलाते हैं हम।

टूटे रिश्तों को जोड़ते हैं हम
गिरे हुओं को उठाते हैं हम
जब राहों में आये संकट कभी
काँटों में भी गुलाब तोड़ते हैं हम।
जगत जननी को माँ समझते हैं हम
प्यार से उसकी गोद में खेलते हैं हम
जब आये कभी द्रौपती सामने
दुखमयों को पछताप की सजा सुनाते हैं
हम।
हिन्दू, मुस्लिम, सिख ईसाई
कहते नहीं हम
एक भगवान को फिर बाँटते नहीं हैं हम
देख दुनियाँ की बुराई आँखों से
गीता, कुरान, बाईबिल का वचन सुनाते हैं
हम।

रामायण की कथा सुनते हैं हम
मुहम्मद की रोजा समझते हैं हम
चाहे दुनियाँ हमें ढोंगी कहे
सरना और ईसाई की
राहों में चलते हैं हम।
अधर्म की लड़ाई लड़ना सिखाते हैं हम
आसमां पे उड़ने वालों को धरा पे चलना
बताते हैं हम
जब आये युद्धिष्ठिर सामने
भाई–चारे का पाठ पढ़ाते हैं हम।

ऊँच–नीच का भेद–भाव
नहीं समझते हैं हम
रंगदारी की भाषा नहीं बोलते हैं हम
क्षमा, दया प्रेम की अमृत बाणी बोल
दोषों से बैर और दुश्मनों से
प्यार करते हैं हम।

गाँवों से शहरों में
नगरों से महानगरों में रहते बसते हैं हम
जहाँ कहाँ भी रहते हैं हम
आदिवासियों की धार्मिक नैतिकता की
पहचान बनाते हैं हम।

मैंने पूछा चाँद से

– प्रभाती मिंज

मैंने पूछा चाँद से
रहता क्यों तू
तन्हा आसमान पर
इतराकर वह बोला.....
भाती नहीं मुझे
ज़मीन तेरी
यूँ अकेला ही भला
मैं यहाँ

मैंने पूछा
ईद के चाँद से,
इतने दिन
लगा क्यों दिये तुमने
दीदार के लिए
नम आँखों से
उसने कहा –
महबूबा के लिये
लेने गया था
मैं हरी चूड़ियाँ
सात समन्दर पार
आया तूफ़ान
फिर हो गयी देर

मैंने पूछा
पूनम के चाँद से
इतना घमंड क्यों हो गया
तुझे आज
इतराकर कर वह बोला–
देख! रंग रूप मेरा
पूरी दुनिया
आज तुझे है निहार रही
घमंड क्यों न करूँ मैं आज

मैंने पूछा तितली से
रंग इतने घने–गहरे
दिये किसने तुझे
शरमाकर वह बोली–
चुनरी से तेरी
मैंने रंग चुरा लिये
ओर भर दिये
अपने पंखों पर

मैंने पूछा भौंरे से
चला जाता क्यों
तू छूपकर यूँ
मेरी बगिया से
इठला कर वह बोला–
देखकर मुझे फूल
मुस्कुराये थे
चुपके से गया मैं वहाँ
और भाग चला
पराग चुराकर

मैंने पूछा झरने से
क्या चाह नहीं तुझे
कि एक दिन
विशाल हो जाये
नम्रता से उसने कहा–
ऐसी कोई चाह नहीं मेरी
कि सागर में समाकर
खारा हो जाऊँ
मैं यहाँ छोटा
पर पीठा तो हूँ

मैंने पूछा
उड़ते परिन्दे से
तेरा आशियाना
है कहाँ
मायूस होकर
वह बोला–
बता दे
अपने घर का पता
तेरी छत की
मुण्डेर पर
आशियाना
हमारा भी होगा

मैंने पूछा अडिग पर्वत से
कब तक खड़ा रहेगा
यहाँ पर
दृढ़ता से
जवाब दिया उसने–
मुझसे है झरनों का
सृजन,
मुझसे है नदियों का
उद्‌गम,
न जाने कितने
यहाँ से गुज़रे
मगर पलट कर
न देखा किसी ने मुझे
सदियों से खड़ा
मैं यहाँ चिर शाश्वत

वहाँ से गुज़रती
एक छोटी नदी ने
सुनी पर्वत की व्यथा
ठहर गयी वह
बनकर झील
लिपट गयी
पर्वत के चरणों से।

सौजन्य : मैंने पूछा चांद से कविता संग्रह
कवयित्रि : प्रभाती मिंज

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

– सूचना संकलन प्रस्तुति, आनन्द कुजूर

छत्तीसगढ़ राज्य, दिनांक 1 नवंबर 2000 को अलग होकर अस्तित्व में आया। छत्तीसगढ़ राज्य के 27 जिले निम्नानुसार हैं–

रायपुर, धमतरी, बलौदाबाजार , गरियाबंद बेमेतरा , बालोद , मुंगेली , सूरजपुर , बलरामपुर, सुकमा , कोंडागांव महासमुंद, दुर्ग, राजनांदगांव, कवर्धा, बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, रायगढ़, बिलासपुर, जांजगीर–चांपा, कोरबा, जशपुर, अंबिकापुर तथा कोरिया। माह अप्रैल 2007 में जगदल्पुर से पृथक करके नरायणपुर एवं दंतेवाड़ा से पृथक कर बीजापुर का गठन किया गया। इसी प्रकार माह जनवरी 2012 में 9 नवीन जिलों का गठन किया गया। इसमें बस्तर, नरायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर,सुकमा ,सूरजपुर, बलरामपुर, कोंडागांव, कांकेर, सरगुजा, कोरिया, कोरबा एवं जशपुर पूर्ण रूप से आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। राज्य में कुल 146 विकासखंड हैं, इनमें आदिवासी विकासखंडों की संख्या 85 है।

छत्तीसगढ़ राज्य में 11 लोकसभा (5 सामान्य, 4 अनुसूचित जनजाति, 2 अनुसूचित जाति) हैं, एवं 90 विधानसभा क्षेत्र हैं। विधान सभा क्षेत्रों में 44 क्षेत्र (34 अनुसूचित जनजाति और 10 अनुसूचित जाति) सुरक्षित हैं।

राज्य की कुल जनसंख्या (जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार) 255.45 लाख है। इनमें से अनुसचित जनजातियों की जनसंख्या 78.22 लाख है, एवं अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 32.47 लाख है।

राज्य में अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु आदिवासी उपयोजना की अवधारणा जारी है। प्रमुख जनजाति गोंड तथा इसकी उपजातियां–माड़िया, मुरिया, दोरला आदि हैं। इसके अतिरिक्त उरांव, कंवर, बिंझवार, बैगा, भतरा, कमार, हल्बा, संवरा, नगेशिया, मझवार, खरिया और धनवार जनजाति काफी संख्या में हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य में 5 विशेष पिछड़ी जनजातियां, बैगा, कमार, हिल कोरबा, बिरहोर, अबूझमाड़िया, निवासरत हैं। इनके आर्थिक सामाजिक तथा क्षेत्रीय विकास को दृष्टिगत रखते हुए राज्य में 6 पिछड़ी जनजाति विकास अभिकरण गठित है।

- **दायित्व–**

1. संविधान की पांचवी अनुसूची के अधिकारों और आदिवासी क्षेत्रों के हितों के संरक्षण के लिये प्रहरी के रूप में कार्य करना।
2. अनुसूचित जातिध्जनजाति के शैक्षणिक एवं आर्थिक उत्थान के लिये योजनाओं का संचालन।
3. आदिवासी उपयोजना तथा विशेष घटक योजन के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विकास विभागों को बजट आबंटन उपलब्ध कराना नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करना एवं योजनाओं का अनुश्रवण करना।
4. आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर तक की शैक्षणिक संस्थाओं का संचालन।
5. विशेष पिछड़े जनजाति समूहों के विकास के लिये योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन।
6. विशेष केंद्रीय सहायता से संचालित योजनाओं का पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करना।
7. पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण हेतु भारत सरकार के निर्देशानुसार कार्यक्रमोंध्योजनाओं का संचालन।

- **विभाग का कार्य–**

1. विभागीय अमले से संबंधित समस्त प्रशासकीय कार्य।
2. आदिम जाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग के विकास से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण।
3. उपयोजना क्षेत्र में शैक्षणिक संस्थाओं तथा शैक्षणिक विकास की योजनाओं का संचालन।
4. आदिम जाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग के विकास की योजनाओं के लिये बजट आबंटन उपलब्ध कराना। मांग संख्या 33,41,15,64,77,49 एवं 82 के अंतर्गत आदिम जाति, अनसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक वर्ग के विकास की योजनाओं का क्रियान्वयन।
5. आदिवासी उपयोजना तथा विशेष घटक योजना अंतर्गत विभिन्न विभागों को प्राप्त बजट आबंटन को निरंतर समीक्षा

एवं योजनाओं का अनुश्रवण।

6. विशेष केंद्रीय सहायता से संचालित योजनाओं का निर्माण, पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन। केन्द्र प्रवर्तित एवं केंद्र क्षेत्रीय योजनाओं के संचालन का अनुश्रवण।
7. विशेष पिछड़ी जनजाति समूहों के विकास के लिये योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन।
8. अनुसूचित जाति, जनजाति के जाति प्रमाण–पत्रों का परीक्षण।
9. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 तथा नागरिक अधिकार संरक्षण 1995 के राज्य में क्रियान्वयन की समीक्षा।

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग की प्रषासनिक संरचना

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग की प्रशासनिक संरचना के अंतर्गत माननीय मंत्री एवं राज्य मंत्री के निर्देशन में विभागीय एवं प्रशासनिक कार्यों का संपादन किया जाता है।

1. मंत्रालय/सचिवालय–

मंत्रालय स्तर पर प्रमुख सचिवध्सचिव पद का पद है। यहां राज्य शासन के समस्त प्रशासनिक विभागों के विकास कार्यक्रमों योजनाओं की समीक्षा की जाती हैं, जो अनुसूचित क्षेत्र एवं उपयोजना क्षेत्र के प्रशासनिक कार्यो की व्यवस्था एवं अनुश्रवण से संबंधित होती है।

प्रमुख सचिव, सचिव के अधिनस्थ विभागीय कार्यों के संपादन के लिये संयुक्त सचिव, अवर सचिव, उपसचिव, वित्तीय सलाहकार तथा विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी कर्तव्यरत हैं।

2. विभागाध्यक्ष–

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग का गठन संयुक्त रूप से किया गया है, जिसमें आयुक्त के रूप में विभगाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मुख्यालय स्तर पर आयुक्त के अधीनस्थ संचालक, अपर संचालक, उप–आयुक्त, सहायक आयुक्त कार्यरत हैं।

3. जिला स्तर–

छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिलों में जिलाध्यक्ष, प्रशासनिक कार्य एवं विकास कार्यक्रमों ध्योजनाओं को विभागीय सहायक आयुक्त के माध्यम से जिलों में एवं परियोजना स्तर पर परियोजना अधिकारी, सहा. परियोजना अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, विकास खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से कार्य संपादित किये जाते हैं।

4. जिला स्तरीय कार्यालय–

प्रदेश के 18 जिलों में विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये सहायक आयुक्त पदस्थ है। परियोजना स्तर पर एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना हेतु 19 पद परियोजना प्रशासक के स्वीकृत है। प्रदेश के 85 विकासखंड आदिवासी विकासखंड घोषित है इन विकासखंडा में 85 मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं 85 विकासखंड शिक्षा अधिकारी पदस्थ हैं।

अनुसूचित जनजाति आयोग :–

छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है। गठन की अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना क्रमांक 186/2000, दिनांक 12.11.2000 द्वारा जारी की गयी है। वर्तमान में आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के द्वारा स्वेच्छिक त्यागपत्र दिए जाने के कारण पद रिक्त है। वर्तमान में श्री पवन नेताम, सचिव के पद पर पदस्थ हैं।

आयोग के दायित्वः–

1. अनुसूचित जाति जनजातियों से संबंधित सामाजिक, आर्थिक, विकास के कार्यो का गुणात्मक मूल्यांकन करना।
2. अनुसूचित जनजातियों के हित संवर्धन के लिये उपयुक्त नीतिगत् अनुशंसाएं करना।
3. स्वप्ररेणा से अनुसूचित जनजातियों से संबंधित किन्हीं भी मामलों का संज्ञान लेकर व इसके निष्कर्षों से शासन को अवगत करना।

(स्रोत – मंत्रालय की वेबसाईट)

ORAON JHAROKHA | Progressive | ISSN-2456-3625

दूरभाष : 0771–4060890
मोबा. : 99936–79578, 98279–16076, 98261–51134

कुँड़ुख उराँव प्रगतिशील समाज छत्तीसगढ़

पंजी. क्र.–छत्तीसगढ़ राज्य – 115
कार्यालयः सी–23, सेक्टर–एक, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक – सी.जी./के.पी.एस./..... दिनॉक.....

अपील/निवेदन पत्र

कुँड़ुख उराँव प्रगतिशील समाज छत्तीसगढ़ को आबंटित शासकीय भूमि ग्राम तेलीबांधा प.ह. नं. 113, रा.नि.मं. रायपुर खसरा क्रमांक 411, कुल रकबा 0.713 हेक्टेयर में युथ/गर्ल्स हॉस्टल, लाईब्रेरी, ट्रेनिंग सेन्टर, सामाजिक एवं सास्कृतिक भवन निर्माण कार्य हेतु नगर पालिक निगम, रायपुर तथा नगर निवेश विभाग से अनुज्ञा नक्शा खसरा पास होकर प्राप्त हो गया है। समाज की ओर से उक्त भूमि पर बोरवेल माह जून–2017 में कर दी गई है कार्यकारिणी की आम सहमति अनुसार माह अगस्त 2017 के द्वितीय सप्ताह में निर्माण कार्य शुरू किया जायेगा। समाज के पास निर्माण कार्य प्रारंभ करने हेतु पर्याप्त फंड प्राप्त हो गया है। किन्तु लागत अधिक होने के कारण आप सभी के आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है।

अतः समस्त सामाजिक चिन्तकों से अनुरोध है कि इस ''एजर आ'' परिसर निर्माण कार्य में अधिक से अधिक आर्थिक सहयोग प्रदान करने का कष्ट करेंगें।

अध्यक्ष
कुँड़ुख उराँव प्रगतिशील समाज
छत्तीसगढ़

उराँव झरोखा आयोजित भावी योजनाएँ

1. स्पोकन इंग्लिश कोर्स।
2. कॅरियर गाइडंस सेमिनार।
3. नेशनल कॉन्फ्रेंस–विषय– उराँव समाज।
4. युवाओं हेतु एकदिवसीय–लीडरशिप कैम्प।
5. ORAON YOUTH CARNIVAL (OYC) उराँव युवा महोत्सव।
6. उराँव लड़कियों हेतु बैडमिंटन एवं बॉस्केटबाल टूर्नामेंट।
7. फुटबॉल प्रतियोगिता (वर्ग–युवा, अंडर–14) and Open to Oraons in C.G.
8. DOD (DANCE ORAON DANCE) प्रतियोगिता।
9. सुर और ताल (गायन प्रतियोगिता)।
10. फिल्म निर्माण कार्यशाला Film Making Workshop
11. डॉक्यूमेंटरी फिल्म– उराँव समाज पर आधारित।
12. Oraon Jharokha Quiz Competition उराँव झरोखा प्रश्नोत्तरी।
13. Reading & Writing Camp
14. Sports Day - Below 10, 14, 18, 22, 25 and 25+
15. कहानी लेखन प्रतियोगिता – Age Limit : Below 20 Years of age.
16. Debate वाद–विवाद प्रतियोगिता।
17. Elocution भाषण प्रतियोगिता।
18. Ex-Tempore तात्कालिक भाषण।

कौन बनेगा ज्ञानी उराँव?

Open Competition

प्रतिभागी उराँव हों वे जहाँ भी निवासरत हों

सम्मान–पत्र
प्रथम पुरस्कार – 3000/–
द्वितीय पुरस्कार – 2400/–
तृतीय पुरस्कार – 1500/–

Registration Fee :- 500/-
पंजीयन शुल्क :– 500/-

प्रत्येक टीम में 3 प्रतिभागी होंगे

पठन–पाठन सामग्री : उराँव झरोखा के सभी प्रकाशित अंक

विषय वस्तु : उराँव समाज

नियमावली एवं शर्ते टीम रजिस्ट्रेशन के दौरान दी जाएगी ।

संपर्क करें :
संपादक
उराँव झरोखा
बिलासपुर
मो. : 8871102898
9425547718
9755306424

A Study of Relationship between Spiritual Intelligence And adjustment in Relation to their Age and Family System of Working Women

***Sonia Sharma,** Senior Research Scholar, Department Of Education and Community Service Punjabi University, Patiala Email id :-soniasharma7oct@gmail.com 9888694983.

**** Neeru Sharma,** M.A, in Education, IGNOU, New Delhi.Email id :-neeru14feb.ns@gmail.com

Abstract

The recent researches have proved that SQ also plays an equal important role in a person life as IQ and EQ play. This study aims to investigate the relationship between spiritual intelligence adjustments of working women. It was conducted on a sample of 100 working women of district Ludhiana. The main findings of this study signify that there is significant and negative relationship between spiritual intelligence and adjustment of working women. The working women with a higher level of spiritual intelligence have a higher level adjustment. However, there was significant difference found in spiritual intelligence of working women in relation to their age and family system.

Keywords: *spiritual intelligence, adjustment, working women*

During the past fifty years, the situation of working women has changed dramatically. Women have expanded their career aspirations. They are no longer confined to traditional female fields such as education or nursing. We have seen the integration of women into previously male dominated fields such as accounting, medicine, law, etc. Integration; however, does not necessarily mean acceptance and equality nor does it mean that the stress created by work family conflict has been resolved. Women are now employed in previously male-dominated fields such as law, professional sports, the military, law enforcement, firefighting and top-level corporate positions. Working women today spend less time maintaining the household then they did 30 years ago (Jacobs, 2012).

Adjustment

Adjustment is a process which reflects total personality of a person by balancing and equilibrating his behavior according to the present condition or we can also says that adjustment is a process maintaining, adjusting and behaving according to physical and social environment. Adjustment includes important variables which brings satisfaction in an individual's behavior. It is well known to us that all the human beings try to bring all the necessary coordination and balance and balance with surroundings to live a happy and satisfied life. Adjustment is a process which is influenced by surroundings and biological factors. A well-adjusted person is one whose behavior is appropriately engaged with society norms, culture and a given interpersonal situation. Adjustment is state or equilibrium between an organism and its physical and social atmosphere in which there is no stimulus alters evoking a response. An adjusted person lives a healthy, contented and cheerful life. Adjustment refers to inner degree of capacities, potentialities and caliber of a person which enables to coordinate with surroundings. When we behave cordially with our surroundings it shows that we are adopting, adjusting and modifying ourselves with surroundings. Adjustment is that ladder which takes a person from the bottom of unsatisfaction to the high level of satisfaction. According to biologists the term adapts deals with physical demands of the surrounding. According to psychologists the term adjustment deals with varying condition of society or interpersonal relation of individual in the society. Adjustment infers the response of an individual according to the needs, demand as well as pressure of social

surroundings forced on the person.

Spiritual intelligence

The twentieth century showed a third intelligence called spiritual intelligence based on the evidence of psychology, neurology, and anthropology sciences. Spiritual intelligence is the ability to ask question related to the existence of one's on the world. A person high in spiritual intelligence shows faith in all the religions but without any kind of default feelings, constriction, feeling of superiority, intolerance or injustice. Spirituality is above all the man made narrow religions bounds which act as hindrance in path for the attainment of spirituality. A spiritual person has very spiritual qualities without being religious at all. Spiritual intelligence is spiritual consciousness of a person. Spirituality is like an umbrella which covers all the intelligences namely intellectual, ethical, emotional, conative, psychomotor and interpersonal. Spirituality is an approach to accept everyone with opened hands and heart. Spirituality involves peak experiences not stages. A fundamental viewpoint would most probably comprise all these different views and others as well (Wilber, 1998). Bowell (2004) researchers like Royes (2005) and King (2008) has also contributed to the theory of spiritual intelligence. Zohar and Marshall (2000) stated that when spiritual intelligence is high, we appear to be intellectual and have proper behavior. However when spiritual intelligence is low, people will appear to have problematic behavior. They stated, individuals with high spiritual intelligence demonstrated higher measures of satisfaction and performance. To achieve this, we should search for those capabilities of an individual's being and behaviour which signify the presence of spiritual intelligence at work.

White (2006) spiritual intelligence is based on extensive literature review process, which Spiritual Quotient designated as a set of seven cognitive characteristics:

Spiritual Quotient is a rational higher level of consciousness;

Spiritual Quotient is the capacity for affective intellectual development;

Spiritual Quotient implies that an individual has the unique ability to construct a vision that is infused with a notion of ultimate purpose;

Spiritual Quotient is the ability of intuitively seeing connections between existential ideas and varied life-world experiences;

Spiritual Quotient provides a grounding for authentic self-efficacy coupled with an empathetic understanding of others;

Spiritual Quotient is a predisposition to see inherent connections that may not be tangible and to seek existential answers that support a rational theoretical orientation;

Scientific research suggests that the brain's actual "physiological organization" is designed to produce spiritual thoughts.

The new paradigm of spiritual leadership focuses on vision, empowerment, risk, creativity, harmony, trust, honesty, and compassion. The terms that accompany this new paradigm are spiritual leadership (Wolf, 2004), moral conduct (Thompson, 2004), authentic leadership (Beagrie, 2005), and ethical conduct (Marques, 2006). Spiritually intelligent employees are not the only ones who are important at workplaces but always at home to handle the different situations more wisely. Spiritual intelligence and profitability are not mutually exclusive; in fact, integrating ethics and spiritual values into the workplace can lead to higher productivity and profitability, happier employees, and more honest relationships with customers and can help build the organization's reputation (Marques, 2006). Spiritually intelligent employees are more consistent with themselves, happier, and more deeply integrated and harmonious (George, 2006).

Review related to literature.

Biddulph (1996)who found that high spiritual well-being had significant influenced on psychological adjustment of women who were recovering from bulimic disease and also explored that subjects with high scores on the spiritual wellbeing scale were having better psychological adjustment than their counterparts. Goltfredson (1999) found that there was significantly difference between emotional Intelligence and spiritual Intelligence on determining job performance adjustment. Velazquez (2000) found people who involved in spiritual practice relatively found better adjusted than their counterparts. Animasahun (2010) found out that emotional intelligence and spiritual intelligence were significantly differ in the adjustment and brings success in life. Yang (2006) found that age and spirituality played most significant variables affecting on the adjustment of nurses. Yeganeh and Shaikhmahmoodi (2013) found that there was significant difference seen among religious orientation, marital

adjustment and psychological well-being. The present findings revealed that working women with high spiritual intelligence belonging to joint family are significantly better adjusted than their counterparts. Devi et al (2016) found there was significant difference found between spiritual intelligence and adjustment in relation to student's locality. Ellison and Fan (2007) explored that daily based spiritual experiences were not associated between psychological practices as well as religious practices.

Emergence of the study

Now-a-days, spiritual intelligence has become a new measure of success in our professional as well as in personal life. A spiritually intelligent person can handle the situations more wisely than their counterparts. A spiritually intelligent working women is more adaptable or adjustable with her surroundings. Being playing dual role, it become necessary for a working woman to be spiritually strong, so that she can do justice while performing duties at workplace and at home. A woman acts as a pillar between family and with workplace. A spiritually intelligent woman is always ready to cooperate, adapt and adjust according to the changing circumstances and such woman will be appreciated at home as well as at her workplace.

No doubt, spiritual intelligence is attracting many educationalist and research scholars to work on it. But meanwhile there is need to correlate it is importance with adjustment. Which is primary need of the hour, as being working in nature today women are facing more adjustment problems. and sometimes they are unable to maintain balance between two situations i.e. at workplace and at home. So the investigator felt the need to study the relationship betwwn spiritual intelligence and adjustment of working women.

Objectives of the study

1. To study the spiritual intelligence of working women.
2. To study the adjustment of working women.
3. To study the relationship of spiritual intelligence and adjustment of working women.
4. To study mean difference between spiritual intelligence of young and elder working women
5. To study mean difference of spiritual intelligence of working women belonging to nuclear and joint family.

Hypotheses of the study

1. There will be no significant relationship of spiritual intelligence and adjustment of working women.
2. There will be no significant mean difference in spiritual intelligence scores of young and elder working women
3. There will be no significant mean difference in spiritual intelligence scores of working women belonging to nuclear and joint family.

Design

Descriptive survey method was employed in the present investigation. The present survey was conducted on a sample of 100 working women of young and elder age group, nuclear and joint family structure with respect to spiritual intelligence and adjustment.

Sample

Stratified randomization technique was used for the selection of sample. The sample was consisted of 100 working women. The sample of working women were collected from district Ludhiana which further consist tehsils and tehsils are split into blocks. The information regarding all these was collected from census 2011.

Tools Used

I. Bell Adjustment Inventory by H.M. Bell (1971)
II. Spiritual Intelligence Scale (SIS) by Dhar and Dhar **(**2005).

Statistical Techniques Used

Following techniques were used for testing the hypotheses.

I. t-test
II. Mean
III. Standard deviation
IV. Pearson's product moment correlation

Interpretation and Discussion of Results

1. **Hypothesis-1.** There will be no significant relationship of spiritual intelligence and adjustment of working women.

   To verify the above hypotheses, co-efficient of correlation by Pearson's product moment method was found between spiritual intelligence and adjustment.

Table 1
Co-efficient Of Correlation between Spiritual Intelligence and Adjustment.

Sr. No.	Variables	N	R	Level of significance
1.	Spiritual Intelligence	100	-.197*	0.05
2.	Adjustment	100		

*p<0.05 level

Hence, first hypotheses that *There will be no significant relationship of spiritual intelligence and adjustment of working women* is rejected. This shows that as the scores of spiritual intelligence increases the adjustment scores decreases and less scores of adjustment show better adjustment. It means that the working women who have high levels of spiritual intelligence have high degree of adjustment. It shows that there is negative and significant relationship of adjustment with spiritual intelligence. This shows that spiritual intelligence directly influenced the adjustment of working women.

Hypotheses-2 "There will be no significant mean difference in spiritual intelligence scores of young and elder working women

Table 2
Mean Difference In Spiritual Intelligence Scores Of Young And Elder Working Women

Sr. No.	Variables	N	Mean	SD	M_D	t-value	Level of Significance
1.	Young	50	213.38	24.00	9.80	2.11*	0.05
2.	Elder	50	223.18	22.47			

*0<0.05

Hence, second hypotheses that "*There will be no significant mean difference in spiritual intelligence scores of young and elder working women."* is rejected.

Hypotheses-3 "There will be no significant mean difference in spiritual intelligence scores of working women belonging to nuclear and joint family.

Table 3
Mean Difference in Spiritual Intelligence Scores of Working Women belonging to Nuclear and Joint Family

Sr. No.	Variables	N	Mean	SD	M_D	t-value	Level of Significance
1.	Nuclear	50	214.78	23.15	11.26	2.37*	0.05
2.	Joint	50	226.04	24.24			

*p<0.05

Hence, second hypotheses that "There will be no significant mean difference in spiritual intelligence scores of working women belonging to nuclear and joint family.

Conclusions

In the present study, researcher found following conclusions:-

1. There is negative and significant relationship (.-197, significant at 0.05 level) between spiritual intelligence and adjustment.
2. There is significant mean difference exist in spiritual intelligence of young and elder working women. The elder group of working women is spiritually more intelligent than their counterparts.
3. There is significant mean difference exist in spiritual intelligence of working women belonging to nuclear and joint family. The working women belonging to joint family are spiritually more intelligent than their counterparts.

Discussion

The present findings revealed that working women of elder age group are having high spiritual intelligence than their counterparts. The present findings revealed that working women belonging to joint family are having high spiritual intelligence than their counterparts. Yang (2006) found that age and spirituality played most significant variables affecting on the adjustment of nurses. Shaikhmahmoodi (2013) found that there was significant difference seen among religious orientation, marital adjustment and psychological well-being. Devi et.al (2016) found spiritual intelligence and adjustment was positively and significantly related with each other among arts and science college students. (in these case more adjustment scores show better adjustment).

Educational Implications

1. The present study findings show young working women are having less spiritual intelligence as compared to their elder counterparts. The reason behind this may be that they are not psychological much matured as their elder ones. They should take guidance from their elder ones.
2. The findings showed that working women belonging to nuclear families have less spiritual intelligence than working women belonging to joint family. As being a member of nuclear family, they have more family responsibilities and workloads. So husband and other family members should cooperate with them in their household and workplace duties.

References :

1 http://www.essentialsurrey.co.uk/health-beauty/are-you-spiritually-intelligent%3F/

1 Animasahun, R. A. (2008). Predictive estimates of emotional intelligence, spiritual intelligence, self-efficacy and creativity skills on conflict resolution behavior among the NURTW in the South-Western Nigeria. *Pakistan Journal of Life and Social Science*, *6* (2), 68-74.

1 Animasahun, R. A. (2010). Intelligence quotient, emotional intelligence and spiritual intelligence as correlates of prison adjustment among inmates of Nigeria prisons. *Journal of Social Science, 22*, 121-128.

1 Ali, Y,.Neda,E and Nazanin,N. (2015).Investigating the Relationship between Spiritual Intelligence and Social Adaptation among Girl High School Students in Shahreza City University College of Takestan *Iranian Journal of Social Sciences and Humanities Research UCT . J. Soc. Scien. Human. Resear* Volume 3,Issue1 19-22 (2015) ISSN:2382-9753 X Available online at http://UCTjournals.com.(UJSSHR)

1 Ali. B. (2009). Personal and social adjustment, physical fitness, academic achievement and sports performance of rural and urban students of district Srinagar. Ph.D theisis Dept. of Education, The University of Kashmir.

1 Amram, Y. (2009). *The contribution of emotional and spiritual intelligences to effective business leadership*. Palo Alto, CA: Institute of Transpersonal Psychology

1 Amram, Yosi & Dryer, Christopher. (2007). *The Development and Preliminary Validation of the Integrated Spiritual Intelligence Scale (ISIS)*. Palo Alto, CA: Institute of Transpersonal Psychology Working Paper. Available on http://www.geocities.com/isisfindings.

1 Balasubramanian, K and Meenakshisundaram, A. (2003). Select demographic variables and work adjustment of the post –graduate teachers. *Educational Review*, Vol.46(8), 157-169.

1 Bell,H.G.(1961).*The adjustment Inventory*. California: Consulting Psychologists Press, INC. PALO ALTO.

1 Batool, S. S., & Khalid, R (2012). Emotional intelligence: a predictor of marital quality pakistani couples. *Pakistan Journal of Psychological Research*, Vol.27(1), 65-88 Biddulph, W. K. (1996). Spiritual well-being and psychological adjustment in recovering bulimic women. Unpublished Ph. D. Thesis, New York: Seton Hall University.

1 Retrieved July 23, 2011, from scholarship.shu.edu/Dissertation/1437.

1 Bhattacharya, S and Monimala Mukherjee(2013) Adjustment Pattern Of Elderly People Belonging To Nuclear Families Of Kolkata City *Voice of Research*, Vol. 2(3*), , ISSN No. 2277-7733 1-4*

1 Bhattacharya, D.K. (2006). *Research Methodology* (2nd ed.), (pp.111). New Delhi Excel Books

1 Beagrie, R. (1999). Why the future belongs to value added companies. *The Journal for Quality & Participation*, *22*(1), 884–895.

1 Retrievedhttp://dx.doi.org/10.1108/02621710610692089

1 Brayfield, A. H., & Rothe, H. F. (1951).

1 An index of job satisfaction. *Journal of Applied Psychology, 35*(5), 307–311.

1 Retrieved from http:// psycnet.apa.org/doi/10.1037/h0055617

1 Cohen, A. B. (2002). The importance of spirituality in well-being for Jews and Christians. *Journal of Happiness Studies*, *3*, 287–310. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1023/A:1020656823365

1 Covey, S. R. (1990). *Principle-centered leadership*. New York: Fireside.

1 Dave, P. and Kulshrestha, A.K. (2004) A Study Of Personal, Professional And Social Adjustment Of The Teachers Working In Primary School Of Agra District. *Indian Educational Abstracts*, 51(1& 2), 105-106. Dhar, S. and Dhar, U. (2005). Spiritual Intelligence Scale. Agra: National Psychological Corporation.

1 Devi R.K., Rajesh N.V, Devi, M.A(2016). Study of spiritual intelligence and adjustment among arts and science college students. *Journal of Religion Health*(5) http://www.napsindia.org/wp-content/uploads/2016/06/02-1.pdf

1 Dhingra, R., Manhas, S. & Thakur, N. (2005). Establishing connectivity of emotional quotient, spiritual quotient with social adjustment: A study of Kashmiri migrant women. *Journal of Human Ecology,* 75,313-317.

1 Ellison, C.G., & Fan. D. (2007) Daily spiritual experiences and psychological well being among US adults. Social Indictor research, 88,247-271

1 Emmons, R. A. (2000). Is spirituality an intelligence? *The International Journal for the Psychology of Religion*, *10*, 27–34.

1 Retrieved from http://dx.doi.org/10.1207/S15327582IJPR1001_2

1 Fairholm, G. W. (2000). *Capturing the heart of leadership (spirituality and community in the new American workplace)*. Westpoint, CT, London: Praeger.

1 Gardner, H. (1999). *Intelligence reframed: Multiple intelligences for the 21st century*. New York: Basic Books.

1 George, D., & Mallery, P. (2003). *SPSS for Windows step by step: A simple guide and reference*. Boston: Allyn & Bacon.

1 George, M. (2006). Practical application of spiritual intelligence in the workplace. *Emerald Group Publishing Limited*, 3–5.

1 Retrieved from http://dx.doi.org/10.1108/09670730610678181

1 Gottfredson, G. D. (1999). *The effective school battery.* Ellicott City, MD: Gottfredson Associates.

1 Halama, P., & Strizenec, M. (2004). Spiritual, existential or both? Theoretical considerations on the nature of higher intelligences. *Studia Psychologica*, *43*, 239–253.

1 Retrieved from http://katpsych.truni.sk/osobne/halama/Halama,%20Str%C3%AD%C5%-BEenec,%202004.pdf

1 Jimoh, M. O. (2007). Spiritual intelligence, emotional intelligence and intelligent quotient as predictors of adjustment to teaching profession among the voluntary teaching corps scheme among employees . *Journal Of Social Sciences*. Vol 5 (2), 220-227.

1 King, D. B. (2008). *Rethinking claims of spiritual intelligence: A definition, model, & measure* (Unpublished master's thesis). Trent University, Peterborough.

1 Marques, J. F. (2006). The spiritual worker: An examination of the ripple effect that enhances quality of life in- and outside the work environment. *Emerald Group Publishing Limited*, 884–895.

1 Retrieved from http://dx.doi.org/10.1108/02621710610692089

1 Subramaniam, M., & Panchanatham, N. (2014). Relationship between emotional intelligence, spiritual intelligence and wellbeing of management executives. *Global Research Analysis*, *3*(3), 92–94

1 Thompson, L. (2004). Moral leadership in a postmodern world. *Journal of Leadership and Organizational Studies*, *11*(1), 27–37. http://dx.doi.org/10.1177/107179190401100105

1 Tabinda,J (2013). Emotional intelligence as a predictor of marital adjustment to infertility International. *Journal of Research Studies in Psychology*, Vol.2 (3), 45-58.

1 Venkateswaran, P.S.Sakthivel .P.Manimaran (2015)A Study On Adjustment, Job Satisfaction, Job Involvement And Job Stress Of Private School Secondary Teachers 78-81 | Paripex - Indian Journal Of Research Volume : 4 | Issue : 1 | Jan 2015

1 Velazquez, B. L. (2000). Personality variables and self-transcendence in traditional and non- traditional spiritual practice. Unpublished Ph. D Thesis, New York: Seton Hall University.

1 Retrieved October 15, 2012 from http://www.lib.umi.com

1 Yang K., P.(2006). The Spiritual Intelligence of Nurses in Taiwan. *Journal of Nursing Research*, Vol. 14 (1): 24-35.

1 Vaughan, F. (2002). What is spiritual intelligence? *Journal of Humanistic Psychology*, *42*(2), 16–33. http://dx.doi. org/10.1177/0022167802422003

1 Wigglesworth, C. (2012). *SQ21: The 21 skills of spiritual intelligence*. New York: Selected Books.

1 Wolf, E. (2004). Spiritual leadership: a new model. *Healthcare Executive*, *19*(2), 22–25.

1 Retrieved from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ pubmed/15017832 Wolman, R. N. (2001). *Thinking with your soul: Spiritual intelligence and why it matters*. New York: Harmony Books.

1 Yahyazadeh-Jeloudar, S., & Lotli-Goodarzi, F. (2012). What is the relationship between spiritual intelligence and job satisfaction among MA and BA teachers? *International Journal of Business and Social Science*, *3*(8), 299–303.

1 Retrieved from http://ijbssnet.com/journals/Vol_3_No_8_Special_Issue_April_2012/35.pdf

1 Zembylas, M., & Papanastasiou, E. (2004). Job satisfaction among school teachers in Cyprus. *Journal of Educational Administration*, *42*(3), 357–374.

1 Retrieved from http://dx.doi.org/10.1108/09578230410534676

1 Zohar, D., & Marshall, I. (2000). *SQ—Spiritual intelligence, the ultimate intelligence*. London: UL copy.

Authors ADDRESS

Sonia Sharma. Ph.D SRF, Department Of Education and C.S Punjabi University, Patisla

HOME:-

H.No 2204, Sonia Sharma D/o Sh. Mangat Rai Sharma

Purana Bazar Machhiwara, The Samrala, District Ludhiana 141115.. Punjab.

H.No 2204, Neeru Sharma D/o Sh. Mangat Rai Sharma

Purana Bazar Machhiwara, The Samrala, District Ludhiana 141115.. Punjab.

सेंट भिन्सेंट पलोटी चर्च में एकदिवसीय युवा सम्मेलन

कॅरियर मार्गदर्शन (Career Guidance)

डॉ. सेराफिनुस किस्पोट्टा

दिनाँक 23.07.2017 को सेंट भिन्सेंट पलोटी चर्च के प्रागंण में बिलासपुर के युवक–युवतियों के लिये एक दिवसीय कॅरियर गाइडेंस पर सम्मेलन रखा गया था। पंजीयन के आधार पर कुल 108 युवक–युवतियों ने भाग लिया। साथ में सेंट भिन्सेंट पलोटी चर्च के पल्ली परिषद् के सदस्यों ने बढ़–चढ़कर हाथ बँटाया, जिससे इस सम्मेलन को अभूतपूर्व एवं ऐतिहासिक सफलता मिली।

सम्मेलन की पहल हमारे चर्च के युवा समूह मि. निशांत टोप्पो के नेतृत्व में की गयी, जिसका समर्थन पल्ली परिषद ने किया।

रविवार को 10:30 बजे सम्मेलन की शुरूआत Resource Persons का स्वागत सम्मान एवं दीप प्रज्जवलन द्वारा की गयी। सर्वप्रथम पूरे समूह को मि. निरियुस कुजूर ने एक प्रार्थनामय वातावरण में लाया और अपनी जीवन–यात्रा को बयां कर युवक–युवतियों में जोश एवं उत्साह भरा। उनके सफल अध्ययन कार्यों से बच्चों को अवश्य ही प्रेरणा प्राप्त हुई है।

तत्पश्चात् पल्ली परिषद् के सचिव डॉ. अल्फोंस तिर्की सहा. प्रध्यापक शास. स्न्ना. को मंच पर आमंत्रित किया गया। उन्होंने सभी युवाओं को हमारी पहचान ('Identity') से रूबरू किया। हमारे RACE के बारे उन्होंने बताया कि हम इजराइली हैं और द्रविड़यन रेस से आते हैं जो हमारे गर्व एवं घमंड का कारण बनता है। हमारी सुंदर संस्कृति, रहन–सहन, रीति–रिवाज को सराहा और युवाओं में जागरूकता लाने की कोशिश की। उन्होंने चुनौती भी दी कि हमें अपने समाज को लेकर, अपनी पहचान को लेकर हीन–भावना से ऊपर उठना है, हम किसी से कम नहीं हैं दूसरे समाज के युवक–युवतियों से क्यों शादी करना? ये सभी युवा–वर्ग के लिये सवाल है और उसका जबाब अपनी अन्तरात्मा से देना है।

बच्चों में उन्होंने प्रेरणा, जोश, उत्साह भरा है। सभी युवा–वर्ग उनके प्रति अनुगृहीत है। इसके बाद फा. जोसेफ अमलासेलेन, डीनरी स्तर के Youth Director को उद्बोधन के लिये बुलाया गया। उन्होंने बहुत ही जोशीले तरीके से प्रथम सवाल किया, ''युवा कौन है''? उस सवाल के उत्तर में किसी ने कहा, कि जो बेरोजगार है, युवा है, किसी ने उम्र के हिसाब से बताया तो किसी ने कहा कि जो शादी शुदा नहीं है, युवा है।

आज के युवाओं को नेतृत्व के गुणों से भरपूर होना चाहिये। अतः फा. जोसेफ ने नेतृत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि नेतृत्व आठ प्रकार के होते है।

1. Transactional Leadership - जहाँ बैंक जैसे लेन–देन पर निर्भर करता है।
2. Transformational Leadership - जहाँ युवक–युवतियाँ बदलाव देखना पसंद करते हैं।
3. Transcendental Leadership - जहाँ पर आज्ञाकारिता पर जोर दिया जाता है ऊपर से आर्डर आता है और प्रजा को मानना पड़ता है। Obey the orders of God.
4. Dictatorship Leadership - जहाँ एक ही व्यक्ति शासन करता है। जैसा चाहता है वैसा ही करता है।
5. Democratic Leadership - जहाँ सभी को समान अवसर मिलते हैं।
6. Free-reign Leadership - जहाँ स्वतंत्र नेतृत्व पर जोर दिया जाता है।
7. Visionary Leadership - जहाँ एक युवा में क्या होने वाला है, क्या होगा, उसके बारे सोचता है।
8. Servant Leadership - जहाँ एक युवा नेता, अपने बारे नहीं, बल्की दूसरों की भलाई के बारे सोचता है।

इन विभिन्न प्रकार के नेतृत्व से वाकिफ करते हुए फा. जोसेफ ने युवाओं में उत्साह एवं जोश भर दिया।

इसके पश्चात् श्रीमती पुष्पा किस्पोट्टा डिप्टी डायरेक्टर रायपुर ने लक्ष्य स्थापना के बारे विस्तार से बताया। उन्होंने कहा, एक युवा को युवावस्था याने 10th, 12th व कॉलेज प्रथम वर्ष में ही लक्ष्य निर्धारण करना पड़ता है। बिना लक्ष्य का व्यक्ति भटकने में समय बिता देता है, उम्र कब पार हो जाता है पता नहीं चल पाता है। अतः एक लक्ष्य निश्चित करने का आहवान किया।

लक्ष्य निर्धारण के पश्चात् छोटे–छोटे उद्देश्यों को पूर्ण करते हुए लक्ष्य को हासिल करने की प्रेरणा दी। और तब उन उद्देश्यों एवं लक्ष्य को हासिल करने हेतु क्रियान्वयन पद्धाति की व्याख्या की। इस बीच लक्ष्य एवं उद्देश्यों के बीच क्या अन्तर है, स्पष्ट किया।

उन्होंने विशेष रूप से लक्ष्य निर्धारण पर ही जोर दिया। अपने उद्‌बोधन की शुरूआत ''मैं कौन हूँ'', मेरी सृष्टि क्यों है मेरी उपयोगिता क्या है। छोटी–छोटी कहानियों और उदाहरणों से लक्ष्य प्राप्ति के लिए रणनीति निर्माण करने की बात कहीं। तत्पश्चात् डॉ. एस. किस्पोट्टा सहा. प्राध्यापक, गु.घा.वि. बिलासपुर ने इसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए अपने विचार प्रकट किये।

1. आज एक युवा (Youth) कौन है? जवाब उसने स्वयं दिया–

Y = Yes to your conscience.

O = Obedient to your conscience.

U = Understanding to your call, vocation

T = Timely (Punctuality)

H = Honesty (Hard working)

आज के युवा को अपनी अन्तरात्मा की आवाज हमेशा सुननी चाहिये। उस आवाज के प्रति आज्ञाकारी होना चाहिये। अपनी बुलाहट, बुलावा को गहराई से समझना चाहिये। ये सभी उपरोक्त कार्य समय रहते करना चाहिये। अन्यथा ''अब पछताये क्या होत, जब चिड़िया चुग गई खेत'' वाली कहावत चरितार्थ होगी। इस बुलाहट को साकार करने के लिये ईमानदारी के साथ मेहनत, परिश्रम करना चाहिये। यही है आज का युवा।

2. आप अपने जीवन में जिन्हें बहुत अधिक प्यार करते हैं, उन्हें कौन–सी दो वस्तुएँ दे सकते हैं? कुछ युवक–युवतियों ने उत्तर दिया–शिक्षा, मान, सम्मान, खुशियाँ, ज्ञान इत्यादि–

हम सभी सिर्फ दो चीज दे सकते हैं।

(a) वह, जो मेरे (हमारे पास है)

(b) वह, जो मैं (हम) स्वयं हूँ। हैं।

(मेरी उपयोगिता क्या है, परिवार में, समाज में, देश में)

अंतिम वक्ता के रूप में आनन्द कुजूर, डायरेक्टर ब्रेनओब्रेन एवं सी.डी. एस. ने प्रतिभागियों को कॉम्पिटिटिव परीक्षा में सफल होने हेतु रणनीति एवं पढ़ने के तौर तरीके इत्यादि से रूबरू कराया। उन्होंने कहा कि सफल व्यक्तियों के पास सफल होने की आदतें हैं किन्तु असफल व्यक्तियों के पास सिर्फ बहाने हैं। उनका कहना था कि प्राथमिकता का चुनाव कीजिए। इस बात पर जोर देते हुए उन्होंने यह कहा कि स्वध्याय करते रहना नितांत आवश्यक है, इस आदत के बगैर सफलता की कामना नहीं की जा सकती है। Perseverance is the key to success. आनन्द जी, हमेशा कहते हैं "Winners never give up."

बेथनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग

बेथनी फादर्स द्वारा प्रबंधित

''समपर्ण और प्रेम भावना के साथ देखभाल''

- इंडियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल, रायपुर द्वारा मान्यता प्राप्त
- पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य एवं छत्तीसगढ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रायपुर से संबद्धता

संचालन

बेथनी आश्राम का नवजीवन प्रोविंस के द्वारा स्थापित बेथनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग का संचालन बेथनी सेवा संगम (Bethany Fathers) द्वारा किया जा रहा है। यह एक अल्पसंख्सक संस्था है जिसका मुख्य उद्देश्य चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में नर्सिंग का बढावा देना एवं सम्पूण भारत में चिकित्सा व शिक्षा के क्षेत्र में नया आयाम स्थापित करना है।

प्रेरणा

हमारे पूज्य महाधर्माध्यक्ष मार इवैनियस ओ.आई.सी. हमारे प्रेरणा स्त्रोत है, जिनके आशीर्वाद से बेथनी कॉलेज आज की भावी नर्सो को सामाजिक दौर में पहुँचाने का कार्य कर रहा है। उनका यह मनना था कि समाज को अपना सामाजिक स्तर बनाना एवं स्थापित करना है ताके समाज में उच्च कोटि के शिक्षित लोगो का होना अति आवश्यक है। तभी समाज तथा देश उन्नति के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है।

दर्षन

बेथनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग का मुख्य दर्शन यह है कि भावी नर्सों को ऐसा प्रशिक्षण दें जिससे वे समाज के लोगों का 'सम्पूर्ण और प्रेमभावना के साथ देख–भाल' करे, और ईश्वर की करूणा, प्रेम, दया और चंगाई के दूत बनकर मरीजों की सेवा के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। फ्लोरेंस नाईटिंगेल का कहना था कि नार्सेस को अपना कार्य पूर्ण सेवा भाव से चाहिए क्योंकि जो व्यक्ति चिकित्सक के पास ईलाज के लिए जाते हैं वह अपना जीवन चिकित्सक के सहारे छोड देते है।

उद्देष्य

बेथनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग का उद्देश्य प्रभु ईसा मसीह के चंगाई के कार्यो को जारी रखना है। बेथनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग चाहता है कि कम दरो में उचित शिक्षा प्रदान कराना, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान कराना जिससे समाज में निरंतर उभरती हुई चुनौतियो का सामना कर सकें। इसी उद्देश्य से हमारी संस्था द्वारा विभिन्न स्थानो पर सर्वसुविधायुक्त हास्पिटल, योगा प्रशिक्षण केंद्र, हेल्थ सेंटर तथा नर्सिंग कॉलेजस स्थापित किया गया है।

कॉलेज कैंपस

बेथनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बोरसी, दुर्ग छत्तीसगढ़ राज्य के जिला दुर्ग में स्थित है। यह सुन्दर व शांत शैक्षिण वातावरण है जो विद्यार्थियों के मानसिक व शरीरिक विकास में सहायक है। कॉलेज कैम्पस से रेल्वे स्टेशन मात्र 5 कि.मी. बस स्टैण्ड 6.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है तथा हवाई अड्डा 44 कि.मी. की दूरी पर रायपुर में स्थित है।

शैक्षिण मान्यता

बेथनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग
निम्न संस्थानों से मान्यता प्राप्त....

छत्तीसगढ सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त

इंडियन नर्सिंग काउंसिल नई दिल्ली

एवं छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल, रायपुर से मान्यता प्राप्त

पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य एवं छत्तीसगढ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रायपुर से संबद्धता

क्लिनिकल प्रषिक्षण

अपोलो बीत्र.एस.आर.अस्पहताल–भिलाई, करूणा हॉस्पिटल, नन्दनी रोड भिलाई, CIIMHANS, देवादा राजनांदगांव,
इंटर्नशिप हेतु–

फा. मुल्लर हॉस्पिटल, मैंगलोर
हॉलीक्रॉस हॉस्पिटल, अम्बिकापुर

अनुभवी षिक्षकगण तथा प्रषिक्षण

बेथनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग में उत्तम तथा अनुभवी शिक्षकगण है जिनका लक्ष्य छात्र–छात्राओं के भविष्य का सर्वांगिण विकास करना है, यहाँ पर छात्र–छात्राओं के लिए राज्य तथा राष्ट्रीय स्तरीय वर्कशॉप एवं सेमिनार, सामाजिक उन्नती कार्यक्रम, खेलकूद (युवा) सांस्कृतिक कार्यक्रम, काउंसलिंग तथा आध्यात्मक रिट्रीट कार्यक्रम आदि आयोजित किये जाते है। बेथनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग द्वारा ग्रामिण क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविर तथा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा संबंधित यात्रा जो की छात्र–छात्राओं को बाह्य तथा आंतरिक रूप से सक्षम बनाता है जिससे छात्र–छात्राएं अपने कार्य क्षेत्र में व्यवसायिक रूप से सफल हों।

आवेदन का प्रारूप

आवेदन प्रपत्र एवं विवरण प्रेत्रिका तथा प्रवेश फार्म प्राप्त करने के लिए डाक द्वारा रू. 250/– की डी.डी. 'बेथनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग' के पक्ष में 'भिलाई' को देय होगी अथवा बेथनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग के कार्यालय से प्राप्त करे एवं छात्र ऑन लाईन फार्म के लिए हमारी वेब साईट www.bcn-bhilai.com पर लॉग ऑन करें।

योग्यता

प्रवेश प्रात्रता 10+2 या उसके समकक्ष परीक्षा न्यूनतम 50% अंको के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अनिवार्य विषय–भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं अंग्रेजी।

सुविधाएं–

- रैगिंग वर्जित कैम्पस (काजेल एवं हॉस्टल)
- अनुभवी शिक्षकगण
- ऑडियो विजुअल उपकरणों से युक्त अध्ययन कक्ष।
- आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित प्रयोग शालाये।
- चिकित्सा व अन्य क्षेत्रों के किताबो के साथ कई राष्ट्रीय,अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं से युक्त विशाल ग्रंथालय (लाईब्रेरी)
कम्प्युटर व इंटरनेट की सुविधा।
- क्लीनिकल प्रशिक्षण देने हेतु शहर के अधुनिक अस्पतालों से संबधता।
- स्पोकपन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस।
- शासन द्वारा नियमानुसार छात्रवृत्ति, प्रतिभावना विद्यार्थियों को को महाविद्यालय द्वारा छात्रवृत्ति।
- घरेलु वातावरण युक्त छात्रावास व मेस सुविधा।
- राष्ट्रीकृत बैंको द्वारा कम ब्याज पर शिक्षा ऋण की सुविधा।
- 100% जॉब प्लेसमेंट विख्यात चिकित्सकीय संस्थनों में।
- 24 × 7 सिक्योरिटी गार्ड की सुविधा।

बेथनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग

बोरसी,दुर्ग,छत्तीसगढ़–491001,
फोन नं. : 0788–2340949
मों. : 95222 86401, 83497 64658
Website: www.bcn-bhilai.com
Email : bethanycollegeofnursing@gmail.com

बेथनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग

बोरसी, दुर्ग, छत्तीसगढ़–491001

आदरणीय,

अभिभावक एवं विद्यार्थी

सन् 2008 प्रारम्भ बेथनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, भिलाई जो कि ख्याति प्राप्त एक कैथोलिक प्रशिक्षण संस्था है, यह संस्था बेथनी फॉदर्स द्वारा संचालित है। जिसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य इच्छुक छात्र–छात्राओं को नर्सिंग में प्रशिक्षण प्रदान कराना तथा मानवता, उदारता और दृढ़ता के साथ सेवा कराना है।

बेथनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग में 70% सीट मैजमेंट (प्रबंधन) छात्रों के लिए आरक्षित है जो कि 10+2 या उसके समानान्तर परीक्षा के निम्न विषयों जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान,जीव विज्ञान तथा अंग्रेजी जैसे विषयों में छात्रों द्वारा 50% अंक या इससे अधिक अंक प्राप्त किया हो।

वे छात्र–छात्राएं जो अपने करियर को लेकर चिंतित है वे सभी छात्र–छात्राएं नर्सिंग के क्षेत्र में अपना करियर संवार सकते है तथा एक उज्जवल भविष्य बना सकते हैं किंतु सही जानकारी के अभाव में कैथोलिक/क्रिस्चियन कॉलेजो के बारे में पता नही रहता जिसके कारण उन छात्र–छात्राओं को सही मार्गदर्शन नही मिल पाता है। जिससे उन्हें क्रिस्तीय मानवीय मूल्यों में अधारित शिक्षा नही मिल पाती है। जिसके कारण वे छात्र–छात्राएं मानवीय मूल्यों को छोडकर संसारिक धन दौलत के पीछे अग्रसर होते हैं अर्थात वे लोग सही मार्ग से भटक जाते हैं।

उन छात्र–छात्राओं जो नर्सिंग के क्षेत्र में अपना करियर संवारना और मानवता के प्रति सेवा करना चाहते है। वे सभी छात्र–छात्राओं को बेथनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग,बोरसी,दुर्ग में यह सभी सुविधाएं मिल सकती है। इस संस्था में छात्र–छात्राओं को सर्वसुविधा युक्त एक अच्छी जॉब प्लेसमेंट की सुविधाएँ उपलब्ध करायी जाती हैं।

ऑन लाईन एडमिशन एवं अधिक जानकारी हेतु www.bcn-bhilai.com पर लॉग ऑन करें। अन्य जानकारी हेतु निम्न नम्बरों पर सम्पर्क करें – 0788–2340949, 95222 86401, 83497 64658

फॉ. जार्ज अभ्यानन्द ओ.आई.सी.
(प्रबंधन)
मों. –8819851234

लेखकों हेतु निर्देश

- उराँव झरोखा में प्रकाशन हेतु लेखक कृपया निम्न तथ्यों को ध्यान में रखें –
- यह एक द्विभाषी पत्रिका है अतः प्रकाश्य सामग्री हिन्दी अथवा अंग्रेजी में ही हो ।
- लेखक अन्तर्राष्ट्रीय मानकों का प्रयोग करें।
- आलेख की अधिकतम शब्द सीमा 1000 शब्दों तक हो।
- आलेख दो प्रतियों के साथ प्रकाश्य सामग्री का सीडी अवश्य भेजें।
- प्रकाश्य सामग्री अंग्रजी के Times New Roman तथा हिन्दी के लिए **कृति देव 10** का प्रयोग करें तथा सामग्री 11/13 पाईंट साईज फोन्ट में Microsoft Word में टाईप करें।
- आलेख के साथ लेखक अपनी संक्षिप्त जीवन–वृत्त (Biodata) अवश्य संलग्न करें।
- आलेख के प्रकाशन का अंतिम निर्णय प्रमुख सम्पादक/सम्पादक मण्डल का होगा। इस हेतु प्रधान संपादक/संपादक मण्डल रचना का विशेषज्ञों से परीक्षण करा सकती है।
- आलेख में प्रस्तुत विचार/निष्कर्ष के लिये लेखक स्वयं उत्तरदायी होंगे इसके लिये पत्रिका/सम्पादक मण्डल किसी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा ।
- लेखक पत्रिका की सदस्यता तथा सम्प्रेषण व्यय हेतु सहयोग राशि (कृपया Membership Form का अवलोकन करें) राशि का डिमांड ड्राफ्ट या मल्टिसिटी चेक जो उराँव झरोखा के पक्ष में तथा BILASPUR (C.G.) में देय हो अवश्य संलग्न करें अथवा पत्रिका के बैंक खाते में सीधे जमा करें तथा इसकी सूचना पत्रिका प्रबंधन को दें ।
- लेखकों से अनुरोध है कि प्रकाश्य सामग्री निम्न पता/ई–मेल पर प्रेषित करें –

Payments:- Subscription and Contributions (Rs. 1500/- to meet Printing charges and Postal expences) should be sent in the form of D.D. or Multi-city Cheques payable to "ORAON JHAROKHA" payable at "Bilaspur C.G." . Details of subscription can be seen on the 'Sobscription Form'.

Payments can directly be made by depositing the requisite amount in to the bank account of the Magazine. Details of the account are given below:

Bank Account Name : **ORAON JHAROKHA**
A/c. **423801010036569**
IFSC : **UBIN0542385**
Union Bank Of India, Branch : **BILASPUR**

Mail Us : Editor
Oraon Jharokha
C/o CDS Bilaspur
Old High Court Road,
Bilaspur (C.G.) 495001
Email : oraonjharokha@gmail.com

ORAON JHAROKHA
(A PEER REVIEWED & REFEREED JOURNAL)
MEMBERSHIP FORM

Please send my 'Oraon Jharokha' to

Name of the Individual/Institution .....

Address .....

.....

Telephone/Mobile No. .....

E-Mail ID .....

Details of contribution: DD/Cheque No. .....

Date ..... For the Rs. .....

Issued in favour of ORAON JHAROKHA & payable at Bilaspur (C.G.)

Bank Account Name : **ORAON JHAROKHA**
A/c. **423801010036569**
IFSC : **UBIN0542385**
Union Bank Of India, Branch : **BILASPUR**

Mail Us :
1.Editor, Oraon Jharokha, C/o CDS Bilaspur, Old High Court Road, Bilaspur (C.G.) 495001
2.Editor, Oraon Jharokha, Mangla Road, Near Holy Cross, School, Bilaspur (C.G.)
Email : oraonjharokha@gmail.com

(Signature with Name)

Subscription/Membership	Individual	Institutional
Yearly	Rs. 150/-	Rs. 180/-
2-years	Rs. 300/-	Rs. 350/-
3-years	Rs. 500/-	Rs. 550/-
5-years	Rs. 800/-	Rs. 950/-
Life Member	Rs. 5000/-	Rs. 6000/-

Contribution by advertisement (per issue)

Space	For Colour	For Black & white
Back Cover	Rs. 15000/-	Rs. 13000/-
Inside from cover	Rs. 10000/	Rs. 9000/-
Inside Back cover	Rs. 8000/-	Rs. 7000/-
Half Page	Rs. 6000/-	Rs. 5000/-
1/4 page	Rs. 4000/-	Rs. 3000/-
1/8 page	Rs. 3000/-	Rs. 2000/-
1/16 page	Rs. 2000/-	Rs. 1000/-

MEMBERSHIP FORM

Photo

1. Name : .....

2. Address : .....

.....

.....

.....

3. Mobile No. .....

4. E-mail : .....

5. Blood Group : .....

6. Occupation : .....

Date :

Place : Signature